डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन

(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)

वार्षिक प्रतिवेदन
2016-2017

www.medialabasia.in

माननीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद और
माननीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री पी. पी. चौधरी
आई.आई.टी.एफ – 2016, दिल्ली में चिक कैड के लाभार्थियों के साथ वार्तालाप करते हुये।

माननीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद
और माननीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राज्यमंत्री श्री पी.पी. चौधरी, ने आई.आई.टी,
मुंबई में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स शिखर सम्मेलन 2016 में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन स्टाल का दौरा किया।

मेघालय के सभी जिलों में m4agriNEI विस्तार के लिए मेघालय बेसिन विकास प्राधिकरण (MBDA) और
डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हुये

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन
(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)

वार्षिक प्रतिवेदन
2016–2017

अनुक्रमणिका

कारपोरेट विवरण	..	पृष्ठ 3
प्राक्कथन	..	पृष्ठ 6
निदेशक प्रतिवेदन	..	पृष्ठ 7
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	..	पृष्ठ 37
वित्तीय स्थिति विवरण	..	पृष्ठ 47
आय एवं व्यय विवरण	..	पृष्ठ 48
टिप्पणियाँ	..	पृष्ठ 50
स्वचलित वित्तीय विवरण		
राष्ट्रीय–ई–शासन विभाग (NeGD)	..	पृष्ठ 69
माईगोव	..	पृष्ठ 83
डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन – प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग	..	पृष्ठ 96
सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी	..	पृष्ठ 113
'इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी के लिए विश्वश्वर्या पीएचडी योजना'	..	पृष्ठ 128

कॉरपोरेट विवरण

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

श्री रवि शंकर प्रसाद (पदेन)
माननीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार

उपाध्यक्ष

श्री एलफांस कन्ननथानम आई.ए.एस (पदेन)
माननीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, 3 सितंबर 2017 से

श्री पी.पी. चौधरी (पदेन)
माननीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, भारत सरकार, 3 सितंबर 2017 तक

निदेशक

श्री अजय प्रकाश साहनी आई.ए.एस (पदेन)
सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 23 जून, 2017 से

सुश्री अरुणा सुंदराजन, आई.ए.एस. (पदेन)
सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 29 जुलाई, 2016 से 23 जून 2017 तक

सुश्री अनुराधा मित्रा
अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार,
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

श्री किरण कर्णिक
पूर्व अध्यक्ष, नासकॉम (NASSCOM)

डॉ० सौरभ श्रीवास्तव
संस्थापक, इंडियन एन्जिल नेटवर्क

सुश्री राधा चौहान, आई.ए.एस.
अध्यक्ष और सीईओ, राष्ट्रीय–ई–शासन विभाग, 24 जुलाई, 2017 तक

श्री संजीव गुप्ता आई.ए.एस
अध्यक्ष और सीईओ, राष्ट्रीय–ई–शासन विभाग, 24 जुलाई, 2017 से

श्री गौरव द्विवेदी, आई.ए.एस.
सीईओ, माईगोव, 23 सितंबर, 2017 तक

सुश्री नीता वर्मा
सीईओ, माईगोव 3 अक्टूबर 2017 से

डा० एम आर आनंद, आई.इ.एस.
वरिष्ठ सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
प्रबंध निदेशक और सीईओ, 28 मार्च 2017 तक

श्री संजय कुमार राकेश, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
तथा प्रबंध निदेशक और सीईओ, 19 अप्रैल, 2017 से 4 सितंबर, 2017 तक

श्री संजीव गुप्ता आई.ए.एस
प्रबंध निदेशक और सीईओ, डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन, 4 सितंबर, 2017 से

वरिष्ठ कार्यकारी

अनुसंधान एवं विकास

प्रो. नरेन्द्र आहूजा, निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी
श्री वी.के. भाटिया, वरिष्ठ निदेशक (अनुसंधान), डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन
श्री विनय ठाकुर, निदेशक, परियोजना विकास, NeGD
श्री भवानी प्रसाद येरापल्ली, अनुसंधान निदेशक, डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन

वित्त एवं प्रशासन

श्री जॉर्ज अराकल, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन
श्री नीरज कुमार, निदेशक, परियोजना मूल्यांकन और वित्त, NeGD
श्री के.पी. शिवदास, लेखा प्रबंधक, डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन

लेखा परीक्षक

ए. पी. संजगिरि एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मुंबई–400055

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन
समृद्धि वेन्चर पार्क,
चतुर्थ तल, सेंट्रल एमआईडीसी रोड,
अंधेरी (ईस्ट), मुंबई,
महाराष्ट्र, – 400093

CIN : U72900MH2001NPL133410
फोन : (022) 28312931 / 28327505
फैक्स : (022) 28379158
वेबसाइट : www.medialabasia.in

अनुसंधान केन्द्रः

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन
708–723, सातवां तल,
देविका टॉवर,
6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन - राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)
चतुर्थ तल, ईलेक्ट्रानिक्स निकेतन,
6, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन – माईगोव
कमरा नंबर 3015, तृतीय तल, ईलेक्ट्रानिक्स निकेतन,
6, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110003

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन – सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)
ब्लॉक 4, द्वितीय तल, सीडॉट कैंपस,
छत्तरपुर, महरौली,
नई दिल्ली – 110030

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन – इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विश्वेश्वर्या पीएचडी योजना
कमरा नंबर 2084, द्वितीय तल, ईलेक्ट्रानिक्स निकेतन,
6 सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110003

प्राक्कथन

वर्ष 2016–17 के लिए डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) की इस वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन जमीनी स्तर पर अभिनव सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समाधानों की उपयोगिता से सामाजिक–आर्थिक उत्थान लाने के लिए पिछले 15 से अधिक वर्षो से सतत कार्य कर रही है। कंपनी अपने विशिष्ट ध्यान केन्द्रित क्षेत्रों में लक्षित आईसीटी उत्पादों को विकसित, सुधार एवं धरातल पर पहुंचा रही है।

वर्ष के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपने 'जनमानस के लिए आईटी' कार्यक्रम के तहत, महिला सशक्तिकरण के लिए दो शिल्प समूहों में हमारी प्रौद्योगिकियों का परिनियोजन करने के लिए हमें निम्न दो परियोजनाएं दीं:

1.) महिला सशक्तिकरण के लिए वाराणसी के लल्लापुरा शिल्प समूह में आईसीटी आधारित एकीकृत विकास कार्यक्रम (ई–कॉमर्स, ऑनलाइन विपणन, उत्पाद का ब्रांड मूल्य, खुदरा प्रबंधन और उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित)
2.) महिला सशक्तीकरण के लिए कानपुर के बिठूर समूह में आईसीटी का उपयोग करके ज्ञान परिवर्तन के माध्यम से कौशल संवर्धन और स्वास्थ्य जागरूकता (बिठूर शक्ति)

इसके साथ ही, बनारसी साड़ी बुनकरों के लिए विकसित कम्प्यूटर एडेड डिजाइनिंग (सीएडी) टूल (डिजीबुनाई™), को बुनाई के विशेषज्ञों और समुदाय के सक्रिय सहभागिता के लिए बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी), दिल्ली; नेशनल सेंटर फॉर टेक्सटाइल डिजाईन, दिल्ली; बुनकर सेवा केंद्र, वाराणसी और इसके 4 सामान्य सुविधा केन्द्रों में परिनियोजित किया गया। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार टूल का संवर्धन किया गया।

व्यक्तिगत कृषि–सलाह (अपने किसानों को जाने) प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश (एपी) और तेलंगाना राज्य में परिनियोजित अन्नपूर्णा कृषि प्रसार सेवा (एकेपीएस) को आंध्र प्रदेश के 3 जिलों (चित्तूर, पूर्वी गोदावरी और विशाखापत्तनम) एवं तेलंगाना के 2 जिलों (करीमनगर और रंगारेड्डी) में विस्तार के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ, एकेपीएस अब आंध्र प्रदेश के सभी जिलों और तेलंगाना के 10 में से 9 जिलों तक पहुंच गया है।

पुनर्जजनी™ (मानसिक मंदता वाले बच्चों के मूल्यांकन में विशेष शिक्षकों की सहायता के लिए वेब आधारित साधन) का हिन्दी संस्करण, प्रयोक्ताओं की प्रतिक्रिया अनुसार, उप–शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साधन की पहुंच का विस्तार करने के लिए विकसित किया गया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे के सहयोग और इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समर्थन से बधिरों के लिए विजुअल स्पीच ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर (वीएसटीएस) विकसित किया गया और उसका स्थानीय परीक्षण किया गया। कंपनी द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों के अलावा, इस रिपोर्ट में बैलेंस शीट, नियमन के संबंध में जानकारी और इस अवधि के दौरान कंपनी से संबंधित अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है।

वर्ष के दौरान की गई गतिविधियां हमें आश्वस्त करती हैं कि आने वाले वर्षों में डिजिटल इंडिया (डीआई) कार्यक्रम के दृष्टिकोण, उद्देश्यों और लक्ष्यों को साकार करने में कंपनी एक प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। कंपनी ने केवल आर्थिक रूप से वंचित और समाज के वंचित वर्गों के लिए सूचना एवं संचार तकनीक समाधान देने पर कार्य करेगी अपितु उनके तकनीकी कौशल में वृद्धि भी करेगी।

कंपनी, अपनी गतिविधियों और सफलताओं में, भाग्यशाली हैं की उसे निदेशक मंडल (बीओडी), कंपनी के सदस्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सरकार, अकादमी, उद्योग, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के विभिन्न सहयोगी और हितधारकों में वैचारिक नेतृत्व एवं दूरदर्शिता वाले प्रख्यात लोगों का मार्गदर्शन और सलाह प्राप्त हुई। मैं, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं अध्यक्ष, निदेशक मंडल और माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष, निदेशक मंडल से मिले शानदार सहयोग के लिए विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूँ। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं और आम जनमानस के जीवन को समृद्ध करने में नए उत्साह से कार्य करने की प्रतिज्ञा करता हूं, जिसके लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संजीव गुप्ता
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशक प्रतिवेदन

निदेशक प्रतिवेदन

निदेशकों को 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) के अंकेक्षित लेखा विवरणों के साथ 16वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय परिणाम

रु. (करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
आय	**279.31**	**133.73**
अनुसंधान/विकास व्यय	129.97	95.95
अन्य व्यय	149.34	37.78
कुल व्यय	**279.31**	**133.73**

कंपनी का प्रदर्शन

1. <u>पृष्ठभूमि</u>

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) भारत सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित एक 'लाभ–निरपेक्ष' कंपनी है। कंपनी भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाली और ई–हेल्थ / टेली मेडिसिन, ई–कृषि, ई–पेमेंट्स आदि के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने में शामिल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बढ़ती नकदहीन अर्थव्यवस्था की सुरक्षा और संबंधित चिंताओं को बढ़ावा देता है और इसकी व्यापक स्वीकृति में आने वाली चुनोतियों को बताता हैं। यह डिजिटल पहल के माध्यम से नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए नवाचार और विकसित मॉडल को बढ़ावा देता है और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से सरकार में शासन और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है।

2. <u>2015–16 के दौरान उपलब्धियाँ</u>

2.1. लल्लापुरा हस्तशिल्प समूह, वाराणसी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आई.सी.टी आधारित एकीकृत विकास परियोजना

माननीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद और माननीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री पी. पी. चौधरी आई.आई.टी.एफ – 2016, दिल्ली में चिक कैड के लाभार्थियों के साथ वार्तालाप करते हुये।

इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न आई.सी.टी आधारित समाधानों / प्रौद्योगिकियों की परिनियोजन जैसे चिक™ (डिजाइन के लिए कैड टूल), बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा लल्लापुरा हस्तशिल्प समूह में महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह परियोजना साई इंस्टिट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट (एस.आई.आर.डी), वाराणसी के साथ क्रियान्वित हो रही है।

परियोजना के पहला चरण अगस्त 2016 में पूरा हो गया और 2500 के लक्ष्य के मुकाबले 2800 से अधिक महिलाओं को निम्न ब्योरे के अनुसार फायदा हुआ :

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के माननीय मंत्री के लिए डिजाइन (केंद्र में बनाया गया) प्रस्तुत

- चिक™ के माध्यम से डिजाइन करने पर प्रशिक्षण – 1000 से अधिक महिलाओं / लड़कियों को प्रशिक्षित किया गया।
- बेसिक कंप्यूटर अवधारणाओं पर प्रशिक्षण दृ 1000 से अधिक महिलाओं / लड़कियों को प्रशिक्षित किया गया।
- मल्टीमीडिया सामग्री का इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम – 830 से अधिक महिलाओं / लड़कियों ने भाग लिया।
- चिक™ के प्रयोग से खाका पैटर्न निर्माणरू – 1200 से अधिक
- सेमिनार / कार्यशालाएंरू – 27 कार्यक्रमों में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया
- प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर – 5 मास्टर प्रशिक्षकों को चिक पर, 10 को स्वास्थ्य जागरूकता पर प्रशिक्षित किया गया
- एनडीएलएम के अंतर्गत प्रशिक्षण आशा / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता – 750 से अधिक प्रशिक्षित
- आधार कार्ड बनानाः – 650 से अधिक आधार कार्ड बनाए गए
- एनआईईएलआईटी के साथ संबद्धता में बीसीसी और सीसीसी पाठ्यक्रमों पर प्रशिक्षण – 30 से अधिक महिलाएं प्रशिक्षित
- डिजिटल लॉकर के लिए एक शिविर – 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया

महिला सशक्तीकरण पर कार्यशाला

परियोजना के दूसरा चरण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और जनवरी 2017 से शुरू किया गया है । परियोजना के दूसरे चरण में, ललपुरा क्राफ्ट क्लस्टर, वाराणसी में 3500 महिलाओं / लड़कियों को लाभान्वित करने के लिए ई.कॉमर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, उत्पादों के ब्रांड वैल्यू, खुदरा प्रबंधन और उद्यमिता विकास पर ध्यान दिया गया है।

2.2. कानपुर – बिठूर शक्ति के बिठूर क्लस्टर में महिला सशक्तिकरण के लिए आईसीटी का उपयोग कर ज्ञान परिवर्तन के माध्यम से कौशल संवर्धन और स्वास्थ्य जागृति

मीडिया लैब एशिया आधार, एक गैर सरकारी संगठन, कानपुर और एमईआईटीवाय के सहयोग से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित समाधान का उपयोग करते हुए कानपुर में बिठूर क्लस्टर की पहचानी गई महिला कारीगरों (जारी और जारदोजी काम में लगी) का कौशल, उत्पादकता और आजीविका बढ़ाने के लिए इस परियोजना को कार्यान्वित कर रही हैं। इस परियोजना का उद्देश्य बिठूर और उसके आसपास के किशोरों और महिलाओं को सशक्त करना है ताकि स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे मुद्दों पर जागरूकता और परामर्श प्रदान किया जा सके। परियोजना के अंतर्गत, कढ़ाई के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन (सीएडी) साधन – चिक पर 1000 उम्मीदवारों, कढ़ाई डिजाइन और ईडीपी के लिए एडवांस ट्रेनिंग पर 300 उम्मीदवारों, स्वास्थ्य जागरूकता में 1500 महिला उम्मीदवारों (1000 कारीगरों सहित) और किशोरों के लिए कार्यक्रम (स्कूल / कॉलेज) में 1900 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

वर्ष 2016–17 के दौरान इस परियोजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियां को किया गयाः

- 'संसाधन केंद्र' की स्थापना करने के लिए परिसर किराए पर लिया गया है और अपेक्षित उपकरण (कंप्यूटर, प्रिंटर, पेन टेबलेट, यूपीएस आदि) और फर्नीचर (कुर्सियां, टेबल, अलमारी आदि) से सुसज्जित किया गया है। केंद्र संचालन के लिए तैयार है।

- परियोजना स्टाफ की भर्ती कि गई है।
- परियोजना के आधारभूत सर्वेक्षण और प्रभाव आकलन करने का कार्य खुली निविदा के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
- परियोजना के लिए एक पोर्टल विकासाधीन है। पोर्टल के निम्नलिखित मॉड्यूल पूरा हो चुके हैं : उपयोगकर्ता निर्माण मॉड्यूल, उपयोगकर्ता पंजीकरण मॉड्यूल (कारीगरों, हेल्थकेयर और किशोरावस्था), बैच निर्माण, छात्र आबंटन, छात्र अनुमोदन मॉड्यूल, कार्यशाला निर्माण मॉड्यूल और डैशबोर्ड – एडमिन

2.3. बनारसी साड़ी की बुनाई के लिए ओपन सोर्स कंप्यूटर चलित डिजाइनिंग टूल का विकास – डिजीबुनाई

डिजाइन तैयार करने, ग्राफ तैयार करने, और जेकक्वार्ड कार्ड को छिद्रित करने के लिए बुनकरों को लूम पर लोड करने से पहले की प्रक्रियाओं में उपयोगी एक ओपन सोर्स कैड साधन विकसित किया गया हैं। बनारसी साड़ी के लिए अनुकूलित, जैक्वार्ड और डॉबी बुनाई के लिए भारत में अपनी तरह का यह पहला ओपन सोर्स बहुभाषी सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा उपयोगकर्ता डिजाइन के सापेक्ष पैरामीटर के साथ प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से वस्त्र (साड़ी) को देख सकता है। सॉफ्टवेयर अनुकूलन योग्य है (स्थानीय भाषा और स्थानीय डिजाइन की लाइब्रेरी) और उपयोगकर्ता की पसंद के अन्य डिजाइन टूल को भी समाहित कर सकता हैं।

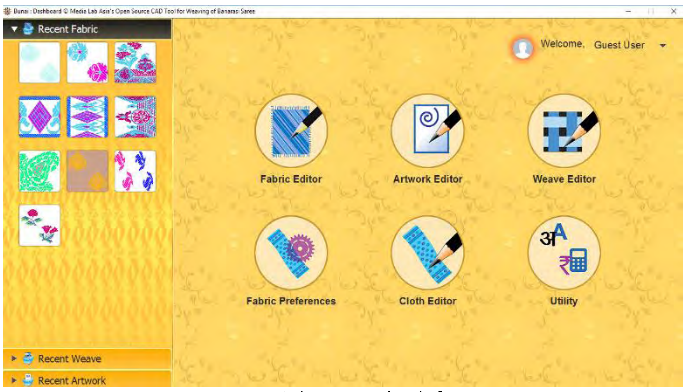

एप्लीकेशन का डैशबोर्ड

कार्ड छिद्रण सेवाएं, बुनकर को पटल पर सूचीबद्ध पंच कार्ड विक्रेता की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है।

पायलट परीक्षण

डीसी – हैंडलूम (वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार), के कार्यालय के सहयोग से बुनकर सेवा केन्द्र (डबल्यूएससी) – वाराणसी, और वाराणसी के 4 सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) मे बुनाई समुदाय की सक्रियता के साथ वाराणसी क्लस्टर में अनुप्रयोग और सेवाओं का पायलट परीक्षण किया गया। अनुप्रयोग को डबल्यूएससी – दिल्ली (एनसीटीडी सहित), वस्त्र प्रौद्योगिकी विभाग, आईआईटी–दिल्ली और एमिटी स्कूल ऑफ फैशन प्रौद्योगिकी के सक्षम मार्गदर्शन के साथ विकसित किया गया है।

सॉफ्टवेयर का प्रायोगिक परीक्षण

वस्त्र उत्पादन

पायलट परीक्षण के दौरान एप्लिकेशन के उत्पादन और कम्प्यूटरीकृत पंचिंग मशीन का परीक्षण करने के लिए डब्ल्यूएससी और सीएफसी पर वस्त्र के 2 नमूने तैयार किए गए हैं। 15 विशेषज्ञों को एप्लिकेशन पर प्रशिक्षित किया गया है। वस्त्र नमूने बनाने के सभी चरण डब्लूएससी, वाराणसी के विशेषज्ञों द्वारा मान्य हैं।

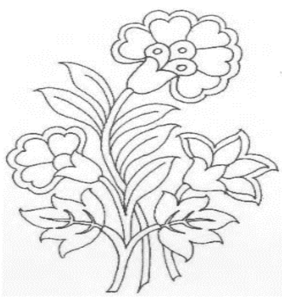

डिजाईन का स्केच

डिजाईन का ग्राफ

वास्तविक वस्त्र

वेब पोर्टल

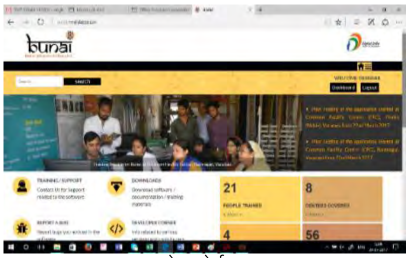

वेब पोर्टल

एक वेब पोर्टल https://bunai.medialabasia.in को अपने पंच कार्डों को दूर–दराज से मुहैया कराने के लिए डिजाइनरों / बुनकरों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। वेब पोर्टल उपयोगकर्ता द्वारा साझा डिजाइन और वस्त्र(डिजिटल वस्त्र) को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी है, एप्लिकेशन का नवीनतम संस्करण डाउनलोड करने और विभिन्न सरकारी संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है

2.4. अंतरक्रियात्मक सूचना प्रसार प्रणाली (आई.आई.डी.एस)

आई.आई.डी.एस – कृषि सलाहकार प्रणाली को भारत में कृषि के क्षेत्र में 26 आईसीटी उपक्रमों एवं देश के 12 राज्यों के कृषकों के मूल्यांकन का सख्त अध्यन करने के बाद तैयार किया गया है। आई.आई.डी.एस स्मार्ट फोन अनुप्रयोग, अंतरक्रियात्मक पोर्टल और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) का एक संयोजन है। इसके फ्रंट–एंड मे एक मोबाइल इंटरफेस तथा बॅक–एंड मे वेब इंटरफेस है। डेटा दोनों तरफ (विशेषज्ञ और कृषक) से आवाज, पाठ, चित्र और वीडियो के माध्यम से प्रसारित होता है।

आईआईडीएस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में अन्नपूर्णा कृषि सेवा सेवा (एकेपीएस) के रूप में और मेघालय राज्य में एमफॉरएग्रीएनईआई (m4AgriNEI) के रूप में परिनियोजित किया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान प्रगति पर एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

अ.) 'अन्नपूर्णा कृषि प्रसार सेवा' (एकेपीएस)

आई.आई.डी.एस का एकेपीएस के रूप में आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद एवं प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, तेलंगाना मे उनके कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) एवं जिला कृषि सलाहकार एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्रो (DAATTCs) की सहायता से परनियोजित किया गया है।

एएनजीआरयू और पीजीटीएसयू के अनुरोध के आधार पर, मीडिया लैब एशिया ने एकेपीएस सेवाओं के लिए 2016–17 के लिए तकनीकी सहायता जारी रखने को मंजूरी दी। पूरे राज्य को कवर करने के लिए आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त 3 जिलों और तेलंगाना के 3 जिलों में एकेपीएस का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ, निम्नलिखित जिलों में एकेपीएस कार्यान्वित किया जा रहा है:

आंध्र प्रदेश: 13 जिले
अ. मौजूद (10): नेल्लोर, श्रीकाकुलम, कडापा, अनंतपुर, प्रकासम, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कुरनूल, गुंटूर, विजयनगरम
ब.नवीन (3) (2016–17): चित्तूर, पूर्वी गोदावरी और विशाखापत्तनम

तेलंगाना: 9 जिलों (कुल 10 जिलों में से)
अ. मौजूद (7): नालगोंडा, खम्मम, महबूबनगर, निजामाबाद, वारंगल, आदिलाबाद, मेदक
ब. नवीन (2) (2016–17): करीमनगर और रंगारेड्डी

2016–17 के दौरान, आंध्र प्रदेश से 10,971 और तेलंगाना से 5,197 नए किसानों को एकेपीएस सेवाओं के तहत पंजीकृत किया गया। इसके साथ 33,257 किसानों को एकेपीएस के तहत पंजीकृत किया गया है और टोल फ्री के माध्यम से कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन पर केवीके और डीएएटीटीसी द्वारा प्राप्त 5,795 प्रश्न हल किए गए। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उनके संबंधित किसानों को केवीके / डीएएटीटीसी द्वारा 1,062 पाठ और 199 आवाज संदेश भेजे गए।

परियोजना में कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्न हैं:

- परियोजना की समीक्षा करने के लिए तीसरा परियोजना समीक्षा संचालन समूह (पीआरएसजी) की बैठक 13 अप्रैल 2016 को एक्सटैन्शन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद में डॉ. वाई जी प्रसाद, निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (एटीएआरआई), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हैदराबाद की अध्यक्षता में आयोजित की

गई। पीआरएसजी ने वर्ष 2016–17 के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सभी जिलों को शामिल करने के उद्देश्य के साथ परियोजना को जारी रखने की सिफारिश की।

- केवीके उत्तुर, कडपा में आईआईडीएस के फ्रेकुएंट कॉलर्स वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कडप्पा, कुरनूल, अनंतपुर, नेल्लोर और प्रकाशम से पंजीकृत किसानों ने एकेपीएस सेवाओं पर अपनी स्वतंत्र प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक, एक्सटैन्शन, एएनजीआरएयू द्वारा की गई और इसके अलावा प्रमुख, कृषि अनुसंधान केंद्र (एआरएस), उतुकुर, कडप्पा, संयुक्त निदेशक, कृषि, कडप्पा, कार्यक्रम समन्वयक और केवीके उतुकुर, कडप्पा और मीडिया लैब एशिया परियोजना दल के वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया।
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 6 जिलों में वैज्ञानिकों और किसानों के लिए आईआईडीएस मॉडल पर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 400 से अधिक किसानों ने भाग लिया।
- तिरुपति में 104 वें अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस में आईआईडीएस का प्रदर्शन किया गया जहां आईआईडीएस मॉडल को भी एनआईआरडी और पीआर, हैदराबाद में 17 देशों के सरकारी अधिकारियों को दिखाया गया। आईआईडीएस टीम द्वारा रियल टाइम प्रदर्शन भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमाडलावलस और नेल्लोर के केवीके वैज्ञानिकों और किसानों के साथ भी परिचर्चा की।
- आंध्र प्रदेश और मेघालय में आईआईडीएस को लागू करने वाली विभिन्न एजेंसियों के अनुभवों के बारे में चर्चा करने और साझा करने के उद्देश्य से 20 से 21 जनवरी, 2017 को केवीके अमादलवालस, श्रीकाकुलम में 'क्रॉस लर्निंग वर्कशॉप ऑन आईआईडीएस' आयोजित किया गया। कार्यशाला के दौरान जनवरी 2009 से जनवरी 2017 तक 'आईआईडीएस की यात्रा' पर एक पुस्तिका, एमडी और सीईओ, मीडिया लब एशिया द्वारा जारी की गई। पुस्तिका में वर्षवार उपलब्धियों और प्रमुख गतिविधियों को शामिल किया गया है जिसमें एकेपीएस और एम4एग्रीएनईआई के क्रियान्वयन / सुविधाओं पर एक तुलन तालिका शामिल है।
- 'क्रॉस लर्निंग वर्कशॉप' में, आईआईडीएस उपयोगकर्ता संस्थानों ने आईआईडीएस के कारण हुये लाभों की सराहना की और उल्लेख किया कि किसानों तक उनकी पहुंच प्रणाली के माध्यम से बढ़ी है। किसानों ने यह भी सराहना की कि ए.के.पीएस से वे स्थानीय केवीके / डीएएटीटीसी के वैज्ञानिकों से टोल फ्री पर अपने क्षेत्र से सीधे जुड़े हुए हैं।
- आईआईडीएस पर 'क्रॉस लर्निंग वर्कशॉप' में प्रमुख सिफारिशों में से एक आईवीआरएस से प्राप्त प्रश्नों को पूरा करने के साथ–साथ मल्टीमीडिया प्रश्नों को पूरा करने के लिए कृषि विशेषज्ञों के लिए 'मोबाइल ऐप' प्रदान करना है। उसी समय एक ऐप को किसानों के लिए संबंधित विशेषज्ञों के साथ परिचर्चा करने के लिए विकसित करने की सिफारिश की गई।
- आईआईडीएस लाभार्थी किसानों के साथ परिचर्चा के लिए निमथोरलावाड़ा गांव (आईआईडीएस के गांव, अमाडलावलस मंडल, श्रीकाकुलम) के लिए एक क्षेत्रीय यात्रा की गई। किसानों ने आईआईडीएस सेवाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्राप्त प्रतिक्रिया के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं:
    - एकेपीएस के एक पंजीकृत किसान श्री एम. मधुसूदन राव ने व्यक्त किया कि उन्हे क्षेत्र से ही टोल फ्री नंबर पर केवीके वैज्ञानिकों द्वारा समय पर सलाह प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने ड्रम सीडर के साथ चावल की बुवाई के लिए विशेषज्ञ सलाह को अपनाकर लगभग 4 बैग अतिरिक्त उपज प्रति एकड़ का लाभ प्राप्त किया। वह गन्ना और वनस्पति फसलों में टोल फ्री नंबर पर पौधों के संरक्षण के उपाय भी प्राप्त कर रहे हैं और केवीके से अपने मोबाइल पर पाठ और आवाज संदेश प्राप्त कर रहे हैं। वह सही कीटनाशकों को खरीदने के संदर्भ में पाठ संदेश का उपयोग करते है। वह साथी किसानों के साथ आईआईडीएस के माध्यम से प्राप्त जानकारी साझा करते है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि जब भी उनके गांव में गंभीर फसल उपद्रव होता है तो केवीके वैज्ञानिक उनके खेतों में जाते हैं। उन्होंने सरकारी योजनाओं, फसल ऋण और पाठ / आवाज संदेशों के माध्यम से बाजार दर और आईवीआरएस में बागवानी के लिए अलग विकल्प प्रदान करने के बारे में जानकारी के लिए अनुरोध किया।

    - ए.के.पीएस के एक अन्य पंजीकृत किसान श्री एम. कृष्णराव ने उल्लेख किया कि वह सेवाओं से खुश हैं क्योंकि वह अब सीधे ही खेत से केवीके वैज्ञानिकों से बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने साथी किसानों (जिनके पास मोबाइल नहीं है या जो अशिक्षित हैं) के लिए भी कई बार बात की हैं। सलाह प्राप्त करने के बाद, अपंजीकृत किसानों ने एकेपीएस के तहत पंजीकरण करने के लिए रुचि दिखाई। उन्होंने अपने गांव और पड़ोसी गांवों से एकेपीएस सेवाओं के लिए पंजीकृत होने तक 40 किसानों को जुटाया है। उन्होंने वैज्ञानिकों के लिए तस्वीर / वीडियो में फसल के लक्षण भेजने के लिए व्हाट्सएप की तरह एक स्मार्ट फोन एप्लिकेशन के लिए आईआईडीएस टीम का अनुरोध किया।

कडप्पा आंध्र प्रदेश में एएनजीआरयू टीम और राज्य कृषि विभाग के अधिकारी एकेपीएस पंजीकृत किसान के साथ वार्तालाप करते हुए

ब) पूर्वोत्तर के लिए मोबाइल आधारित कृषि सलाहकारी प्रणाली (m4agriNEI)

मीडिया लैब एशिया, मेघालय राज्य में कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज (सीपीजीएस), बारापानी और कॉलेज ऑफ होम साइंस (सीएचएससी) के साथ, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) के तुरा, इंफाल मोबाइल आधारित कृषि सलाहकार प्रणाली (m4agriNEI) परियोजना को लागू कर रहा है।

वर्ष 2016–17 के दौरान, री–भोई, पूर्वी खासी पहाड़ियों, पश्चिम जयंतिया पहाड़ियों, वेस्ट गारो पहाड़ियों और दक्षिण पश्चिम गारो पहाड़ियों के जिलों से 3321 नये किसान पंजीकृत किए गए। इसी के साथ इस परियोजना के तहत पंजीकृत किसानों की कुल संख्या 1121 तक हो गई है। इस दौरान बिजारोपण, कीट एवं फसलों से संभंधित रोगों, कृत्रिम गर्भाधान, सुअर पालन/मुर्गी उत्पादन और प्रबंधन पर 3700 से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए ।

एमडी एवं सीईओ, मीडिया लैब एशिया के साथ–साथ कुलपति, सीएयू और परियोजना टीम रिभोई जिला मेघालय के मावनिंग गांव में परियोजना के किसानों के साथ चर्चा करते हुये

डॉ जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्रगति मैदान में 'गंतव्य नॉर्थ ईस्ट' के दौरान परियोजना के किसानों के साथ बातचीत करते हुये।

मेघालय के मुख्यमंत्री, डॉ मुकुल एम संगमा और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, श्री किरण रिजिजू, प्रगति मैदान में 'गंतव्य नॉर्थ ईस्ट' के दौरान परियोजना के किसानों के साथ बातचीत करते हुये।

वर्ष की कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्न हैं:

- एमडी और सीईओ, मीडिया लैब एशिया ने CPGS, बारापानी में प्रोजेक्ट लैब का दौरा किया और परियोजना पर चर्चा और इसके अन्य उत्तर–पूर्वी (पूर्वोत्तर) राज्यों में विस्तार के लिए वाइस चांसलर (वीसी), सीएयू से मुलाकात की।
- एमडी और सीईओ ने मुख्य सचिव, मेघालय सरकार , अन्य प्रमुख सचिवों (कृषि, पशुपालन) और विकास आयुक्त से मुलाकात करके परियोजना के बारे में जानकारी दी और m4agriNEI के कार्यान्वयन के लिए उनके संबंधित राज्य विभागों से सहयोग के लिए संभावनाओं का पता लगाया । एमडी और सीईओ ने री–भोई और जयंतिया हिल्स में परियोजना के गांवों का दौरा किया और परियोजना के लाभार्थियों से मुलाकात की।
- परियोजना की सातवीं परियोजना समीक्षा संचालन समूह (पीआरएसजी) की बैठक CPGS, बारापाानी में हुई। बैठक में वीसी, सीएयू ; डीन, CPGS, बारापानी और डीन, CHSc, तुरा ने भाग लिया।
- मीडिया लैब एशिया, दिल्ली की टीम ने बारापानी और तुरा के परियोजना कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सीपीजीएस, बारापानी में, 'm4agriNEI सिस्टम' पर एक 4 दिवसीय हस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- गारो और अंग्रेजी में m4agriNEI का एक ब्रोशर, डॉ. एम. बी. चेट्टी, अतिरिक्त महानिदेशक (एचआरडी), शिक्षा विभाग, आईसीएआर, नई दिल्ली, ने गृह विज्ञान कॉलेज, टुरा में शुरू किया।
- गृह विज्ञान कॉलेज, टुरा और CPGS बारापानी की m4agriNEI टीम ने 18 किसानों के साथ 10 से 13 नवंबर 2016 को कृषि महाविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में आयोजित कृषि मेला में भाग लिया।
- मीडिया लैब एशिया, दिल्ली की टीम ने CPGS, बारापानी और CHSc के 9 विशेषज्ञों को CPGS बारापानी में IIDS 2.0 पर प्रशिक्षण दिया गया।
- दिल्ली और बारापानी की m4agriNEI टीम ने कृषि सचिव, मेघालय सरकार से मुलाकात की और परियोजना और राज्य कृषि विभाग से आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में कृषि और बागवानी के निदेशकों ने भी भाग लिया। यह निर्णय लिया गया कि राज्य कृषि विभाग की एक टीम m4agriNEI प्रयोगशाला पर जाकर परियोजना के काम पर अनुभव हासिल करेगी और उसी पर आधारित, भविष्य में कार्रवाई की जाएगी।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में m4agriNEI के विस्तार करने की संभावनाओं की खोज के लिए सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार, और एमडी और सीईओ, मीडिया लैब एशिया के साथ बैठक हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और उत्तर–पूर्वी परिषद्, शिलाँग की एक टीम ने कार्यक्रमों की निगरानी के लिए बारापानी में m4agriNEI प्रयोगशाला की यात्रा की और उनके कार्यक्रमों के लिए उसके अभिग्रहण और उपयुक्तता की जानकारी दी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने IIDS ढांचे को अपनी योजनाओं जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र NERLP और NORCORMP के अंतर्गत लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए उपयोगी पाया। आगे की चर्चा प्रगति पर है।
- री–भोई, पूर्व खासी पहाड़ियों और पश्चिम खासी पहाड़ियों के जिलों से 500 m4agriNEI किसानों ने NEH क्षेत्र, उमियम, मेघालय के लिए ICAR RC में आयोजित 'पारंपरिक कृषि और पूर्वोत्तर भारत के स्वदेशी खाद्य' पर 3 दिन की प्रदर्शनी–सह–कार्यशाला में भाग लिया।
- 'ओस्टर मशरूम खेती' पर गारो पहाड़ी जिले के 10 विभिन्न गांवों अर्थात मेन्गाककग्रे, आलबालग्रे, अमाकग्रे, समंघलग्रे, डेन्गासी, डोरंबोक, हरिगांव, असिमग्रे, बोलगंग्रे और वकाटैगरे में प्रदर्शन किया गया।
- सीएयू द्वारा जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के तहत परियोजना द्वारा 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम (जैसे, पॉलीहाउस + वर्मीकंपोस्टिंग + मशरूम, मछली पालन, खरगोश पालन, मुर्गी और बत्तख पालन, दुधारू मवेशी, सूअर पालन , धान / वनस्पति फसलें) चलाए जा रहे हैं जिससे विभिन्न क्षेत्र के तहत 219 किसानों को इसका लाभ हुआ।
- सीएयू, इम्फाल, मणिपुर की जनजातीय उप योजना के तहत लगभग 250 से अधिक m4agriNEI किसानों को विभिन्न आदानों (बतख (50), खरगोश (60), मुर्गी (450), डेयरी मवेशी (11), सूअर (60), धान के बीज (45 किलोग्राम), मटर (16 किस्म), मक्का के बीज (1000), स्प्रेयर पंप (30) इत्यादि के साथ लाभ हुआ।
- परियोजना अन्वेषक (पीआई) CHSc, तुरा द्वारा 8 वें राष्ट्रीय विस्तार शिक्षा अधिवेशन – 2017, हैदराबाद में 'मेघालय के गारो जनजातीय किसानों के लिए पोषण संवेदनशील कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन आधारित मत्स्य सलाहकार सेवाओं का विकास' पर एक प्रस्तुति दी गई। पेपर को पेश करने के लिए पीआई को 'बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड' मिला।

मेघालय के सभी जिलों में m4agriNEI विस्तार के लिए मेघालय बेसिन विकास प्राधिकरण (MBDA) और मीडिया लैब एशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हुये

2.5. "पुनर्भवः™" (www.punarbhava.in) – विकलांगता के क्षेत्र में वेब पोर्टल

मीडिया लैब एशिया 2008 से इस पोर्टल का संचालन कर रहा है जिसका उदेश्य एक ही जगह पर विकलांगता के विभिन्न पहलुओं जैसे कि वैध साधनों, सहायक उपकरणों, ब्लॉग्स, सुलभ सामग्री, नवीनतम समाचार, घटनाक्रम, रोजगार के अवसर, प्रकाशन, हेल्पलाइन इत्यादि से संबंधित सूचना का प्रसार करना है। इस वेब पोर्टल से विकलांगों (दिव्यांगों), गैर सरकारी संगठनों, पेशेवरों, नीति निर्माताओं, छात्रों, अभिभावकों, समुदाय के कार्यकर्ताओं अन्य हितधारकों को विकलांगता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है। सुगमता के लिए इसमे फॉन्ट आकार एवं रंग बदलने का विकल्प है और यह W3C दिशा–निर्देशों का पालन करता हैं। पोर्टल पर जानकारी भिन्न–भिन्न अनुभागों में है। पोर्टल को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है एवं वर्ष के दौरान औसत दैनिक हिट में 8000 से 12000 तक की वृद्धि हुई।

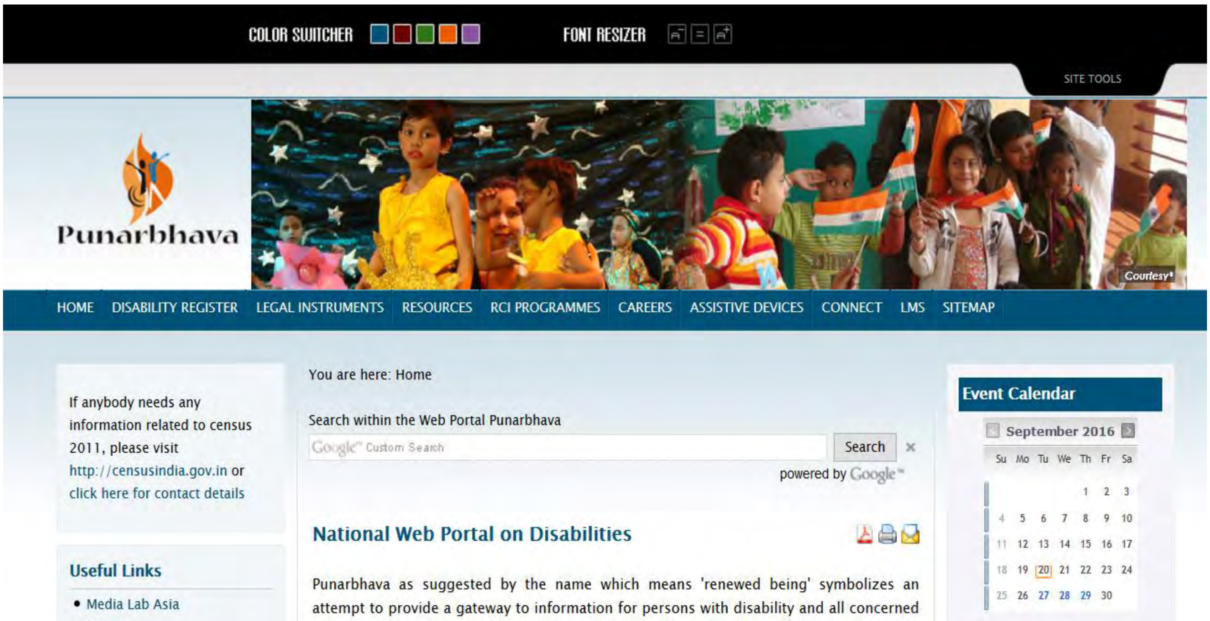

"पुनर्भवः™ *होम स्क्रीन*

2.6. "पुनर्ज्जनी™" (www.punarjjani.in) – मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के मूल्यांकन में विशेष शिक्षकों की सहायता के लिए वेब आधारित टूल

वेब आधारित एकीकृत मूल्यांकन टूल, पुनर्ज्जनी™, सीडैक, तिरुवनंतपुरम के सहयोग से विकसित किया गया है जो 6–18 वर्ष के आयु वर्ग के मानसिक विकलांग बच्चों में सरल, कुशल, त्वरित और नियमित मूल्यांकन के लिए विशेष शिक्षकों के लिए उपयोगी है। विशेष शिक्षकों के लिए मानसिक विकलांग बच्चों का विस्तृत आकलन और प्रोग्रामिंग रिकॉर्ड को बनाए रखना और उसके साथ उसका स्वयं विश्लेषण करना एक समय लेने वाली और बोझिल प्रक्रिया हैं।

पुनर्ज्जनी™ टूल डिजिटलीकरण और तीन मानक कारकों अर्थात FACP (कार्यात्मक मूल्यांकन चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग), BASIC-MR (मानसिक मंदता वाले भारतीय बच्चों के लिए व्यवहार मूल्यांकन मापदंड), MDPS(मद्रास विकास प्रोग्रामिंग सिस्टम) जो की व्यापक रूप से इस्तमाल होते हैं का एकीकरण करके शिक्षकों को अपना समय बचाने में मदद करता है।

पुनर्ज्जनी का डेशबोर्ड

यह मीडिया लैब एशिया के मुंबई कार्यालय में सर्वर पर इंटरनेट के माध्यम से होस्ट किया गया है। टूल पर 21 प्रशिक्षण कार्यशालायें आयोजित की गई जिसमें 820 विशेष शिक्षकों, जो की 485 से अधिक विशेष विद्यालयों एवं 122 सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए) ब्लॉको का प्रतिनिधित्व करते है, को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यशालाओं के दौरान, शिक्षकों ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष रूप से हिंदी में टूल की उपलब्धता की मांग की । टूल का हिंदी संस्करण विकसित किया गया है और इसका इन–हाउस परीक्षण किया गया है।

2.7. हृदय की दर–परिवर्तनशीलता (HRV) विश्लेषण के लिए केंद्रीकृत प्रणाली

परियोजना एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से मीडिया लैब एशिया द्वारा क्रियान्वित कि जा रही हैं जिसका उद्देश्य HRVA प्रौद्योगिकी को दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाना एवं HRV टूल को अधिक सूचनात्मक और उन्नत तरीके से उपलब्ध कराना है जिससे डॉक्टरों, शोधकर्ताओं, स्वास्थ्य प्रदाताओं, पेशेवरों, आमलोग और समुदायों को उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने मे सुगमता हो।

HRV हृदय कि दर में बीट–टू–बीट परिवर्तन का माप है तथा सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों और रोगियों में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में उतार–चढ़ाव की भूमिका का आकलन करने के लिए मानव शरीर का महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक है। HRV वो निदान जानकारी प्रादान करता है, जो स्वतंत्र पारंपरिक जोखिम कारकों से परे है। केंद्रीकृत HRV, openCPU और R का उपयोग करके विकसित पुनरुत्पादनीय और सहयोगी अनुसंधान मंच के माध्यम से चिकित्सा समुदाय को सशक्त बनाता है। बेंचमार्किंग, नैदानिक उपयोगिता और नीति बनाने के लिए प्रणाली एचआरवी और संबंधित स्वास्थ्य पर डेटाबेस बनाता है।

सीएचआरवी यूजर इंटरफेस और सांख्यिकी

एम्स, दिल्ली में cHRV का प्रदर्शन और हैंड्स–ऑन कार्यशाला

वर्ष के दौरान, शोधकर्ताओं और हेल्थकेयर पेशेवरों के लिए यूजर इंटरफेस (यूआई), वर्चुअलाइजेशन, openCPU, R, डाटाबेस एण्ड एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क विकसित किया गया। प्रणाली को निम्न विशेषताओं को शामिल करते हुये डिजाइन और विकसित किया गया (i) सूचनात्मक इंडेक्स पृष्ठ, (ii) उपयोगकर्ता पंजीकरण और प्रबंधन, (iii) उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, (iv) R में बीट टू बीट डेटा विश्लेषण एल्गोरिथ्म (HRV_Soft, AIIMS के साथ बेंचमार्क किया गया), (v) रोगी / विषय प्रबंधन (स्वयं और रेफरल), (vi) सांख्यिकी और विश्लेषिकी, (vii) व्यापक HRV विश्लेषण रिपोर्ट, (viii) विविध वेंडर डेटा विश्लेषण, और (ix) डेटा का आयात और निर्यात। एम्स, दिल्ली में 27 मार्च, 2017 को सीएचआरवी पर हैंड्स–ऑन वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां 60 स्वास्थ्य पेशेवरों को परीक्षण के लिए सिस्टम में पंजीकृत किया गया और शोध और नैदानिक उपयोगिता के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त की गई।

2.8. बधिर व्यक्तियों के लिए विजुअल स्पीच ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर (VSTS)

वीएसटीएस परियोजना को आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता के साथ बधिर व्यक्तियों के भाषण प्रशिक्षण के लिए लिया गया है।

सुनने मे असमर्थ बच्चों को श्रवण प्रतिकृया की कमी और होंठ पढ़ने और दर्पण के माध्यम से आंतरिक आर्टिकुलर के आंदोलनों को समझने में असमर्थता के कारण भाषा को समझने में कठिनाई होती है। वीएसटीएस सिग्नल प्रोसेसिंग इंजिन का इस्तेमाल करते हुए भाषण संकेतों की रिकॉर्डिंग और विश्लेषण करने के लिए एक एप्लिकेशन है और स्वर और स्वर–जैसे ध्वनियों के लिए दृश्य प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए कृत्रिम प्रयासों की मुख्य विशेषताएं प्रदर्शित करता है। यह स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक शिक्षण उपकरण है जिसमें स्पेक्ट्रोग्राफ समेत अभिव्यक्ति के स्थान और तरीके को समझना है। इस उपकरण का उपयोग कक्षाओं में त्रुटियों को अभिव्यक्त करने या सुनवाई संबंधी रोगियों / बच्चों की अभिव्यक्ति त्रुटियों के प्रदर्शन के लिए किया जा सकता है।

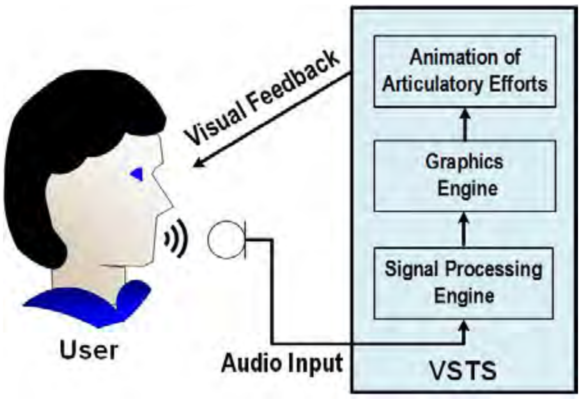

वीएसटीएस का खाका

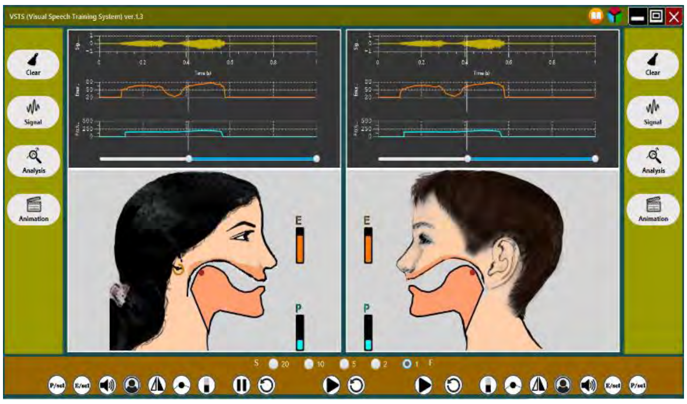

वीएसटीएस का प्रयोक्ता इंटरफेस

वर्ष के दौरान, अवधारणा का प्रदर्शन किया गया और जरूरतों को (i) संस्थानों और अस्पतालों सेः अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियर डिसेबिलिटी, मुंबई, ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी विभाग, नायर अस्पताल, मुंबई, ईएनटी विभाग, एम्स, दिल्ली और स्कूल ऑफ ऑडियोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, भारती विद्यापीठ, पुणे (ii) सुनने मे असमर्थ के लिए

स्कूलः वायएमसीए के गारलैंड क्रेग मेमोरियल स्कूल फॉर द डेफ, पुणे, महाराष्ट्र फेलोशिप फॉर डेफ, पुणे, महावीर रेजिडेन्शियल डेफ एंड डंब स्कूल, पुणे से इकट्ठा किया गया।

वीएसटीएस का पायलट परीक्षण (i) वायएमसीए के स्कूल फॉर डेफ और (ii) महाराष्ट्र फेलोशिप फॉर बधिर, पुणे

वर्ष के दौरान, वीएसटीएस v.1.1, v.1.2 और v.1.3 को डिजाइन और विकसित किया गया, इन सुविधाओं को शामिल करके, अर्थात रू (i) भाषण चिकित्सा में विशेषज्ञों की जानकारी के अनुसार जावा में ग्राफिक फ्रेमवर्क (ii) मैटलैब आधारित बॅक–एंड सिग्नल प्रोसेसिंग इंजिन और जावा–आधारित यूजर इंटरफेस का एकीकरण (iii) मैटलैब–आधारित बैक–एंड इंजन से क्षेत्र मान मैट्रिक्स से जावा में बहुभुज–आधारित एनिमेशन इंटरफेस (iv) ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पट्टी पर रंग–स्वतंत्र दृश्यता और सरल कार्यप्रणाली के लिए आइकोन्स (v) रिकॉर्डिंग और लोडिंग कार्यों रू लोड, रेकॉर्ड, सिलैक्ट, रीसेट, प्ले, सेव, और प्रोसीड को एकीकृत करने के लिए श्सिग्नलश मॉड्यूल (vi) एनीमेशन विशेषताएंरू सेगमेंट चयन, प्ले / पॉज / मूव / रीसेट, पीओए एंफासीजर, पिच और एनर्जी बार, फेस मिररिंग, फेस सिलैक्ट, एनीमेशन प्रोग्रेश इंडिकेटर और स्पीड कंट्रोल और (vii) रिकॉर्ड किए गए ध्वनियों के लिए 'recorded_sounds' फोल्डर के अंदर तारीख और समय के साथ एक से"ान के रूप में सबफोल्डर।

माननीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद और माननीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राज्यमंत्री श्री पी.पी. चौधरी, ने आई.आई.टी, मुंबई में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स शिखर सम्मेलन 2016 में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन स्टाल का दौरा किया।

VSTS v.1.2 और v.1.3 का (i) AYJNISHD, मुंबई, (ii) नायर अस्पताल, मुंबई, (iii) भारती विद्यापीठ, पुणे, (iv) वायएमसीए के गारलैंड क्रेग मेमोरियल स्कूल फॉर द डेफ, पुणे, (v) महाराष्ट्र फेलोशिप फॉर डेफ, पुणे और (vi) महावीर रेजिडेन्शियल डेफ एंड डंब स्कूल, पुणे में 35 भाषण पेशेवरों द्वारा पायलट परीक्षण किया गया। इस उपकरण का उपयोग सुनने में असमर्थ 50 बच्चों के 500 भाषण ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए किया गया।

इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय, भारत सरकार ने 22 और 23 सितंबर 2016 को मुंबई में आईआईटी पवई में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नवाचार शिखर सम्मेलन 2016 का पहला संस्करण लॉन्च किया। मीडिया लैब एशिया ने शिखर सम्मेलन में सीएचआरवीए और वीएसटीएस का प्रदर्शन किया।

2.9. सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादेमी (आईटीआरए)

आई.टी.आर.ए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक सक्षम कार्यक्रम है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आई.टी. को पूरे भारत में संबंधित संस्थानों में उसके अनुप्रयोगों में विकास व अनुसन्धान को बढ़ाते हुए राष्ट्रीय संसाधन के निर्माण में मदद करता हैं। पांच वर्ष के 'आईटीआरए प्रोजेक्ट' का कार्यान्वयन 148.83 करोड़ कुल बजट के साथ मीडिया लैब एशिया को सौंपा गया, जो नवंबर 2010 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई टी मंत्रालय, भारत सरकार ने दिया था। इसके बाद आईटीआरए का कार्यकाल दिसंबर 2018 तक बढ़ाया गया। आईटीआरए मीडिया लैब एशिया के एक विभाग के तौर पर कार्य कर रहा है।

आई.टी.आर.ए को आई.टी. क्षेत्र में उन शोधकर्ताओं की संख्या बढाना है जिन्हें नवीनतम आई.टी ज्ञान हो, समाधान करने के लिए सम्बंधित विषय वस्तु में शिक्षित हो, आईटी समाधान के लिए समस्याओं को समझने में प्रशिक्षित हो, आई.टी में सामाजिक

समस्याओं और अन्य क्षेत्र की पहचान कर सकता हो एवं प्रयोगशाला समाधान को व्यावहारिक प्रतिकृति में परिवर्तित करने में समर्थ हो। आई.टी.आर.ए का उद्देश्य पी.एच.डी उपाधि प्रदान करने की राष्ट्रीय क्षमता में वृद्धि करना है जो शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण का कार्य कर सके तथा बड़े पैमाने पर उद्योग और समाज की जरूरतों का पूरा कर सके। संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आई.टी.आर.ए निम्नलिखित कार्यप्रणाली का उपयोग करता है :

क.) प्रख्यात विशेषज्ञों को उभरते क्षेत्रों में विकास व अनुसन्धान को उपदेश देने के लिए और आई.टी.आर.ए संस्थानों / फैकल्टीयों के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया।
ख.) निष्पादन को जानने के लिए फैलोशिप, पुरस्कार, प्राध्यापकी, आदि प्रदान किया जाता है।
ग.) शोधकर्ताओं को आधुनिक सुविधाओं, सर्वोत्तम प्रणालियों और सदस्यता के लिए तैयार किया जाता है।
घ.) सामाजिक संवेदनशीलता को समझते हुए रचनात्मकता और नवीन पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया।
ङ.) कार्यप्रणाली को इस तरह परिभाषित किया गया है जिससे कि दलों द्वारा विकसित योग्य प्रौद्योगिकियों को कंपनियों, आदि के लिए हस्तांतरण हो सके।

ITRA ने अब तक मुख्यता 4 क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया हैं जो कि हैंरू "मोबाइल कम्प्यूटिंग, नेटवर्किंग और अनुप्रयोग (ITRA Mobile), जल संसाधन स्थिरता मे आईटी आधारित नवाचार (ITRA-Water), भारतीय कृषि स्थिरता में आईटी आधारित परिवर्तन (ITRA-Ag&Food), अमीलोइड्स संबंधित रोगो के लिए मानव सिम्युलेटर (ITRA-HuSim)" है।

ITRA-Mobile:

ITRA अपने अनुसंधान के क्षेत्र 'ITRA-Mobile' से स्वास्थ्य, परिवहन और आपदा प्रबंधन में आईटी अनुप्रयोगों पर कार्य कर रहा है। परियोजनाएं 33 संस्थानों में चल रही हैं, जिसमे 64 संकाय और 98 पीएच.डी. छात्र शामिल हैं।

1. ITRA-Mobile शोधकर्ता ने नेस्काम प्रोडक्ट कॉन्क्लेव 2016 बैंगलोर में अपने प्रोटोटाइप पेश करते हुए 2. मूल्यांकन कार्यशाला 2017, बैंगलोर में मौजूद टीमें 3. मूल्यांकन कार्यशाला 2017, बंगलौर में एक छात्र द्वारा प्रस्तुति 3. प्रोफेसर सुनील कुमार (समीक्षा पैनल के सदस्य) आईआईआईटी हैदराबाद में फीडबैक कार्यशाला 2016 के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, ITRA-Mobile अनुसंधान समुदाय ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति के पत्रिकाओं में 107 शोध पत्र प्रकाशित किए, 28 पाठ्यक्रम विकसित / संशोधित किए गए और 118 कार्यशालाएँ संबंधित संस्थानों में आयोजित की गई। 7 शोधकर्ताओं को विविध वार्तालाप और सहयोग के लिए विदेशों में तैनात किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजनाओं का दो बार मूल्यांकन किया गया, जुलाई 2017 तक कई परियोजनाओं की परियोजना अवधि बढ़ा दी गई।

ITRA-Mobile टीम 11 तरह की अवधारणा (पीओसी) प्रोटोटाइप और व्यावसायीकरण (स्टार्ट–अप या टीओटी) के लिए संभावित प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और अन्य संभावित हितधारकों को अपनी तकनीक दिखाने के लिए, छह पीओसी टीमों को नॅसकॉम प्रोडक्ट कॉन्क्लेव– 2016 में बेंगलुरु में आमंत्रित किया गया था। एनपीसी 2016 के दौरान इन प्रौद्योगिकियों की अत्यधिक सराहना हुई।

ITRA-Water:

1. केआईआईटी विश्वविद्यालय में फीडबैक कार्यशाला 2016 के दौरान ग्रिडेसैन्स टीम द्वारा प्रस्तुतिकरण 2. आईआईटी खड़गपुर में मूल्यांकन कार्यशाला 2016 के प्रतिभागी 3. आईआईटी खड़गपुर में मूल्यांकन कार्यशाला 2016 के दौरान आईटीआरए–वॉटर टीम के सदस्यों 4. केआईआईटी विश्वविद्यालय में फीडबैक कार्यशाला 2016 के दौरान आईटीआरए–वॉटर टीमों के तहत छात्रों द्वारा पोस्टर प्रदर्शन 5. आईआईटी खड़गपुर में मूल्यांकन कार्यशाला 2016 के दौरान समीक्षा समिति के सदस्यों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा में छात्र पैनल

ITRA अपने अनुसंधान के क्षेत्र 'ITRA-Water' में सभी क्षेत्रों के लिए जल के स्थायी समाधान के बहुमुखी चुनौती पर ध्यान दे रहा है। परियोजना 23 संस्थानों में चल रही हैं, जिसमे 33 संकाय और 38 पीएच.डी. छात्र शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, ITRA-Mobile अनुसंधान के अर्न्तगत समुदाय ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति के पत्रिकाओं में 31 शोध पत्र और सम्बंधित संस्थानों में 73 पाठ्यक्रम विकसित/संशोधित किये, 51 कार्यशालाएँ आयोजित की। 3 शोधकर्ताओं को विविध वार्तालाप और सहयोग के लिए विदेशों में तैनात किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजनाओं का दो बार मूल्यांकन किया गया, जुलाई 2017 तक कई परियोजनाओं की परियोजना अवधि बढ़ा दी गई।

ITRA-Water टीम 5 तरह की अवधारणा (पीओसी) प्रोटोटाइप और व्यावसायीकरण (स्टार्ट–अप या टीओटी) के लिए संभावित प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और अन्य संभावित हितधारकों को अपनी तकनीक दिखाने के लिए, 2 पीओसी टीमों को नॅसकॉम प्रोडक्ट कॉन्क्लेव– 2016 में बेंगलुरु में आमंत्रित किया गया था। एनपीसी 2016 के दौरान इन प्रौद्योगिकियों की अत्यधिक सराहना हुई।

ITRA-Ag&Food:

ITRA अपने अपने तीसरे अनुसंधान क्षेत्र 'ITRA-Ag&Food' से सहयोगी, बहु संस्थागत, अंतर–अनुशासनात्मक टीमों को बनाना हैं जो भारत में कृषि एवं खाद्य की वर्तमान उत्पादकता को आईटी के सहयोग से नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। नवंबर 2016 में, उत्तर पूर्व भारत में सूअरों और बकरियों के विभिन्न पहलुओं पर दो आरएंडडी टीम परियोजनाएं शुरू की गईं, जिसमें 45 शोधकर्ताओं के 14 संस्थान शामिल थे। आईटीआरए आईसीएआर से चार परियोजनाओं के संभावित वित्त पोषण पर भी काम कर रही है।

1. डॉ. आई. शकुंतला, प्राचार्य वैज्ञानिक, आईसीएआर आरसीएनईएच, बारापानी द्वारा स्वागत 2. डॉ. ए. बंदोपाध्याय, वरिष्ठ सलाहकार, ITRA-Ag&Food द्वारा टिप्पणी 3. डा. अर्नाब सेन पीआई, ImageIDGP परियोजना का प्रस्तुतीकरण 4. "ImageIDGP" और 'ई–वरहा' प्रोजेक्ट टीम के सदस्य।

ITRA-HuSim:

आईटीआरए ने अपने चौथे शोध क्षेत्र में ITRA-HuSim को मानव–शरीर–सिमुलेटर बनाने के लिए सहयोगी, बहु–संस्थागत, अंतर–अनुशासनात्मक टीमों को बनाने के लिए लिया था जो चिकित्सीय और नैदानिक विकल्पों के साथ चिकित्सकों की सहायता करेंगे। लेकिन आईटीआरए को धन की कमी और पीआरएसजी द्वारा दी गई सलाह के कारण, आईटीआरए ने इस क्षेत्र में परियोजना की गतिविधियां को स्थगित किया हैं।

2.10. इलेक्ट्रानिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने मीडिया लैब एशिया को इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और विनिर्माण (ESDM) एवं आई.टी / आई.टी.ई.एस आधारित सेवा क्षेत्रों में पीएचडी छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने नौ वर्षों की अवधि के लिए 466 करोड़ रुपए, 2015–16 में फेलोशिप में बढ़ोतरी के कारण संशोधन के साथ इस योजना को मंजूरी दी है।

उद्देश्य:

- इ.एस.डी.एम और आई.टी / आई.टी.ई.एस क्षेत्रों से प्रत्येक में 1500 अतिरिक्त छात्र को पीएचडी (500 पूर्णकालिक,1000 अंशकालिक) कराना (कुल : 3000 अतिरिक्त छात्र पीएचडी कराना)।
- योजना ऐसे 200 युवा फैकल्टियों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करेगी जो किसी उद्देश्य के साथ इ.एस.डी.एम और आई.टी / आई.टी.ई.एस के क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के विकास में कार्यरत है।
- योजना अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से बढ़ावा देने और बाजार के लिए नए उत्पादों के विकास के उद्देश्य के साथ मुख्य रूप से ऐसे विषय जो NPE और NPIT 2012 (ई.एस.डी.एम और आई.टी / आई.टी.ई.एस नीतियों) से प्रत्यक्ष सम्बद्ध है पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- संस्था के अतिरिक्त पीएचडी उम्मीदवारों को ही सहायता दी जाएगी। कोई भी सहायता पीएचडी के मौजूदा नामांकन के लिए नहीं हैं।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक 5 उम्मीदवारों में से अपेक्षित है कि एक उम्मीदवार अन्य एजेंसियों जैसे उद्योग / राज्य सरकार द्वारा समर्थित हो।

वित्तीय सहायता :

- पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवारों की फेलोशिप प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए ₹ 31,500 प्रति माह तथा तृतीय से पंचम वर्ष तक के लिए ₹ 35,000।
- पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवारों को उपभोग्य आदि के लिए वार्षिक आकस्मिक अनुदान ₹ 30,000 प्रति वर्ष।
- किराये की प्रतिपूर्ति : ऐसे पीएचडी उम्मीदवार के लिए जिन्हें आवास प्राप्त नहीं है या संस्थान से मिलने वाला आवास लिया नहीं है। प्रतिपूर्ति की राशि वास्तविक और एक नियत सीमा तक होगी जो पीएचडी उम्मीदवार द्वारा चुनी गई संस्था के स्थान से तय होगी। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार क्रमशः X,Y,Z वर्ग के शहरों के हिसाब से प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि फेलोशिप राशि की 30%, 20% या 10% होगी।
- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए समर्थनः दो प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवार को प्रत्येक के लिए अधिकतम ₹ 50,000 प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 1,000 भागीदारियों का समर्थन है जो योजना में परिभाषित मानदंडों पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है।
- अंशकालिक उम्मीदवारों जिन्हें कोई भी पीएचडी फैलोशिप/छात्रवृत्ति/वृतिका का लाभ केन्द्र या राज्य सरकार की ओर से नहीं मिला है उन्हें पीएचडी की डिग्री उपरांत एकमुश्त राशि 2.5 लाख रुपये प्रोत्साहन स्वरुप दी जाएगी।
- पीएचडी उम्मीदवारों को पंजीकृत करने वाली संस्थानों के लिएः
    - प्रयोगशाला उन्नयन/निर्माण, उपकरण आदि (भवन निर्माण/विस्तार को छोड़कर) के लिए लागत का 50%, अधिकतम 5 लाख रुपये प्रति पूर्णकालिक उम्मीदवार को इंफ्रास्ट्रक्चर अनुदान के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान एक बार के लिए ही मान्य होगा।
    - योजना के अंतर्गत संस्थागत ओवरहेड्स ₹ 25,000 प्रति वर्ष प्रति पूर्णकालिक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 5 वर्ष के लिए प्रदान किया जायेगा।
- युवा फैकल्टी रिसर्च फैलोशिप (YFRF): एक संस्थान को 5 पूर्णकालिक पीएचडी के लिए एक YFRF अनुदान दिया जाएगा।
- संस्थान में इस योजना के तहत समर्थित उम्मीदवार कोः
    - अधिकतम पांच वर्ष की लिए नियमित आय से इतर ₹ 20,000 प्रति माह की रिसर्च फैलोशिप प्रदान की जाएगी।
    - राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत करने और शोध कार्य के लिए 5 लाख रुपये के आकस्मिक/अनुसंधान अनुदान के साथ अन्य अनुसंधान खर्च भी अधिकतम 5 वर्ष के लिए प्रदान किया जायेगा।

समर्थन के लिए संस्था की पात्रता :

- राष्ट्रीय महत्व के सभी आई.आई.टी, एन.आई.टी, आई.आई.एस.सी, आई.आई.एस.ई.आर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ संस्थान व महाविद्यालय/संस्थान पात्र हैं।
- प्रांतीय अधिनियम, राज्य अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी डीम्ड विश्वविद्यालय, कालेजों जिन्हें कि पीएचडी कराने की अनुमति हो, तथा अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थान, को निम्नलिखित पात्रता मानदंड की आवश्यकता है :
    - संस्थान मे ई.एस.डी.एम/आई.टी/आई.टी.ई.एस में स्नातकोत्तर पहले से ही मौजूद होना चाहिए एवं इन क्षेत्रों में पीएचडी प्रदान की गई हो। इस योजना के अंतर्गत पीएचडी के छात्र यूजीसी प्रवेश के मानदंडों के अनुसार ही भर्ती हों एवं
    - संस्थान ई.एस.डी.एम और आई.टी/आई.टी.ई.एस कार्यक्रम के संबंध में ए.आई.सी.टी.ई एवं एन.बी.ए (प्रत्यायन का राष्ट्रीय संगठन) अथवा
    - एन.ए.ए.सी (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं यूजीसी के प्रत्यायन परिषद) द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

योजना की स्थिति

योजना को भारत के 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। योजना ने 16 आई.आई.टी, 22 एन.आई.टी, 9 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 6 डीम्ड विश्वविद्यालय, 7 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, 25 राज्य विश्वविद्यालय, 11 निजी संस्थानों शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 स्थिति और संचित स्थिति इस प्रकार है :

समर्थित संस्थान	संस्थानों की संख्या	अनुमोदित उम्मीदवार		स्वीकृत उम्मीदवार	
राज्य विश्वविद्यालय	25	168	87	153	63
निजी संस्थान	11	58	50	46	28
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	9	64	51	56	34
डीम्ड विश्वविद्यालय	5	51	15	47	13
आई.आई.टी	16	367	57	319	21
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	7	93	9	84	5
एन.आई.टी	23	285	81	265	26
कुल	**96**	**1086**	**350**	**970**	**190**

योजना के अंतर्गत मार्च 2017 तक कुल 1160 (970 पूर्णकालिक और 190 अंशकालिक) पीएचडी उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है।

युवा फैकल्टी रिसर्च फैलोशिप (YFRF) **(संस्थानों के फैकल्टी सदस्यों के लिए फैलोशिप योजना के तहत पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवार अनुमोदित होने के बाद) :**

1) 108 युवा फेकल्टी रिसर्च फेलोशिप को इस योजना के तहत प्रदान किया गया है।
2) 64 युवा फेकल्टी रिसर्च फेलो के लिए 55 संस्थाओं को फंड की पहली किश्त जारी की गई है।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए समर्थन

6.00 लाख रुपये की राशि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान के तहत मार्च 2017 तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी के लिए समर्थित संस्थानों को जारी की गई ।

शोध कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा

एकीकृत प्रकाशिकी, वायरलेस संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स , कम्प्यूटर विजन, चिप डिजाइन, सिग्नल प्रोसेसिंग, फाइबर ऑप्टिक्स इत्यादि के क्षेत्रों में 20 पीएचडी उम्मीदवारों (23 अगस्त 2016 को अपनी बैठक के दौरान शैक्षणिक समिति की उप–समिति द्वारा चुने गए), की समीक्षा करने के लिए प्रथम 'शोध कार्यशाला' का आयोजन 13 से 14 अक्टूबर 2016 को आईआईटी–बी, मुंबई में हुआ। इस कार्यशाला में 2014–15 के बैच के 150 पीएचडी उम्मीदवारों ने भाग लिया और एनकेएन ब्रॉडकास्टिंग द्वारा 96 समर्थित संस्थानों के करीब 900 शोधकर्ताओं ने इसे देखा।

श्री जॉर्ज अरकाल, निदेशक (प्रशासन और वित्त), मीडिया लैब एशिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए

21 पीएचडी उम्मीदवारों (6 फरवरी 2017 को हुई बैठक के दौरान शैक्षिक समिति की उप–समिति द्वारा चुने जाने वाली) के अनुसंधान कार्य की समीक्षा के लिए द्वितीय 'अनुसंधान कार्यशाला' 21 – 22 फरवरी 2017 को आईआईएससी, बैंगलोर में आयोजित की गई। अपने गाइड और युवा संकाय अनुसंधान अध्येताओं के साथ उम्मीदवारों ने कार्यशाला के दौरान जिसमे अपने अनुसंधान कार्यों को प्रस्तुत किया, इस कार्यशाला मे 2015–16 बैच के अन्य 170 पीएचडी उम्मीदवारों ने भी भाग लिया और NKN प्रसारण के माध्यम से 96 संस्थानों के लगभग 900 शोधकर्ताओं द्वारा देखा गया। MAIT, ELCINA, IESA और C-DAC के इंडस्ट्री पैनल ने भी भाग लिया। बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर एक सत्र प्रो प्रबुद्ध गांगुली ने दिया। आईसीटी जर्नल में सीएसआई लेनदेन का पहला अंक 2014–15 के बैच के 11 शोध पत्रों के साथ शुरू किया गया।

आईआईएससी, बैंगलोर में 21 – 22 फरवरी 2017 को आयोजित दूसरी अनुसंधान कार्यशाला के दौरान प्रस्तुति का मूल्यांकन करने वाला पैनल

- ❑ **योजना के लिए पोर्टल**

क.) सूचना का प्रसार :
- योजना के बारे में स्थिर सूचनाओं को प्रदर्शित करना, जैसे, योजना की मुख्य विशेषताएं
- गतिमान सूचनाओं को प्रदर्शित करना, जैसे, घोषणाओं, वर्तमान समाचार, नोटिस आदि

ख.) प्राप्त प्रस्तावों का प्रसंस्करण :
- संस्थाओं को उनके पंजीकरण और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अधिकार देना
- योजना के दिशा–निर्देशों के खिलाफ प्रस्तावों की जांच

ग.) योजना की निगरानी :
- योजना के तहत नामांकित उम्मीदवारों का ब्यौरा अपलोड करने के लिए संस्थानों को अधिकार देना
- योजना के अंतर्गत संस्थाओं, उम्मीदवारों और युवा फैकल्टी सदस्यों, उम्मीदवारों द्वारा प्रकाशित शोध पत्र एवं अनुसंधान क्षेत्र का ब्यौरा प्रदर्शित करने के लिए एक डैशबोर्ड है

अधिक जानकारी के लिए कृपया http://phd.medialabasia.in देखें

3. राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)

कार्यक्रम प्रबंधन और निगरानी – NeGD, MeitY के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रबंधन में निम्नलिखित गतिविधियों के उपक्रम द्वारा मदद करता है।

- **मासिक प्रगति रिपोर्ट (MPR)** – डिजिटल इंडिया पहल की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए डिजिटल भारत पर मासिक प्रगति रिपोर्ट कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जा रही है।

- **डिजिटल इंडिया पोर्टल** – NeGD ने डिजिटल इंडिया पोर्टल के डिजाइन एवं विकास में सहयोग करता हैं। यह कार्यक्रमों, विभिन्न घटकों के तहत प्रगति और नागरिकों और हितधारक के लिए विभिन्न सुविधाओं की जानकारी प्रदान करता है। पोर्टल NeGD द्वारा संभाला जा रहा है।

- **डिजिटल इंडिया बैठक के लिए शीर्ष समिति** – NeGD डिजिटल इंडिया पर शीर्ष समिति को समर्थन करता हैं। NeGD बैठक के आयोजन में जो कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में होती हैं में पूर्ण संपर्क, प्रबंधन और सचिवीय सहायता प्रदान करता हैं। NeGD बैठकों के दौरान किए गए निर्णयों के संबंध में की गई कार्रवाई पर भी निगरानी रखता हैं।

- **आईटी राज्य मंत्रियों / आईटी सचिवों के साथ बैठक** – राज्य स्तर पर डिजिटल इंडिया की प्रगति पर आयोजित आईटी राज्य मंत्रियों / आईटी सचिवों के साथ बैठक में NeGD एक सचिवालय के रूप में कार्य करता हैं।

ई–क्रांति :

ई–क्रांति, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ, 25 मार्च, 2015 को कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया। ई–क्रांति में 44 मिशन मोड परियोजनाएं (MMPs) हैं। NeGD सभी MMPS मंत्रालयों/विभागों के साथ उनकी परियोजना से संबंधित प्रगति और चुनौतियों के बारे में समन्वय करता है। NeGD परियोजना मूल्यांकन, डीपीआर, आरएफपी और अवधारणा पत्र को अंतिम रूप देने के मामले में तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

डिजिटल इंडिया / ई–क्रांति और अन्य ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के अंतर्गत MMPs :

सभी ई–क्रांति परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन MeitY के द्वारा किये जा रहें है। 2016–17 के दौरान वे उल्लेखनीय प्रस्ताव जिनका NeGD के माध्यम से आकलन/सहायता की गई है :

- परियोजना 'विकलांग व्यक्तियों के लिए सर्वव्यापक पहचान'
- राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार के तहत प्रस्तुत प्रस्ताव
- कृषि 2.0 एमएमपी की डीपीआरई–टपकींद एमएमपी पर डीपीआर
- ई–व्यापार और एकल खिड़की प्रणाली कस्टम के बीच तालमेल
- शिक्षा डोमेन के लिए मेटाडाटा और डेटा मानक
- श्रम और रोजगार मंत्रालय से परियोजना 'राष्ट्रीय कैरियर सेवा'
- ई–न्यायालयों एमएमपी का द्वितीय चरण
- परियोजना सूचना प्रबंधन प्रणाली (PMIS)

डिजिटल इंडिया से सम्बंधित राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालायें :

डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत, सरकारी अधिकारियों, उद्योग और शिक्षा के साथ निम्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गए। उल्लेखनीय इस प्रकार हैं :

- डिजिटल लॉकर पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला
- डिजिटल भारत के अंतर्गत क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला
- डिजिटल पहचान और वित्तीय समावेशन के साधन के रूप में मोबाइल पर राष्ट्रीय कार्यशाला
- डिजिटल भारत के अंतर्गत जीआईएस (भू–स्थानिक सूचना प्रणाली) और निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2016 के दौरान जिसमे 4 सेमिनार, 7 पैनल चर्चा और 28 मानव कहानियां सहित डिजिटल भारत मंडप को आयोजित किया गया।
- सुशासन सप्ताह जो कि कई ई–गवर्नेंस परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्योग के लिए लैब से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और उत्पादों के प्रदर्शन को दर्शाता है।
- राज्य और केंद्रीय नोडल अधिकारियों, राज्य और केंद्रीय मिशन मोड परियोजनाओं में साइबर सुरक्षा / सूचना सुरक्षा संबंधी काम से निपटने के लिए एक दिन राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला
- विश्वविद्यालय कार्यशालाएं 2016

भुगतान गेटवे – NeGD सक्रिय रूप से अपने PayGov-India परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा हैं और MeitY को उसके कार्यक्रम के प्रबंधन में सहायता कर रहा है। परियोजना को 72 विभागों/एजेंसियों में कार्यान्वित किया जाता है और अन्य विभागों और राज्यों के लिए बढ़ाया जा रहा है।

डिजिटल लॉकर – NeGD सक्रिय रूप से डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म का कार्यान्वयन कर रहा है जो कागज रहित शासन के विचार पर लक्षित है और डिजिटल तरीके से दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्र के जारी करने और सत्यापन के लिए प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करता हैं। उपयोगकर्ता जो डिजिटल लॉकर खाते के लिए साइन अप करते हैं उन्हें एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस मिलता है जो कि उसके आधार (यूआईडीएआइ) से जुड़ा होगा। वर्तमान में, 40 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने प्लेटफार्म पर अपना पंजीकरण किया हैं जिन्होंने 54 लाख दस्तावेजों को अपलोड किया जबकि 54 करोड़ से अधिक दस्ताबेजों को जारी किया गया हैं।

तीव्र मूल्यांकन प्रणाली (आरएएस) – NeGD ने विभिन्न साधनो जैसे – वेब, एसएमएस, आईवीआरएस, यूएसएसडी आदि के माध्यम से केन्द्रीय/राज्य विभागों/एजेंसियों द्वारा ई–गवर्नेंस सेवाओं से संबंधित सेवाधारकों की प्रतिक्रिया को सहेजने के लिए एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया है। आर.ए.एस का लक्ष्य प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण की सुविधा प्रदान कर उसमे निहित सार निकालकर संबंधित विभागों/एजेंसियों को उनकी ई–गवर्नेंस सेवा प्रदान करने की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करना हैं। आरएएस 25 मई 2016 को लाइव कर दिया गया था और 15 राज्यों में पहले से ही शुरू किया जा चुका है। अब यह 239 सेवाओं के साथ 45 सरकारी विभागों द्वारा अपनाया गया है। 13,85,056 अनुरोधों का अब तक कुल भेज दिया गया है।

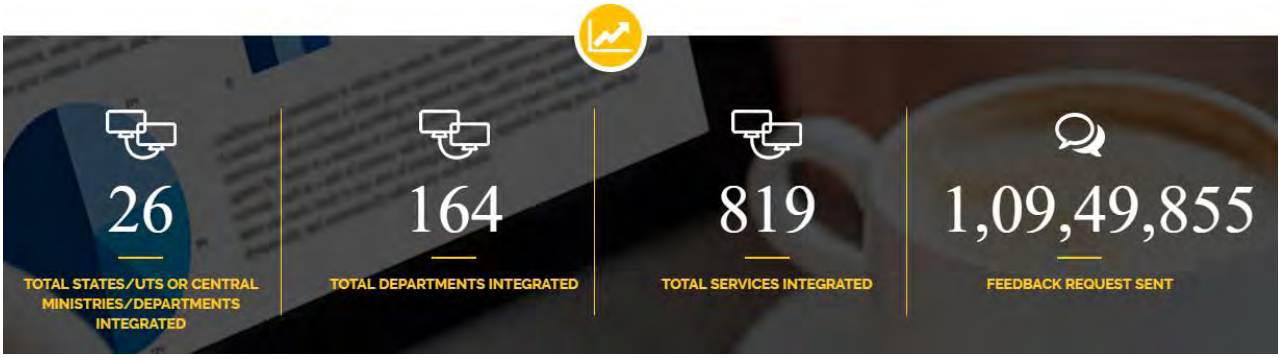

भू–सूचना विज्ञान के राष्ट्रीय केंद्र (NCoG) – NeGD भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) को NCoG माध्यम से लागू कर रहा है जो 28 दिसंबर, 2015 को शुरू किया गया था। NCoG का उद्देश्य देश भर में केन्द्र/राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को साझा करने, सहयोग करने, स्थान के आधार पर एनालिटिक्स और निर्णय समर्थन प्रणाली को उपयोग करने, जीआईएस आधारित DSS सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ओपन सोर्स और स्केलेबल जीआईएस प्रणाली प्रदान करना हैं। वर्तमान में, दस एप्लिकेशन्स को 3 राज्यों सहित 8 केंद्रीय विभागों मे NCoG के तहत लागू किया गया है।

ई–गवर्नेन्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICeGOV) – थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेन्स (ICeGOV) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का **10** वां संस्करण NeGD और यूनेस्को के सहयोग से पॉलिसी प्रेरित इलेक्ट्रोनिक गवर्नैंस (UNU-EGOV) पर संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑपरेटिंग यूनिट द्वारा, डमपजल के तत्वाधान और संरक्षण के तहत भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया। श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय केन्द्रीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कानून एवं न्याय मंत्री ने सम्मेलन की अध्यक्षता की साथ में पुर्तगाल की श्रीमती मारिया मैनुअल लैताओ मारकस, राष्ट्रपति कार्यालय और प्रशासनिक आधुनिकीकरण की माननीय मंत्री, ने सह–अध्यक्षता की । ICeGOV2017 होटल अशोक, नई दिल्ली में 7–9 मार्च 2017 तक हुआ, जिसमें 10 मार्च को एक डॉक्टरेट कॉलोक्वियम था। सम्मेलन का विषय ''बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटीज : डिजिटल सरकार से डिजिटल सशक्तीकरण'' था।

ICeGOV श्रृंखला प्रौद्योगिकी, प्रशासन और विकास के मिलन पर केंद्रित है। ICeGOV17 भारत से बड़ी संख्या मे सरकारी प्रतिभागियों की भागीदारी सहित 50 से अधिक देशों के 1200 से अधिक प्रतिभागियों को लाया। 2017 संस्करण को 3 अक्टूबर 2016 की अंतिम तिथि तक रेकॉर्ड संख्या में शोध पत्र प्रस्तुतियां (560, जो पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 3 गुना अधिक है) प्राप्त हुई । ये शोध पत्र 40 से अधिक विभिन्न देशों के लेखकों द्वारा लिखे गए थे। अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा कई समीक्षाओं के आधार पर, सम्मेलन में प्रस्तुति के लिए 12 अलग–अलग ट्रैक (विषयों) और 40 पोस्टर के 71 पत्रों का चयन किया गया। ICeGOV17 6 प्रमुख व्याख्यान और 4 पूर्ण चर्चाओं के साथ समृद्ध तरीके से संचालित हुआ, जिसमें एक साथ टुकड़ो में समानांतर सत्र शामिल थे, जिसमें 12 विषयों पर पेपर प्रस्तुतियां, 12 आमंत्रित सत्र और 6 विशेष कार्यक्रम शामिल थे। पोस्टर प्रदर्शनी, उद्योग प्रदर्शनी और सांस्कृतिक समापन ने प्रस्तुतकर्ताओं और दर्शकों दोनों के लिए अनुभव को और बढ़ा दिया।

एक अन्य उपलब्धि यह रही कि बड़ी संख्या में संस्थागत साझेदारी जिसने सम्मेलन चलने तक अत्यधिक संवर्धन लाएँ। 8 अकादमिक साझेदार बोर्ड पर थे।

सम्मेलन एक उच्च नोट से शुरू हुआ, जिसका स्तर सभी दिनों में निरंतर बना रहा, और समाप्त भी एक उच्च नोट पर ही हुआ । डिजीटल इंडिया और ICEGOV के पोर्टल digitalindia.gov.in/ और icegov.org पर क्रमशः विवरण ऑनलाइन देखा जा सकता है।

सरकार ई–मार्केट प्लेस (जीईएम) – भ्रष्टाचार को दूर करने और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए यह शासन की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। जीईएम पर किए गए खरीद में करीब 10 प्रतिशत बचत की गई है। विश्व बैंक सार्वजनिक खरीद में भारत के नवाचार का अध्ययन कर रहा है।

विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की ऑन लाइन खरीद की सुविधा के लिए भारत सरकार ने एक स्थान सरकारी ई–बाजार बनाया है। यह पोर्टल राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस डिवीजन (एनएजीडी), इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आपूर्ति एवं निपटान के महानिदेशक (डीजीएस एंड डी) द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल 9 अगस्त 2016 को श्रीमती निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग की माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। डिजिटल ईकाई प्रोग्राम के तहत सरकार का ई–मार्केट प्लेस एक और पहल है जो कि ''ईज ऑफ डूइंग बिजनस'' एवं ''मेक इन इंडिया'' को और भी मजबूत करेगा।

जीईएम प्लेटफार्म प्रतियोगी स्पर्धी मूल्य पर खरीद में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता की सुविधा देता है। यह प्लेटफाम, आधार, पैन, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली, पीएफएमएस, पेमेंट गेटवेज आदि के साथ एकीकृत है और इसमें सरकारी खरीदारों और विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए आसान पंजीकरण प्रक्रिया की सुविधा है। सरकारी खरीदार सीधे बोली और उत्क्रम नीलामी के माध्यम से वस्तु और सेवाएं खरीद सकते हैं या खरीद सकते हैं। यह पोर्टल विक्रेताओं / सेवा प्रदाताओं को अपने उत्पादों को बेचने या प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी विभागों तक आसानी से पहुंच पाने का अवसर प्रदान करता है। इससे सरकार विभागों को अपने विक्रेताओं / सेवा प्रदाताओं को उत्पादों या सेवाओं की खरीद के लिए तेजी से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने में मदद मिलेगी।

देश भर में 28,954 से अधिक विक्रेता, 10,183 खरीदार संगठनों को एयर कंडीशनर, प्रिंटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पानी की बोतलें इत्यादि सहित 140,407 प्रकार के उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं । परिवहन सेवाओं, स्कैनिंग और डिजिटलीकरण सेवाएं, आईटी पेशेवर सेवाओं आदि सहित 17 विभिन्न प्रकार की सेवाओं की पेशकश की जा रही है और अधिक से अधिक माल और सेवाएं तेजी से पेश की जा रही हैं।

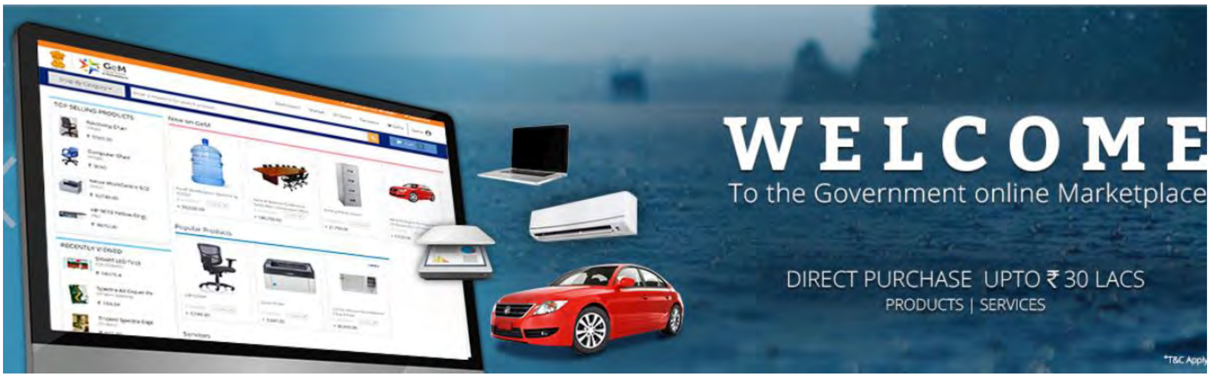

Highlights

10183	28954	140407
Buyer Organizations	Sellers	Products

डिजिधन मेलाः राज्य सरकारों और जिला कलेक्टरों के सहयोग से डिजिटल भुगतान प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए 25 दिसंबर 2016 से देश के विभिन्न हिस्सों के 100 शहरों में डिजिधन मेला का आयोजन किया गया, जो 14 अप्रैल, 2017 को बाबा साहेब अंबेडकर जयंती पर 1 करोड़ रूपये के मेगा ड्रा के साथ समाप्त हुआ।

उपभोक्ताओं के लिए 2 योजनाएं, लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजिधन व्यवसाय योजना ने लोगों को प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेनदेन का अधिक से अधिक उपयोग करने की ओर प्रेरित किया। कुल 15,000 दैनिक विजेता 1.5 करोड़ रूपये की पुरस्कार राशि प्राप्त करने के योग्य रहे। इसके अतिरिक्त, कुल 14,000 से अधिक साप्ताहिक विजेता 8.3 करोड़ रूपये की पुरस्कार राशि प्राप्त करने के योग्य रहे।

14 अप्रैल, 2017 तक – मेला पूरे देश में 35 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के 100 शहरों में 15 लाख लोगों के अनुमानित संख्या के साथ आयोजित हुआ।

सभी 100 शहरों के डिजिधन मेले में बैंकों, उर्वरक कंपनियों, तेल कंपनियों और जिला प्रशासन की भागीदारी के अलावा केंद्र सरकार के नीति आयोग और इलेक्ट्रोनिक्स एवं आई टी मंत्रालय के समन्वयक / प्रतिनिधि (निदेशक स्तर पर) ने भी भाग लिया।

उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू–ऐज गवर्नेंस) – यह भारत में मोबाइल गवर्नेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (आईयूटीआई) और राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस डिवीजन (एनएजीडी) द्वारा विकसित किया गया है।

उमंग सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है जो केंद्र से स्थानीय सरकारी निकायों और अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं तक सभी पैन इंडिया ई–गव सेवाओं को पहुँचाने के लिए है।

उमंग का उद्देश्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों और निजी संगठनों से अन्य उपयोगी सेवाओं द्वारा की जाने वाली प्रमुख सेवाएं प्रदान करना है। यह एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है जहां नागरिक एक एप्लीकेशन इनस्टॉल करके बहुत सी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

उमंग सेवा को कई चौनल जैसे मोबाइल एप्लिकेशन, वेब, आईवीआर और एसएमएस पर उपलब्ध कराया गया है जिसको स्मार्टफोन, फीचर फोन, टैबलेट और डेस्कटॉप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आपके जीवन में सुविधा जोड़ने के विचार के साथ उमंग को बनाया गया है। जिस तरह से भारतीय नागरिक आज सरकारी सेवाओं का लाभ उठाते हैं उमंग क्रांति लायेगा, क्योंकि यह हमारे देश में मौजूद तेज इंटरनेट और स्मार्टफोन पहुंच का लाभ उठाता है।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋणों, गारंटी या निवेशों के विवरण

कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं किया है और न की कोई निवेश किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत आता हों।

5. संबंधित पक्षों के साथ संविदा या समझौतों का विवरण (धारा 188) :

कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 134 (3) (h) के अनुसरण में संबंधित पक्षों के साथ सौदों से संबंधित सूचनाः **शून्य**

6. कर्मचारियों के विवरण

कंपनी (प्रबंधक वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 की के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 2013 के नियम 197 के उपबंधों के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रतिमाह 5,00,000 रु. या अधिक राशि या प्रतिवर्ष 60,00,000 रु. या अधिक राशि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विवरणः **शून्य**

7. वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम की धारा 92(3) के अनुसार, वार्षिक विवरणी का सार विनिर्धारित फार्म एमजीटी 9 में अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

8. निदेशक मंडल

पिछली वार्षिक महासभा के बाद, निम्नलिखित निदेशक मीडिया लैब एशिया के निदेशक मंडल में रह गए है:

- श्री पी पी चौधरी, माननीय राज्य कानून एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, सरकार भारत सरकार, 4 सितंबर, 2017 से
- सुश्री अरुण सुंदरराजन, सचिव, MeitY, 23 जून, 2017 से
- श्री संजय कुमार राकेश, एमडी और सीईओ, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन 4 सितंबर, 2017 से
- श्री गौरव द्विवेदी, सीईओ–माईगोव, 23 सितंबर, 2017 से
- सुश्री राधा चौहान, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी,, राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्रभाग 24 जुलाई, 2017 से
- प्रो देवांग खाखड़, निदेशक, आईआईटी बॉम्बे, 17 मई, 2017 से
- डॉ एफ.सी.कोहली, पूर्व उपाध्यक्ष टीसीएस, 17 मई, 2017 से
- श्री आर चंद्रशेखर, 17 मई, 2017 से

कंपनी के निदेशकगण ने उपरोक्त निदेशकों द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

निम्नलिखित निदेशकों को मीडिया लैब एशिया के निदेशक मंडल में शामिल/नियुक्त किया गया :

- श्री अल्फांस कन्ननधनम, माननीय राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, 3 सितंबर, 2017 से
- श्री अजय प्रकाश साहनी, सचिव, मीट वाई वाई ई एफ 23 जून, 2017
- श्री संजीव गुप्ता, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन 4 सितंबर, 2017 से
- सुश्री नीता वर्मा, सीईओ, माईगोव 3 अक्टूबर, 2017 से

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के प्रावधान के अनुसार, श्री सौरभ श्रीवास्तव और सुश्री अनुराधा मित्रा, नियमित आवर्तन नीति के तहत आगामी वार्षिक आम बैठक से सेवामुक्त होंगे और निदेशकों के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए योग्य होंगे।

9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और संबंधित नियमों में परिभाषित 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' के दायरे से कंपनी बाहर है। फिर भी, कंपनी अपने व्यापार, अपने कर्मचारियों और समाज की जिम्मेदारी को स्वीकार करती है, और हममें सामाजिक जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना है।

10. निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुपालन में)
कंपनी का निदेशक मंडल अपनी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और योग्यता के आधार पर अभिपुष्टि करता है किः

i) वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;

ii) चुनी गई लेखांकन नीतियां निरंतर लागू की गई और निदेशकों ने ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं ताकि 31 मार्च, 2017 को समाप्त कंपनी की स्थिति और उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ व हानि का सही और उचित विवरण दिया जा सके;

iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है;

iv) वार्षिक लेखे प्रचलित कार्य आधार पर तैयार किए हैं; और

v) सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थी और प्रभावी तरीके से काम कर रही थी।

11. सहायता अनुदान

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, राष्ट्रीय ई–शासन विभाग को 95. 11 करोड़ रु., माईगव को 18.84 करोड़ रु., सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी को 1.44 करोड़ रु., इलेक्ट्रानिकी व आईटी हेतु विश्वश्वर्या पीएचडी योजना के लिए 6.92 करोड़ रु. और डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (टीडीडीडी) [पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया – कोर] की प्रायोजित परियोजनाओं के लिए 4.72 करोड़ सहायता अनुदान प्रदान किया है जो कुल 127.03 करोड़ रुपये है।

12. सार्वजनिक जमाराशियां

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अंतर्गत न तो कोई जमाराशि आमंत्रित की और न ही स्वीकार की।

13. सहायक कंपनी/संयुक्त उपक्रम/सहयोगी कंपनियों का विवरण :

कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं हैं।

14. व्यावसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के कार्यकलापों की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बदलाव और वचनबद्धताएं

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला ऐसा कोई महत्वपूर्ण बदलाव या वचनबद्धता नहीं दी गई जो वित्त वर्ष के अंत, जिससे तुलन पत्र संबंधित है और रिपोर्ट की तारीख के बीच में हुए हों।

15. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित करने का ब्यौरा :

निगरानी प्रणाली **लागू नहीं** है क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 177(9) के अंतर्गत नहीं आती है।

16. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों, इसके प्रचालनों के आकार, विस्तार और जटिलता के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और डिजाइन और प्रचालन में कोई महत्वपूर्ण खामी नहीं पाई गई।

17. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन और विदेशी मुद्रा आय एवं निर्गम के विवरण

17.1 ऊर्जा संरक्षण

मीडिया लैब एशिया एक ऊर्जा सघन इकाई नहीं है। बहरहाल, सभी स्तरों पर ऊर्जा संरक्षण के सभी पूर्वोपाय किए गए हैं।

17.2 प्रौद्योगिकी

कंपनी अपने प्रमुख कार्य क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकियों के क्रियान्वयन के प्रति सजग है और अपने कार्य करने में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है।

18. विदेशी मुद्रा आय एवं निर्गम

विवरण	रुपये
विदेशी मुद्रा आय	शून्य
विदेशी मुद्रा निर्गम	1,033,751

19. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

कंपनी ने सदैव कंपनी में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल मुहैया कराने में विश्वास किया है। कंपनी ने हमेशा ऐसा वातावरण तैयार करने और मुहैया कराने का प्रयास किया है जो यौन उत्पीड़न सहित सभी प्रकार के उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त हों।

यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप हमने यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति ("PSC") का गठन किया है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, समिति को यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

20. लेखा परीक्षक

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में, मैसर्स ए.पी. संजगिरि एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कार्यकाल कंपनी की आगामी वार्षिक महासभा के समापन के साथ समाप्त हो जाएगा।

भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने दिनांक 11 अगस्त, 2017 के अपने पत्रांक (1)/1008 द्वारा, वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में ए.पी. संजगिरि एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम की संस्तुति की है। डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन को ए.पी. संजगिरि एंड कंपनी से पत्र प्राप्त हुआ है कि उनकी नियुक्ति, यदि की जाए, तो वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 (3)(ह) के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के अंदर होगी और कि वह नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं हैं।

तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(2) के उपबंधों में अनुसार, निदेशक मंडल ने 16वीं वार्षिक महासभा के समापन से 17वीं वार्षिक महासभा के समापन तक कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु ए.पी. संजगिरि एंड कंपनी की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

21.लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ए.पी. संजगिरि एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट, इसके साथ संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए मीडिया लैब एशिया के लेखापरीक्षित विवरण खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई योग्य राय नहीं है।

	परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन टिप्पणियां / जबाव
	योग्य राय	
	1. हमारी राय में, और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित विधि से देते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2017 को कंपनी के मामलों और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसकी आय / व्यय और इसके रोकड़ प्रवाह की एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर दिखाते हैं।	
	योग्य राय के लिए आधार	
	1. संस्थानों / विभागों को दिया गया कंपनी का अग्रिम जो कि लगभग 631,826,730/– रुपये के बराबर है, बैलेंस शीट में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्रबंधन ने उपरोक्त अग्रिमों के लिए लेखा और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए हैं। कंपनी के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि संस्थानों / विभागों को दिए गए उपरोक्त अग्रिम राशि में से 281,703,995/– रुपये एक वर्ष से अधिक अवधि से बकाया है। संस्थानों / विभागों से खातों के बाद के वक्तव्य और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर परिणामस्वरूप समायोजन की सीमा वर्तमान में सुनिश्चित नहीं हो सकी है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट ऑडिटिंग (SAs) के मानक के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का पालन किया है, उन मानक के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय वक्तव्यों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए नैतिकता संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है । हमारा मानना है कि हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।	लेखापरीक्षा पूरा करने की तिथि के अनुसार संस्थानों से लंबित व्ययों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण योग्य राय के लिए आधार बना। कंपनी ने खातों और उपयोगिता प्रमाण पत्र के विवरण प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं और लेखापरीक्षा की निर्दिष्ट तिथि के बाद खातों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों के विवरण प्राप्त किए हैं, जो कुल मिलाकर रु 461,181,001 के हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों का अवलोकन और इस अवलोकन पर कंपनी की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

अवलोकन क्र.	परीक्षकों का अवलोकन	प्रबंधन टिप्पणियां / जबाव
	कंपनी की माईगोव डिवीजन के पास खर्च के प्रावधानों को पहचानने के लिए एक उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी, पिछली घटना के परिणामस्वरूप जब एक वर्तमान दायित्व है, जिसे दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होती है, जिससे संभवतः व्ययों का गलत विवरण परिणामस्वरूप हो सकता हैं।	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने और खर्चों के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

	कंपनी की राष्ट्रीय ई–शासन विभाग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में निम्न कमियाँ हैं : 1. आउटसोर्स भर्ती और मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं और अन्य राज्यों, संस्थानों और संगठनों की विभिन्न परियोजनाएं के कार्यान्वयन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) को दिए गए धन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट या संस्थानों / विभागों के प्रमुख द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए कोई नियंत्रण नहीं। 2. एनआईएसजी द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं के लिए आउटसोर्स की गई एजेंसी का मानव संसाधन लेखा परीक्षण नहीं किया गया था। 3. खर्चों के प्रावधान को स्वीकार करते समय, जब एक पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व है, जिसके लिए दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होती है, जो संभवतः खर्चों के गलत अनुमान में पड़ सकता है। 4. विभागों या परियोजना कार्यान्वयन संस्थानों द्वारा प्राप्त अचल सम्पत्तियों का स्वतंत्र भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए और कंपनी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए।	राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस विभाग ने उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने, खर्चों के लिए पर्याप्त प्रावधान करने, परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करने और मानव संसाधन लेखा–परीक्षण करने के लिए कदम उठाए हैं।
	कंपनी के मीडिया लैब एशिया विभाग को परियोजना क्रियान्वयन संस्थानों द्वारा प्राप्त फिक्स्ड आस्तियों का स्वतंत्र भौतिक सत्यापन करना और कंपनी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता है।	परियोजना कार्यान्वयन संस्थानों ने चार्टर्ड एकाउंटेंट / संस्थानों के प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

22. आभार

निदेशक मंडल इलेक्ट्रॉनिक्स औरं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार और संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों, कार्यान्वयन एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों और बैंकों से मिले बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल कंपनी के संचालन में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का भी उनके योगदान के लिए आत्मीय आभार व्यक्त करते हैं।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

संजीव गुप्ता
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[DIN - 07596482]

नीता वर्मा
निदेशक
[DIN - 01574452]

अनुलग्नक – 1
फार्म संख्या एमजीटी – 9
वार्षिक विवरणी का सार
31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में।]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

i.	CIN	:	U72900MH2001NPL133410
ii.	पंजीकरण की तारीख	:	20 सितंबर, 2001
iii.	कंपनी का नाम	:	डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
iv.	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	:	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत निगमित। सरकारी कंपनी, जिसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है।
v.	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	:	डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन चतुर्थ तल, समृद्धि वेन्चर पार्क, सेंट्रल एमआईडीसी रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई, महाराष्ट्र, पिन – 400093 टेलीफोन : (022) 28312931 / 28327505 फैक्स : (022) 8379158 वेबसाइट : www.medialabasia.in
vi.	कंपनी सूचीबद्ध है (हां/नहीं)	:	नहीं
vii.	रजिस्ट्रार व हस्तांतरण एजेंट (आरटीए), अगर कोई हों, का नाम और पता	:	लागू नहीं

II. कंपनी की कारोबार संबंधी प्रमुख गतिविधियां:

कंपनी के टर्नओवर में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान देने वाली करोबार संबंधी प्रमुख गतिविधियां नीचे दी गई हैं :

क्र.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर से प्रतिशत
1.	आम आदमी के लाभ के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, विकास और परिनियोजन	लागू नहीं	शून्य

III. होल्डिंग, सहायक कंपनी और एसोसिएट कंपनियों के विवरण: शून्य

IV. शेयरधारिता का स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी के अलग–अलग विवरण)

कंपनी के पास कोई शेयर पूंजी नहीं है।

i.	श्रेणी–वार शेयर धारिता	:	लागू नहीं
ii.	श्रेणी–वार शेयर धारिता	:	लागू नहीं
iii.	प्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन	:	लागू नहीं
iv.	शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) की शेयर धारिता का स्वरूप	:	लागू नहीं
v.	निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयर धारिता	:	लागू नहीं

V. ऋणभार

देय ब्याज/उपार्जित मगर भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी का ऋणभार।

विवरण	जमाओं को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणभार
वित्त वर्ष के प्रारंभ में कुल ऋणभार i) मूलधन राशि ii) देय ब्याज मगर अदा नहीं किया गया iii) उपार्जित ब्याज मगर देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणभार में परिवर्तन				
• जोड़ा • घटाया	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
शुद्ध परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्त वर्ष के अंत में कुल ऋणभार				
i) मूलधन राशि शून्य शून्य शून्य शून्य ii) देय ब्याज मगर अदा नहीं किया गया iii) उपार्जित ब्याज मगर देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधकों का पारिश्रमिकः लागू नहीं
ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिकः लागू नहीं
ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिकः लागू नहीं

VII. अर्थदंड/दंड/अपराध का समाधान

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अर्थदंड/दंड/लगाया गया कुल शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकरण/(आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	दायर की याचिका, अगर कोई हों (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
अर्थदंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सजा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
समाधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख. नदेशक					
अर्थदंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सजा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
समाधान					
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
अर्थदंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सजा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
समाधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

संजीव गुप्ता
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[DIN - 07596482]

नीता वर्मा
निदेशक
[DIN - 01574452]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

लेखपरीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) के सहवर्ती वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है जिनमें 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र, और तत्कालीन समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना का संक्षेप सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधक–वर्ग का उत्तरदायित्व

2. कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) के अंतर्गत, कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 की धारा 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और रोकड़ प्रवाह की सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और इनका पता लगाने और कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए अधिनियम के उपबंध के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और प्रयोग करना निर्णय लेना और अनुमान लगाना, जो उपयुक्त और वास्तविक हैं और आंतरिक नियंत्रण को तैयार, कार्यान्वित और रखरखाव करना, जो लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से काम कर रहे थे और जो वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक थे और जो वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और वस्तुपरक मिथ्यकथन, चाहे जालसाजी के कारण हों या गलती से हों, से मुक्त हों, शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करें। हमने अधिनियमों के उपबंधों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों को शामिल किया है जो अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने जरूरी हैं।

   हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानदंडों के अनुसार अपना अंकेक्षण कार्य किया है। इन मानदंडों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा का नियोजन एवं निष्पादन इस प्रकार से करें कि एक युक्तिसंगत आश्वासन मिल सके कि ये वित्तीय विवरण वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त हैं।

   लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में उल्लिखित रकमों एवं प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निश्चित पद्धतियों को संपन्न करना अंतर्निहित होता है। ये चयनित पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की वस्तुपरक गलतबयानी के, भले वह जालसाजी या त्रुटि के कारण हो, जोखिमों का मूल्यांकन सम्मिलित होता है।ये जोखिम मूल्यांकन करने में, लेखापरीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण की तैयारी एवं निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करते हैं ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों की रूपरेखा बनाई जा सके लेकिन यह कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता के बारे में राय व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं होती है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों और प्रबंधक–वर्ग द्वारा लेखांकन प्राक्कलनों के औचित्य का मूल्यांकन करना भी, और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना सम्मिलित है।

   हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

योग्य राय

4. हमारी राय में, और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित विधि से देते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2016 को कंपनी के मामलों और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसकी आय/व्यय और इसके रोकड़ प्रवाह की एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर दिखाते हैं।

योग्य राय के लिए आधार

5. संस्थानों / विभागों को दिया गया कंपनी का अग्रिम जो कि लगभग 631,826,730/– रुपये के बराबर है, बैलेंस शीट में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्रबंधन ने उपरोक्त अग्रिमों के लिए लेखा और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए हैं। कंपनी के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि संस्थानों / विभागों को दिए गए उपरोक्त अग्रिम राशि में से 281,703,995/– रुपये एक वर्ष से अधिक अवधि से बकाया है। संस्थानों / विभागों से खातों के बाद के वक्तव्य और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर परिणामस्वरूप समायोजन की सीमा वर्तमान में सुनिश्चित नहीं हो सकी है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट ऑडिटिंग (SAs) के मानक के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का पालन किया है, उन मानक के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय वक्तव्यों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए नैतिकता संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है । हमारा मानना है कि हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख विषयवस्तु

6. हम वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों के प्रति ध्यान आकर्षित करते हैं:

(क) हम क्रमशः कुल 206,652,042/– रुपये, 18,402,537/– रुपये और 2,212,002/– रुपये के व्यय हेतु 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान व्ययों, प्राप्त की गई अचल परिसंपत्तियों और अर्जित ब्याज के लेखा विवरणों पर निर्भर रहे हैं और ये सही पाए गए, जो 74 संस्थानों/विभागों से प्राप्त किए गए और जो अन्य चार्टड एकाउंटेंट्स से प्रमाणन के आधार पर कंपनी की लेखा बहियों में शामिल किए गए हैं (टिप्पणी 28 देखें)।

(ख) हम क्रमशः कुल 742,809,582/– रुपये, 8,446,620/– रुपये और 2,226,916/– रुपये व्यय हेतु 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान व्ययों, प्राप्त की गई अचल परिसंपत्तियों और अर्जित ब्याज के लेखा विवरणों पर निर्भर रहे हैं और और ये सही पाए गए, जो 47 संस्थानों/विभागों से प्राप्त किए गए और जो संबंधित संस्थानों/विभागों के प्रमुखों से प्रमाणन के आधार पर कंपनी की लेखा बहियों में शामिल किए गए हैं। ये लेखें संबंधित संस्थानों/विभागों के चार्टर्ड एकाउंटेंट की लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं

परिणामी समायोजनों की सीमा, यदि कोई हो, जो उपर्युक्त विभाग/संस्थान से व्यय, अर्जित ब्याज और अचल परिसंपत्तियों के अंकेक्षित विवरण प्राप्त होने पर प्रोद्भूत होगी, इस समय निधार्य नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।

अन्य विधायी एवं विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार हमने अनुलग्नक 1 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर वक्तव्य दिया है।

8. इस रिपोर्ट में, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुपालन में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2015 ("आदेश") में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में वक्तव्य सम्मिलित नहीं है क्योंकि हमारी राय और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त आदेश कंपनी पर लागू नहीं है।

9. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षण के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी के कानून द्वारा यथा अपेक्षित लेखा खाते रखे गए हैं, जहां कि इन खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में सम्मिलित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों का अनुपालन करते हैं।

ङ) 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित, और निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के संबंध में 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु अनर्हक नहीं था।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रणों की संचालन क्षमता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, इस रिपोर्ट के लिए "अनुलग्नक II" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

छ) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. कंपनी का कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थित पर प्रभाव डाल सकता हो।

ii. कंपनी के पास व्युत्पादित संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं है, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण निकट हानियां थी।

iii. ऐसी कोई धनराशियां नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए अपेक्षित थी।

iv. कंपनी ने 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान कंपनी ने विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स में लेन–देन के साथ ही वित्तीय विवरणों में अपेक्षित खुलासा किया है। ऑडिट की प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन प्रतिनिधित्व पर निर्भर करते हुए हम कह रहें हैं कि खुलासे कंपनी और प्रबंधन द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत वही खातों के अनुसार हैं।

कृत ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 146017

स्थानः मुंबई
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए मीडिया लैब एशिया के वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक I

<u>कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर टिप्पणियॉं</u>

1. **रिपोर्ट करें कि क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट शीर्षक / पट्टे दस्तावेज है? यदि नहीं, तो फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड की जमीन का क्षेत्र बताएं, जिसके लिए शीर्षक / पट्टे के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं?**

   प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान सूचना, दस्तावेज और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी नहीं है। लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा पट्टेदार संपत्तियों के लिए स्पष्ट पट्टा दस्तावेज है

2. **इस बात की सूचना दें कि क्या ऋण/उधारी/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है, अगर हां तत्संबंधी कारण और इसमें शामिल राशि के बारे में बताएं।**

   लेखा परीक्षा के दौरान और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण/उधारी/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला/घटना नहीं थी।

3. **क्या तीसरे पक्षों के पास रखी वस्तुसूचियों और सरकार एवं अन्य प्राधिकरणों से उपहार स्वरूप प्राप्त परिसंपत्तियों के उचित रिकार्ड रखे गए?**

   कंपनी किसी भी तरह के विनिर्माण और ट्रेडिंग बिजनस में संलिप्त नहीं है इसलिए वस्तुसूचियों के रिकार्ड रखने वाली बात कंपनी पर लागू नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान सरकार से उपहार स्वरूप कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए मीडिया लैब एशिया के वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक II

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 के उपखंड 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2017 तक डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों की हमारी लेखा–परीक्षा के साथ उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षण किया है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी (''आईसीएआई'') वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित (''मार्गदर्शन नोट'') आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक को मानते हुए कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मापदंड के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो प्रभावी ढंग से संचालन में अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने सहित, कंपनी की नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने और लेखा अधिनियम की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयार करना है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षण के आधार पर राय व्यक्त करना है। हमने लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी (''आईसीएआई'') वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (''मार्गदर्शन नोट'') के अनुसार ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन और लेखा परीक्षा का पालन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो सके और बनाए रखा जा सके और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित हों तो इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना, जो कि एक सामग्री कमजोरी मौजूद है, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय प्रक्रिया की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो:

क) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सही और उचित रूप से प्रतिबिंबित करता है;

ख) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन उसी हिसाब से जैसा कि जरुरत है दर्ज किये जाएँ जो सामान्य स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्य तैयार करने में सहायक हो, और प्राप्तियां और कंपनी के व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकरण के अनुसार किए जाएँ; तथा

ग) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिससे वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाऐं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों की ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक उपेजंजमउमदजे हो सकता है और पता नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकता है

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च 2017 तक निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई हैः

क) कंपनी के माईगोव विभाग के पास खर्च के प्रावधान को पहचानने के लिए एक उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी, जब एक पिछली घटना के परिणाम स्वरूप वर्तमान दायित्व है, जिसके लिए दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः खर्चों का अनुमान गलत हो सकता हैं ।

ख) कंपनी के राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस विभाग आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में निम्न भौतिक कमजोरियां हैं :

1. आउटसोर्स भर्ती और मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं और अन्य राज्यों, संस्थानों और संगठनों में विभिन्न परियोजनाएं के कार्यान्वयन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) को दिए गए धन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट या संस्थानों के प्रमुख / विभागों के प्रमुख द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र के उपयोग पर कोई नियंत्रण नहीं।

2. एनआईएसजी द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं के लिए आउटसोर्स की एजेंसी के मानव संसाधन लेखापरीक्षण का आयोजन नहीं किया गया।

3. खर्चों के प्रावधान को स्वीकार करते समय, जब एक पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व है, जिसके लिए दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होती है, संभवतः खर्चों का अनुमान गलत हो सकता हैं।

4. विभाग या परियोजना कार्यान्वयन संस्थानों द्वारा प्राप्त फिक्स्ड आस्तियों का स्वतंत्र भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए और कंपनी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए।

कंपनी की राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस डिवीजन आउटसोर्स की भर्ती और मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं के प्रति स्मार्ट सरकार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट को दिए गए धन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता है।

ग) कंपनी के मीडिया लैब एशिया विभाग (वर्तमान में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन–टीडीडीडी) को परियोजना कार्यान्वयन संस्थानों द्वारा खरीदे गए फिक्स्ड आस्तियों का स्वतंत्र भौतिक सत्यापन करने और कंपनी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक ''भौतिक कमजोरी'' एक कमी या कमियों का संयोजन है, इस तरह की उचित संभावना है कि समय के आधार पर कंपनी की वार्षिक या अंतरिम वित्तीय वक्तव्यों के भौतिक गलतफहमी को रोका नहीं जा सकता या पता नहीं किया जा सकता।

राय

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरियों से उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने आईसीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देश में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से 31 मार्च, 2016 तक संचालित रही।

हमने कंपनी की वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखापरीक्षा में लागू किए गए ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने वाली भौतिक कमजोरियों को पहचाना है जिसका विवरण ऊपर दिया गया हैं, और यह भौतिक कमजोरी कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृत ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 146017

स्थानः मुंबई
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
का
अंकेक्षित वित्तीय विवरण

संयुक्त वित्तीय विवरण
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन

(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)

CIN : U72900MH2001NPL133410

मार्च 31, 2017 को बैलेंस शीट

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	साम्य और देयताएं			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(a) शेयर पूंजी		-	-
	(b) आरक्षित निधि और अधिशेष	3	21,05,65,940	13,84,63,365
	(c) आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि	4	7,54,78,008	6,70,11,855
2	गैर–चालू देयताएं			
	(a) दीर्घकालिक प्रावधान	5	93,44,588	61,80,430
3	चालू देयताएं			
	(a) अन्य चालू देयताएं	6	1,69,36,92,773	2,72,79,42,032
	(b) अल्पकालिक प्रावधान	7	3,20,494	10,36,653
	कुल		**1,98,94,01,803**	**2,94,06,34,335**
II.	संपत्तियां			
1	गैर चालू संपत्तियां			
	(a) अचल संपत्तियां	8		
	(i) मूर्त संपत्तियां		19,67,54,712	12,45,26,660
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		1,38,11,228	1,39,36,705
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		8,84,31,681	15,26,72,115
			29,89,97,621	29,11,35,480
	(b) गैर चालू निवेश	9	2,400	2,400
	(c) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	10	1,54,79,428	1,01,52,368
	(d) अन्य गैर चालू संपत्तियां	11	-	-
2	चालू संपत्तियां			
	(a) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	12	90,77,88,103	2,06,09,09,491
	(b) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	13	75,82,42,436	53,96,35,086
	(c) अन्य चालू सपात्तया	14	88,91,815	3,87,99,510
	कुल		**1,98,94,01,803**	**2,94,06,34,335**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां बैलेंस शीट विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

यहां तक की तारीख के हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार है।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल

साझेदार

सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

संजीव गुप्ता

प्रबंध निदेशक और सीईओ

[डीआईएन - 07596482]

नीता वर्मा

निदेशक

[डीआईएन - 01574452]

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन

(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)

CIN : U72900MH2001NPL133410

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय विवरण

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	सहायता अनुदान (टिप्पणी 2 (g) और 24 देखें)	15	2,79,29,01,446	1,33,69,54,455
II.	अन्य आय	16	1,98,379	4,12,136
III.	**कुल आय**		**2,79,30,99,825**	**1,33,73,66,591**
	व्यय :			
	अनुसंधान और विकास व्यय (टिप्पणी 2 (l) देखें)	17	1,29,96,60,245	95,94,77,628
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	18	16,72,53,698	9,16,40,922
	प्रशासन और अन्य व्यय	19	1,32,61,85,882	28,62,48,041
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	– अनुसंधान संपत्तियों पर		7,83,22,580	6,14,99,004
	– अन्य संपत्तियों पर		26,66,084	35,86,545
			8,09,88,664	6,50,85,549
	घटा : अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधियों से अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)		8,09,88,664	6,50,85,549
IV.	**कुल आय**		**2,79,30,99,825**	**1,33,73,66,591**
V.	विशिष्ट और असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (III-IV)		-	-
VI.	विशिष्ट मदें		-	-
VII.	असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (V - VI)		-	-
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	करपूर्व व्यय की तुलना में आय का आधिक्य **(VII- VIII)**		-	-
X.	कर संबंधी व्ययः		-	-
XI.	वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य **(IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां आय एवं व्यय विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

यहां तक की तारीख के हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार है।
कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

संजीव गुप्ता
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएन - 07596482]

नीता वर्मा
निदेशक
[डीआईएन - 01574452]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन

(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)

CIN : U72900MH2001NPL133410

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

	विवरण	राशि रु. में 2016-17	राशि रु. में 2015-16
A	**प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह**		
	अनुदान सहायता से आय एवं व्यय खाते में अंतरण	(2,79,29,01,446)	(1,33,69,54,455)
	मूल्यह्रास के लिए आरक्षित राशियों एवं अधिशेष से अंतरण	(8,09,88,664)	(6,50,85,549)
	आय एवं व्यय खाते से कुल अंतरण	**(2,87,38,90,110)**	**(1,40,20,40,004)**
	निवल रोकड़ से निवल आय (व्यय) का मिलान करने के लिए समायोजन		
	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 के कार्यान्वयन के कारण मूल्यह्रास सहित मूल्यह्रास	8,09,88,664	6,50,85,549
	समायोजित / हटाई गई / बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां	132	-
	भारत सरकार को वापस किया गया अनुदान	(2,23,25,532)	(25,55,31,456)
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1,27,03,51,246	2,17,72,91,139
	सावधि जमाओं पर ब्याज	9,41,29,090	16,52,93,470
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन रोकड़ अंतर्प्रवाह (बहिर्प्रवाह)	**(1,45,07,46,510)**	**75,00,98,698**
	निम्नलिखित के लिए समायोजनः		
	परिसंत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**(19,40,26,715)**	**(32,28,22,705)**
	दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)	(53,27,060)	(1,49,243)
	अल्पकालिक ऋणों और अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)	(21,86,07,350)	(30,51,09,202)
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	2,99,07,695	(1,75,64,260)
	देयताओं में कमी / (वृद्धि)	**58,05,02,774**	**5,28,32,159**
	अन्य चालू देयताओं में कमी / (वृद्धि)	57,80,54,775	5,05,36,971
	दीर्घकालिक प्रावधानों में कमी / (वृद्धि)	31,64,158	30,33,324
	अल्पकालिक प्रावधानों में कमी / (वृद्धि)	(7,16,159)	(7,38,136)
	प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह (बहिर्प्रवाह)	**(1,06,42,70,451)**	**48,01,08,152**
B	**निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह**		
	चालू कार्य सहित अचल परिसंपत्तियों में अभिवृद्धि	(8,88,50,937)	(18,90,22,992)
	अप्रयुक्त मदों के निपटान से अभिलाभ	-	-
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल रोकड़	**(8,88,50,937)**	**(18,90,22,992)**
C	**वित्तीय कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह**		
	वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल रोकड़	**-**	**-**
	रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)(A+B+C)	**(1,15,31,21,388)**	**29,10,85,160**
	प्रारंभिक रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	2,06,09,09,491	1,76,98,24,331
	अंतिम रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	**90,77,88,103**	**2,06,09,09,491**

यहां तक की तारीख के हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार है।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल

साझेदार

सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

संजीव गुप्ता

प्रबंध निदेशक और सीईओ

[डीआईएन - 07596482]

नीता वर्मा

निदेशक

[डीआईएन - 01574452]

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन
(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
CIN : U72900MH2001NPL133410

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

1. **मीडिया लैब एशिया** (इसमें जिसे आगे ''कंपनी' कहा गया है) की स्थापना 20 सितंबर, 2001 को प्रत्याभूत कंपनी लिमिटेड के रूप में की गई। इसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है और इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य उन्नत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के लाभों को आम जनमानस और जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाना है।

कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए नाम परिवर्तन के तहत निगमन के प्रमाणपत्र के अनुसार, कंपनी का नाम 'मीडिया लैब एशिया' से बदलकर 'डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन' को 8 सितंबर, 2017 से प्रभावी कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD) मीडिया लैब एशिया में एक स्वतंत्र व्यावसाय विभाग है। NeGD को रणनीति नियोजन एवं क्षमता संवर्धन; मानकों, नीतियों और दिशानिर्देशों का विकास; जागरूकता एवं संचार; मूल्यांकन एवं आकलन; और भौतिक एवं डिजिटल/सोशल प्लेटफार्मों के जरिये नागरिक भागीदारी सहित डिजिटल इंडिया और ईक्रांति पहलकदमियों के विभिन्न कार्यक्रम पहलुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता करने का अधिदेश दिया गया है। NeGD को डिजिटल इंडिया के तहत कुछ परियोजनाएं कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। NeGD को पूर्ण वित्तीय और एचआर स्वायत्तता है। NeGD के लेखें, वित्त और मानव संसाधन स्वत विभाग द्वारा नियंत्रित, प्रबंधित और अनुरक्षित होते हैं और विभाग की अध्यक्षता एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

माईगव प्लेटफार्म अपनी किस्म की पहली और अनूठी भागदारी शासन पहल है जिसमें आम जनता बड़ी संख्या में शामिल है। माईगव का आइडिया भारत के सामाजिक और आर्थिक बदलाव में योगदान देने के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए आम नागरिकों और विशेषज्ञों को शामिल करके विचारों एवं दृष्टिकोणों के आदान–प्रदान के लिए एक इंटरफेस का सृजन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके सरकार को आम आदमी के करीब लाता है। माईगव परियोजना का उद्देश्य विचार, फीडबैक और नीति निर्माण एवं निष्पादन में भाग लेने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान देने के लिए आम आदमी को समर्थ बनाने के लिए एक इंटरनेट आधारित प्लेटफार्म मुहैया करना है। माईगव के लेखें, वित्त और मानव संसाधन स्वत विभाग द्वारा नियंत्रित, प्रबंधित और अनुरक्षित होते हैं और विभाग की अध्यक्षता एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आई.टी.आर.ए.) एक साध्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित संस्थानों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इनके अनुप्रयोगों में अनुसंधान एवं विकास की गुणवत्ता एवं मात्रा को उन्नत बनाने हेतु एक राष्ट्रीय संसाधन का निर्माण करने में सहायता करने के लिए शुरू किया गया है। आई.टी.आर.ए. डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) द्वारा कार्यान्वित होता हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी के लिए विश्वेश्वर्या पीएचडी योजना इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (MeitY), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने ईलेक्ट्रानिक प्रणाली डिज़ाइन एवं विनिर्माण (ESDM) और IT/IT साध्य सेवाओं (ITES) के क्षेत्र में पी.एच.डी. की संख्या बढ़ाने के लिए शुरू की है। डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार को सचिवीय सहायता और संस्थागत प्रणाली के निर्माण में सहायता करेगा।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(a) वित्तीय विवरण तैयार करने के आधारः

वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। लेखें उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी और वर्तमान व्यापार अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए हैं। नए जारी लेखांकन मानकों को अपनाने के कारण हुए बदलावों या मौजूदा लेखांकन मानकों की पुनरीक्षा की गई है, जो यहां इसमें प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन के लिए अपेक्षित थे, को छोड़कर लेखांकन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है।

(b) प्राक्कलनों का प्रयोगः

GAAP के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन और धारणाएं तैयार करनी अपेक्षित होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं की सूचित राशियों तथा सूचित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्ताविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में जानने के बाद प्रबंधन प्राक्कलनों में उचित बदलाव करते हैं। प्राक्कलनों में किए गए बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं और अगर ये महत्वपूर्ण हैं तो इनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

(c) रोकड़ और रोकड़ समतुल्यः

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंक में मांग जमाराशियां शामिल हैं। रोकड़ समतुल्य अल्पकालिक शेष (अर्जन की तारीख से तीन माह या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले), उच्च तरलता वाले निवेश है जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तित किए जाते हैं और जो मूल्य में बदलाव के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

(d) मूर्त और अर्मूत अचल परिसंपत्तियांः

अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचयी मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है। लागत में उधार लेने की लागत, आवक भाड़ा, चुंगी, कर और परिसंपत्तियों को उनके वांछित इस्तेमाल के लिए चालू हालत में लाने के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापना के संबंध में किए गए आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अधिगृहीत संपत्तियों का पूंजीकरण संबंधित संस्थाओं से आवधिक अंतराल पर प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों, जिन्हें स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा अंकेक्षित और संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा सत्यापित किया गया है, के आधार पर किया गया है।

अमूर्त परिसंपतियां, इनको अधिगृहीत करने पर किए गए व्यय के आधार पर रिकार्ड की जाती हैं और इन्हें लागत घटा संचयी परिशोधन और हानियों पर दर्शाया जाता है।

(e) मूल्यह्रास/परिशोधनः

पट्टाकृत परिसरों के अलावा, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख से उसकी अनुमानित उपयोगी आयु पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर मुहैया कराया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु का आकलन किया है और अनुसूची II के अनुसार उपयोगी आयु को अपनाया है। 5000 रु. या इससे कम मूल्य वाली संपत्ति को उनके प्राप्त करने के वर्ष

के दौरान पूरा अवमूल्यन किया गया है। पट्टाकृत परिसरों का परिशोधन पट्टे की प्राथमिक अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अचल संपत्तियों का परिशोधन पांच वर्ष या अनुमानित उपयोगी आयु, इनमें से जो भी कम हों, के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है।

सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का पूंजीकरण किया गया है और समतुल्य राशि अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित की गई है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों के विलोपन अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से समायोजन के द्वारा किया जाता है।

(f) निवेशः

गैर–चालू निवेशों के तहत शामिल दीर्घकालिक निवेश, ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी से इतर, लागत घटा कमी के लिए प्रावधान पर किए जाते हैं। चालू निवेश कम लागत पर किए जाते हैं और शुद्ध मूल्य और परिणामी कमी, यदि कोई हों, राजस्व से प्रभारित किया जाता है। लागत में दलाली, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

(g) सहायता अनुदानः

वर्ष के दौरान, व्यय के लिए इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान को किए गए व्यय की सीमा तक आय एवं व्यय लेखा में अंतरित किया गया है। अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान के भाग को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास की समतुल्य राशि को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से आय एवं व्यय विवरण में अंतरित किया गया है और मूल्यह्रास प्रभार में घटाया गया है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त भाग को देयता के रूप में माना गया है।

(h) कर्मचारी लाभः

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताएं, सेवाएं प्रदान करने के 12 माह के अंदर पूर्णतया देय होती हैं। ऐसे लाभों के अनुमान लगाए जाते हैं और उस अवधि के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना के जरिये भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी, दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर हर माह अंशदान करते हैं। ये अंशदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियमित उक्त भविष्य निधि योजना में अंशदान एक परिभाषित अंशदान योजना है।

योजनाओं के तहत प्रदत्त/पेय अंशदान उस अवधि के दौरान स्वीकार किए जाते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(iii) परिभाषित लाभ योजनाः

उपदान (वित्तपोषित) मुहैया कराने की लागतें निर्धारित करने में प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने अपनी उपदान योजना को

चलाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक समझौता किया है। प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए उपदान की अधिकतम राशि आयकर नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन है।

(iv) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभः

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अवधि के दौरान स्वीकार की गई क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हैं।

संविदागत कर्मचारियों के संबंध में अवेलमेंट सहित अवकाश नकदीकरण के प्रावधान उपार्जित है और संबधित कर्मचारी के साथ किए गए संविदा के अनुसार पूर्ण देयता आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर कर्मचारी की बची संचयी छुट्टियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों पर किए गए व्ययः

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट, राज्यों और अन्य संगठनों की अग्रिम राशि या तो आय और व्यय के वक्तव्य में वर्णित है या लेखा के वक्तव्य के आधार पर अचल संपत्ति के रूप में पूंजीकृत है, जिन्हें स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा आवधिक अंतराल पर सत्यापित किया गया हैं।

(j) विदेशी मुद्रा लेनदेनः

विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखांकन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है। वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण मुद्रा में घट–बढ़ को उसी अवधि के आय एवं व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

विदेशी मुद्रा संपत्तियां और देयताएं वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा में घट–बढ़ को आय एवं व्यय के विवरण में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर पर दर्शाया जाता है।

(k) पट्टाकृत संपत्तियांः

पट्टे पर ली गई संपत्तियां, जिनमें जोखिमों का बड़ा हिस्सा और स्वामित्व का रिवार्ड्स पट्टाकार के पास रहता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। पट्टाकृत संपत्तियों के किराये और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय माने जाते हैं।

(l) अनुसंधान और/या विकास व्ययः

अनुसंधान और/या विकास व्यय में कंपनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अनुसंधान एवं विकास, तैनाती एवं कार्यान्वयन कार्यकलाप करने के लिए किए गए सभी व्यय शामिल हैं।

(m) संपत्तियों की हानिः

प्रबंधन तुलन पत्र की तारीख पर इस बात का आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी संपत्ति में हानि हो सकती है। अगर ऐसे कोई संकेत होते हैं तो इसकी वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाता है (अर्थात् संपत्ति के निवल विक्रय मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक)। संपत्तियों की वसूली योग्य राशि या रोकड़ जनरेटिंग यूनिट, जिससे संपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि, वाहक राशि से कम है तो वाहक राशि को इसकी वसूली योग्य राशि में से घटाया जाता है। इस कटौती को हानि माना जाता है और इसे आय एवं व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। अगर तुलन पत्र की तारीख पर यह संकेत

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

है कि पूर्व में आकलित हानि अब मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनःआकलन किया जाता है और राशि को अधिकतम ह्रासयोग्य ऐतिहासिक लागत के अध्यधीन ऐसी वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है। हानि का ऐसा विपर्यय, यदि किया जाता है, तो विपर्यय को हानि को स्वीकार करने के बाद होने वाली घटना से निष्पक्षता से जोड़ सकते हैं।

(n) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

कंपनी प्रावधान तब स्वीकृत करती हैं जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है, जिसके लिए यह संभावना होती है कि रोकड़ बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकेगा। आकस्मिक देयताएं तब प्रकट होती हैं जब कंपनी के पास संभावित या मौजूदा दायित्व हों और यह संभावना है कि रोकड़ का बरिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं होगा या विश्वसनीय प्राक्कलन संभव नहीं है। संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह के सबंध में संभावित दायित्व या मौजूदा दायित्व दूर हैं तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो स्वीकार की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

टिप्पणी 3 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
(टिप्पणी 2(g) and 6 देखें)

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	13,84,63,365		8,05,59,037	
जमा :				
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का अंतरण	15,30,91,371		12,29,89,877	
घटा :				
वर्ष के दौरान विलोपन का अवलेखित मूल्य	132		-	
		29,15,54,604		20,35,48,914
घटा :				
आय एवं व्यय खाते में अंतरितः				
-वर्ष के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी 8 देखें)		8,09,88,664		6,50,85,549
कुल		**21,05,65,940**		**13,84,63,365**

टिप्पणी 4 – आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि
(टिप्पणी 27 देखें)

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि		-		-
क) आदि शेष	6,70,11,855		4,60,02,604	
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन				
i) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	47,27,428		38,13,342	
ii) अन्य परिवर्धन				
- पीएचडी परियोजना उपरि व्यय	14,37,000		15,74,000	
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सूचना प्रणाली उपरि व्यय	-		55,00,000	
- प्रायोजित परियोजनाएं उपरि व्यय	4,74,000		10,31,000	
- आई.टी.आर.ए. परियोजना उपरि व्यय	18,27,725		90,90,909	
जोड़ (क+ख)		7,54,78,008		6,70,11,855
घटा :				
ग) निधियों का उपयोग / व्यय				
i) राजस्व संबंधी व्यय	-		-	
ii) पूंजीगत व्यय	-		-	
जोड़ (ग)		-		-
वर्ष के अंत में इतिशेष (क+ख-ग)		7,54,78,008		6,70,11,855
कुल		**7,54,78,008**		**6,70,11,855**

टिप्पणी 5 – दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 1 (h) और 32 देखें)	93,44,588	61,80,430
कुल	**93,44,588**	**61,80,430**

टिप्पणी 6 – अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
(a) सहायता अनुदान खाता (टिप्पणी 2(g) और 24 देखें)		
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	2,57,02,92,420	1,96,41,92,850
जमा :		
अचल संपत्तियों के विलोपन संबंधी आरक्षित निधि से अंतरित	132	-
वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान :	1,27,03,51,246	2,17,72,91,139
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज	8,94,01,662	16,14,80,128
पुरानी मदों के निपटान से प्राप्त लाभ	-	-
घटाः		
भारत सरकार को वापस की गई राशि	2,23,25,532	25,55,31,456
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)	15,30,91,371	12,29,89,877
परियोजना उपरि व्यय का आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण (टिप्पणी 27 देखें)	37,38,725	1,71,95,909
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (टिप्पणी 15 देखें)	2,79,29,01,446	1,33,69,54,455
	95,79,88,386	2,57,02,92,420
(b) निक्षेप		
बयाना राशि	-	-
प्रतिभूति	43,000	43,000
(c) अन्य चालू देयताएं (अचल संपत्तियों के लिए)	10,00,063	5,54,347
(d) अन्य चालू देयताएं (व्ययों के लिए)	64,69,65,029	14,63,44,405
(e) अन्य देय		
स्रोत पर कर की कटौती	2,78,44,755	55,25,812
सेवा कर	1,57,091	93,161
वेतन और प्रतिपूर्तियां	17,72,137	9,56,770
भविष्य निधि और अन्य कर्मचारी कटौतियां	3,78,683	4,66,968
अग्रिम में प्राप्त आय	-	93,750
अन्य	5,75,43,629	35,71,399
कुल	**1,69,36,92,773**	**2,72,79,42,032**

टिप्पणी 7 – अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
कर्मचारी कल्याण के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 2 (h) और 32 देखें)	3,20,494	10,36,653
कुल	**3,20,494**	**10,36,653**

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन
(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
CIN : U72900MH2001NPL133410

टिप्पणी 8 - अचल संपत्तियाँ
(टिप्पणी 2(d), (e), (g) and 26 देखें)

राशि रु. में

संपत्तियों का ब्यौरा	कुल संपत्तियाँ – लागत पर				मूल्यह्रास						शुद्ध कुल संपत्तियाँ	
	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2017 को	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के लिए	अनुसूची II के कार्यान्वयन के कारण	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को
(i) मूर्त संपत्तियाँ												
कंप्यूटर उपस्कर #	20,44,88,020	12,05,75,382	-	32,50,63,402	15,51,58,256	-	4,62,96,403	-	-	20,14,54,659	12,36,08,743	4,93,29,764
अनुसंधान उपस्कर	5,39,94,005	2,15,49,874	-	7,55,43,879	3,92,07,224	-	2,23,80,936	-	-	6,15,88,160	1,39,55,719	1,47,86,781
कार्यालय उपकरण *	2,43,60,669	20,40,084	5,814	2,63,94,939	2,17,63,615	-	20,87,648	-	5,682	2,38,45,581	25,49,358	25,97,054
फर्नीचर और जुड़नार	2,50,59,778	15,30,672	-	2,65,90,450	2,02,56,130	-	20,77,179	-	-	2,23,33,309	42,57,141	48,03,648
पट्टाकृत परिसर @	5,59,46,000	-	-	5,59,46,000	30,25,197	-	5,88,905	-	-	36,14,102	5,23,31,898	5,29,20,803
वाहन	32,73,756	-	-	32,73,756	31,85,146	-	36,757	-	-	32,21,903	51,853	88,610
योग	**36,71,22,228**	**14,56,96,012**	**5,814**	**51,28,12,426**	**24,25,95,568**	**-**	**7,34,67,828**	**-**	**5,682**	**31,60,57,714**	**19,67,54,712**	**12,45,26,660**
पिछले वर्ष	26,38,30,534	10,32,91,694	-	36,71,22,228	18,34,98,276	-	5,90,97,292	-	-	24,25,95,568	12,45,26,660	8,03,32,258
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ												
सॉफ्टवेयर	3,11,90,345	73,95,359	-	3,85,85,704	1,72,53,640	-	75,20,836		-	2,47,74,476	1,38,11,228	1,39,36,705
योग	**3,11,90,345**	**73,95,359**	**-**	**3,85,85,704**	**1,72,53,640**	**-**	**75,20,836**	**-**	**-**	**2,47,74,476**	**1,38,11,228**	**1,39,36,705**
पिछले वर्ष	1,14,92,162	1,96,98,183		3,11,90,345	1,12,65,383	-	59,88,257	-	-	1,72,53,640	1,39,36,705	2,26,779
सकल योग	**39,83,12,573**	**15,30,91,371**	**5,814**	**55,13,98,130**	**25,98,49,208**	**-**	**8,09,88,664**	**-**	**5,682**	**34,08,32,190**	**21,05,65,940**	**13,84,63,365**
पिछले वर्ष	27,53,22,696	12,29,89,877	-	39,83,12,573	19,47,63,659	-	6,50,85,549	-	-	25,98,49,208	13,84,63,365	8,05,59,037
(iii) पूंजीगत चालू कार्य											**8,84,31,681**	**15,26,72,115**
											29,89,97,621	**29,11,35,480**

1) @ पट्टाकृत परिसर 10.02.2011 से 95 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किए गए हैं।

2) चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन की आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ें पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किए गए हैं।

31 मार्च, 2014 के अंत तक मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची ग्प्ट के तहत निर्दिष्ट दरों के अधार पर मुहैया कराए जा रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 अनुसूची II में अचल संपत्तियों की उपयोगी आयु निर्धारित की गई है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के तहत निर्दिष्ट दरों से कई मामलों में अलग है। कंपनी ने अचल संपत्तियों की अवशिष्ट मूल्य और उपयोगी आयु का पुनः अनुमान लगाया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रास मुहैया कराया है।

टिप्पणी 9 – गैर चालू निवेश

विवरण	Nominal Value	No. of Shares	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	Rs.		राशि रु. में	राशि रु. में
व्यापार निवेश (लागत पर) (टिप्पणी 31 देखें) एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के शेयरों में निवेश	1	2,400	2,400	2,400
कुल			**2,400**	**2,400**
टिप्पणी:				
गैर उद्धृत– लागत पर			2,400	2,400
b) निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है			-	-

टिप्पणी 10 – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	राशि रु. में	राशि रु. में
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
1) प्रतिभूति जमा	1,14,24,399	74,56,076
2) पूंजी अग्रिम	-	-
3) अग्रिम आय कर (tds)	40,55,029	26,96,292
कुल	**1,54,79,428**	**1,01,52,368**

टिप्पणी 11 – अन्य गैर चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	राशि रु. में	राशि रु. में
अन्य बैंक शेषः:		
सावधि जमा राशियां 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि सहित	-	-
कुल	**-**	**-**

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन
(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
CIN : U72900MH2001NPL133410

टिप्पणी 12 – रोकड और रोकड़ समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी 2 (c) देखें)		
हस्तगत रोकड़	1,36,626	1,36,649
बैंकों में शेष	54,20,986	58,94,90,578
अन्य बैंकों में शेष		
3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाली बैंक जमाएं	90,22,30,491	1,47,12,82,264
कुल	**90,77,88,103**	**2,06,09,09,491**

टिप्पणी 13 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
रोकड़ या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम		
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठन (टिप्पणी 2 (i) देखें)	75,52,85,276	53,69,58,647
(A)	75,52,85,276	53,69,58,647
अन्य ऋण और अग्रिम		
पूर्वदत्त व्यय	25,39,324	25,96,352
कर्मचारियों को अग्रिम	3,56,928	999
अन्य	60,908	79,088
(B)	29,57,160	26,76,439
कुल (A + B)	**75,82,42,436**	**53,96,35,086**

टिप्पणी 14 – अन्य चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
बैंक सावधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	27,97,784	3,87,99,510
सहायता अनुदान प्राप्तियाँ	56,94,500	-
उपदान मूल्यांकन अधिशेष	3,99,531	-
कुल	**88,91,815**	**3,87,99,510**

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन
(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
CIN : U72900MH2001NPL133410

टिप्पणी 15 – सहायता अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2(g), 6 and 24 देखें)	2,79,29,01,446	1,33,69,54,455
कुल	**2,79,29,01,446**	**1,33,69,54,455**

टिप्पणी 16 – अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
(a) वेबसाइट की होस्टिंग और रखरखाव	93,750	3,04,120
(b) ब्याज आय		
- प्रतिभूति जमाओं पर	24,823	20,333
(c) विविध ऋण शेष राशि (शुद्ध)	-	-
(d) विविध आय	79,806	87,683
कुल	**1,98,379**	**4,12,136**

टिप्पणी 17 – अनुसंधान और विकास व्यय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
व्यय – भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठन (टिप्पणी 2(i) देखें)	48,21,18,802	19,60,86,581
वेतन भत्ते और अन्य लाभ	49,62,35,884	45,07,72,313
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	47,25,969	53,71,209
यात्रा और संप्रेषण	68,13,831	65,08,716
अनुसंधान कार्यशाला और सम्मेलन	27,71,73,975	26,96,95,479
व्यवसायिक शुल्क	23,71,165	18,85,789
संचार	27,76,949	25,69,012
किराया	2,09,30,809	1,93,90,958
रखरखाव	64,86,611	70,70,714
ट्रेडमार्क पंजीकरण	26,250	1,26,857
कुल	**1,29,96,60,245**	**95,94,77,628**

टप्पणी 18 – कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
वेतन, भत्ते और अन्य लाभ	16,53,27,573	8,72,20,332
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	-69,841	24,45,491
कर्मचारी कल्याण	19,95,966	19,75,099
कुल	**16,72,53,698**	**9,16,40,922**

टिप्पणी 19 – प्रशासन एवं अन्य व्ययय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
विद्युत	16,11,819	16,35,361
दरें और कर	2,60,552	1,34,995
मरम्मत एवं रखरखाव		
- भवन		-
- अन्य	69,31,175	55,28,268
बीमा	1,52,461	1,50,943
कार्यालय व्यय	3,13,92,483	81,79,502
यात्रा और संप्रेषण	1,57,74,121	1,54,54,434
विधि और व्यवसयिक शुल्क	8,54,46,816	6,07,92,035
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक *	4,10,335	2,67,625
विज्ञापन और सम्मेलन	1,16,49,48,330	16,52,34,934
वेबसाइट रखरखाव खर्च	1,53,496	23,82,925
भर्ती व्यय	38,60,131	42,74,488
संचार व्यय	70,14,868	43,91,332
बैठक व्यय	58,417	3,82,530
विविध व्यय	22,90,438	3,04,096
क्लाउड सर्विस और डेटा संग्रहण	58,80,440	1,71,34,573
कुल	**1,32,61,85,882**	**28,62,48,041**

* अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
अंकेक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)		
a) अंकेक्षक	2,95,000	2,57,625
b) अन्य सेवाओं के लिए	80,275	10,000
c) व्ययों की प्रतिपूर्ति	35,060	-
कुल	**4,10,335**	**2,67,625**

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन
(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
CIN : U72900MH2001NPL133410

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

20. वित्तीय विवरणों में में निम्नलिखित के लेखें शामिल हैं (i) राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (एनईजीडी), (ii) माइगोव (iii) डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन – प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया–कोर) एवं निम्नलिखित के परियोजना लेखें (iv) सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आईटीआरए) और (v) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वराय पीएचडी योजना।

21. वर्ष के अंत में पूंजी और वचनबद्धताएं 53,239,522 रु है; (पिछले वर्ष शून्य थी)।

22 वर्ष के अंत में आकस्मिक देयताएं शून्य हैं (पिछले वर्ष शून्य थी)।

23 कंपनी को वर्ष 2005–2006 से निकासी तक के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई द्वारा 31. 10.2007 को जारी आदेश संख्या CCIT/MUM/10(23)(C) (iv)/66/2007-08 97 के तहत आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)(C)(iv) के अधीन धर्मार्थ प्रयोजन के लिए एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया है और इसलिए यह निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन कर में छूट प्राप्त करने का दावा करने की हकदार है।

कंपनी ने दिनांक 7 अक्टूबर, 2002 के पत्रांक DIT(E)/12A/36786/2002-2003 के तहत आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अधीन अपना पंजीकरण करा लिया है और इसलिए यह इस अधिनियम की धारा 11 के तहत आय से छूट प्राप्त करने का दावा करने की हकदार है।

24 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), ने कंपनी को 2016–17 के दौरान 1,270,351,246 रु. (पिछले वर्ष 2,176,391,765 रु.) की सहायता अनुदान प्रदान किया है। अगर अनुमोदित उद्देश्यों के लिए अनुदान सहायता के किसी भाग की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसे MeitY को वापस कर दिया जाएगा।

अनुदान का ब्यौरा	वित्त वर्ष 2016–17 (रु)	वित्त वर्ष 2015–16 (रु)
राष्ट्रीय ई–शासन विभाग :		
NeGP के तहत राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए परियोजना क्षमता संवर्धन योजना चरण 2	507,600,000	170,826,500
NeGP 2014-17 के लिए जागरूकता और संवाद दृष्टिकोण एवं योजना	255,000,000	103,500,000
NeGD की कार्यप्रणाली 2.0	33,200,000	199,700,000
डिजिटल इंडिया सप्ताह प्रोग्राम शुरू करना	-	483,300,000
त्वरित आकलन प्रणाली	-	69,997,200
राष्ट्रीय डिजिटल लॉकर		196,904,505
राष्ट्रीय भू–सूचना विज्ञान केंद्र		288,250,000
परियोजना GeM के लिए DGS&D से प्राप्त निधि	55,348,900	-
उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू–ऐज गवर्नैंस)	100,000,000	-
योग (a)	**951,148,900**	**1,512,478,205**
माईगवः	100,000,000	166,500,000
शासन में नागरिकों की भागीदारी के लिए प्लेटफार्म		
ई–ग्रीटिंग पोर्टल और संपर्क	88,360,846	-
योग (b)	**188,360,846**	**166,500,000**
इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी के लिए विश्वेश्वर्या पीएचडी योजना (c)	**69,187,000**	**332,000,000**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (d)	**14,400,000**	**95,583,060**
डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन		
डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन)	40,000,000	61,000,000
वाराणसी आईसीटी आधारित एकीकृत विकास कार्यक्रम (VIIDP)	-	2,227,000
वाराणसी आईसीटी आधारित एकीकृत विकास कार्यक्रम (VIIDP) - चरण 2	560,000	-
बिथूर में महिला सशक्तिकरण के लिए आईसीटी – 'बिथूर शक्ति'	1,000,000	-
बधिरों के लिए विजुअल स्पीच ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर (VSTS)	1,960,500	2,233,500
बनारसी साड़ी की बुनाई के लिए ओपन सोर्स कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग (कैड) टूल	3,734,000	4,370,000
योग (e)	**47,254,500**	**69,830,500**
MeitY से सकल प्राप्त अनुदान (a+b+c+d+e)	**1,270,351,246**	**2,176,391,765**
डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन :		
सोशल टेक्नोलॉजीज का डिजिटल उपयोग – ग्लोबल नवाचार और प्रौद्योगिकी गठबंधन, डीएसटी, भारत सरकार	-	899,374
सकल योग	**1,270,351,246**	**2,177,291,139**

25 वर्ष के दौरान सहायता जमा में अनुदान पर प्राप्त ब्याज 89,401,662 रु (पिछले वर्ष 161,280,108 रु) सहायता खाते में जमा करा दिया गया है। वर्ष में कंपनी द्वारा सहायता खाते में अर्जित/अर्जित ब्याज को जमा करा दिया गया है जिसमें वह अर्जित/अर्जित किया गया है, जिस पर प्रोद्भवन के आधार पर अर्जित किया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी ने 22,325,532 रु (पिछले वर्ष 255,531,456 रु) की अनुदान सहायता MeitY को 7,134,955 रु (पिछले वर्ष 4,372,327 रु) ब्याज सहित वापस की है।

26 अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार, अनुदान सहायता से खरीदी गई संपत्ति का निपटान नहीं किया जा सकता, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना बंधा हुआ है। इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल उन लोगों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है जिनके लिए अनुदान मंजूर किया गया है। इसके अलावा, कंपनी को अस्तित्व समाप्त होना चाहिए, ऐसी संपत्ति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वापस कर दी जाएगी, जो कि संपत्ति बेचने या अन्यथा निपटाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

27 एक रिजर्व फंड को आय के मुकाबले बनाया गया है, जिसमें प्रायोजित परियोजनाओं से मिलने वाली धनराशि शामिल है, जो कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली भविष्य के साथ–साथ भविष्य की रख–रखाव की लागत या कंपनी के हितों के अनुकूल किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए हो सकती है। चालू वर्ष के दौरान परियोजना को ओवरहेड्स से प्राप्त 3,738,725 रु की राशि को रिजर्व फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। चूंकि फिक्स्ड डिपॉजिट विशेष रूप से निर्धारित नहीं किए गए हैं, इसलिए 4,727,428 रु तरल टर्म जमाओं पर अर्जित रिजर्व फंड में जमा किए गए हैं।

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन
(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
CIN : U72900MH2001NPL133410

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

28 डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) को 4,729,617 रु के व्यय और कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बारापानी, कॉलेज ऑफ होम साइंसेज, सेंट्रल एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी तुरा और साई ग्रामीण विकास संस्थान, वाराणसी से 44,411 रू के कुल प्राप्त ब्याज का लेखा–जोखा प्राप्त हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग, नागालैंड सरकार से प्राप्त व्ययों का ब्योरा और खर्च की गई कुल परिसंपत्तियों की सकल बही मूल्य 5,000,000 को इन संस्थानों के अधिकृत कर्मियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और ये खाते संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। बकाया 2,399,749 रु के कुल पुष्टिकरण / उपयोगीयता प्रमाण पत्र 4 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाए गए हैं जिसमें से 2,093,755 रु की राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं।

आईटी रिसर्च अकादमी ने i) 32 संस्थानों के 41 परियोजना टीम सदस्यों से 48,250,641 रु के कुल व्यय, 1,088,968 रू के प्राप्त ब्याज और 18,402,537 रुपए की अचल संपत्तियों के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त किया है। ii) 27 परियोजना टीम के सदस्यों जिसमें 21 संस्थान भी शामिल हैं, से रु 21,545,880 के कुल व्यय, 1,088,968 रू के प्राप्त ब्याज और रु 8,446,620 की अचल संपत्तियों के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण को प्राधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है और ये खाते संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। बकाया 12,176,287 रु के कुल पुष्टिकरण / उपयोगीयता प्रमाण पत्र 6 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाए गए हैं जिसमें से 9,365,287 रु की राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं ।

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी के लिए विश्वेश्वर्या पीएचडी येाजना ने i) 28 संस्थानों से 152,772,924 रु के कुल व्यय और 1,078,623 रू के प्राप्त ब्याज के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त किया है। ii) 30 संस्थानों से रु 249,819,739 के कुल व्यय और 1,460,355 रू के प्राप्त ब्याज के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण को प्राधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है और ये खाते संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। बकाया 96,519,858 रु के कुल पुष्टिकरण / उपयोगीयता प्रमाण पत्र 33 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाए गए हैं जिसमें से 26,209,558 रु की राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं ।

NeGD ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (NISG) और अन्य संस्थानों, राज्यों और विश्वविद्यालयों से भर्ती के लिए उपयोग किए गए निधियों और मानव संसाधन प्रबंधन गतिविधियों आदि के लिए दिए गए अग्रिमों में से 467,342,823 रु के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये है जिन्हें प्राधिकृत कर्मियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और ये खाते संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। खाते में उपयोग की जाने वाली आय और व्यय की मात्रा को अनुसंधान और/या विकास व्यय के तहत दिखाया गया है। नोट 13 में शामिल राशि को 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया गया है।

बकाया 520,730,836 रु के कुल पुष्टिकरण / उपयोगीयता प्रमाण पत्र निम्नलिखित संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसमें से 244,035,395 रु की राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं ।

क) खर्च और इन्फ्रा घटकों के लिए क्षमता निर्माण द्वितीय चरण के तहत राज्य – 71,722,735 रु

ख) सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र – 4,964,000 रु

ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम – 1,500,000 रु

घ) भारतीय खेल प्राधिकरण – 3,000,000 रु

च) कामधेनु विश्वविद्यालय – 3,000,000 रु

ज) निदेशक सदस्य सचिव SCITeG – 1,000,000 रु

झ) तेलंगाना राज्य प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रबंध निदेशक – 1,350,000 रु

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

ट) मेघालय सूचना प्रौद्योगिकी सोसायटी – 750,000 रु

ठ) निदेशक, ITDA, उत्तराखंड – 2,500,000 रु

ड) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट को CB II, North East, SCST और CIO के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए – 6,225,205 रु

त) A&C के तहत कार्यशाला आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय – 6,225,205 रु

वित्तीय वक्तव्यों को खर्च के इन्हीं विवरणों और अचल संपत्तियों के विवरण के आधार पर तैयार किया गया है।

29 **विदेशी मुद्रा में व्यय**

		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष (रु)	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष (रु)
i)	यात्रा व्यय	312,393	160,434
ii)	ट्रेडमार्क नवीकरण	-	96,607
iii)	उपस्कर	721,358	3,550,526
	योग	**1,033,751**	**3,807,567**

विदेशी मुद्रा के व्यय में अकादमिक संस्थानों द्वारा किए गए खर्च शामिल हैं।

30 कर्मचारी लागत में वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान प्रबंध निदेशक को अदा किया गया शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) का पारिश्रमिक शामिल है।

31 कंपनी ने 17 सितंबर, 2008 को एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के साथ आईआईटी, बॉम्बे द्वारा डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) के साथ मिलकर विकसित एक्वा सॉफ्टवेयर लाइसेंस का इस्तेमाल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी को एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के 2400 शेयर (अंकित मल्य 1 रु. प्रति शेयर) प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रकटर गैर–चालू निवेशों के अंतर्गत किया गया है।

32 **कर्मचारी लाभ**

कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएं

A. **उपदान निधि में अंशदान**

31 मार्च, 2015 को कंपनी के कर्मचारियों के लिए कंपनी के उपदान निधि के विवरण नीचे दिए गए हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रमाणित किए गए हैं और जिन पर लेखापरीक्षक निर्भर रहे हैं।

		वित्त वर्ष 2015–16	वित्त वर्ष 2014–15
i.	मूल्यांकन विधि	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट विधि	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट विधि
ii.	बीमांकिक धारणाए		
	मृत्यु दर	**LIC(1994-96) अल्टीमेट**	**LIC(1994-96) अल्टीमेट**
	आहरण दर	1%	1%
	डिस्काउंट दर	8%	8%
	वेतन वृद्धि	10.00%	10.00%
iii.	मूल्यांकन के परिणाम	रुपये	रुपये

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

a.	विगत सेवा लाभ का PV	5,543,922	4,873,320
b.	वर्तमान सेवा लागत	249,197	291,811
c.	कुल सेवा उपदान	19,324,393	18,595,012
d.	उपचित उपदान	7,515,084	6,180,682

B. अवकाश नकदीकरण

आय एवं व्यय के विवरण में डेबिट किए गए संचयी अवकाश नकदीकरण और संविदागत कर्मचारियों की देयता के लिए 200,996 रु. (पिछले वर्ष 378,036 रु.) के संबंध में बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार, प्रावधान के लिए कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान में 2,247,003 रु. (पिछले वर्ष 1,917,152 रु.) शामिल हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कंपनी के लेखों में यथा प्रदर्शित कुल देयता 8,833,173 रु. (पिछले वर्ष 6,586,170 रु.) है। कंपनी ने देयता का वित्तपोषण नहीं किया है।

परिभाषित अंशदान योजनाएं

कंपनी ने भविष्य निधि / पेंशन निधि के लिए 4,159,927 रु. (पिछले वर्ष 4,042,149 रु.) स्वीकार किए हैं।

33. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बकाएं

कंपनी को सप्लायरों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस संबंध में प्रकटन निम्नानुसार किया जाता हैः

अ) लेखांकन वर्ष के अंत में सप्लायरों को देय और बकाये की राशि ब) वर्ष के दौरान अदा किया गया ब्याज स) लेखांकन वर्ष के अंत में देय ब्याज और कद्ध लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त ब्याज नहीं दिया गया है।

कंपनी अधिनियम के तहत सप्लायरों की स्थिति में बारे से उनसे कन्फर्मेशन हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है।

34. कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत जारी लेखांकन मानकों (अर्थात् कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006) से संबंधित सामान्य निर्देशों में यथा परिभाषित लघु और मध्यम कंपनी (SMC) है जो कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के अनुसार लेखांकन मानक माने जाएंगे, ये लेनदेन प्रावधान के रूप में लेखांकन तक माने जाएंगे जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट किया गया है। तदनुसार, कंपनी ने लघु एवं मध्यम कंपनी पर यथा लागू लेखांकन मानकों का पालन किया है।

35. देनदारों और लेनदारों के साथ शेष पुष्टिकरण यदि कोई हों, संतुलन और तत्संबंधी समायोजनों के अधीन हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी के पास निर्दिष्ट बैंक नोट्स (SBN's) या दिनांक 30 मार्च, 2017 को एमसीए अधिसूचना, **G.S.R. 308(E),** में परिभाषित अन्य नोटस थे। 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान SBNs का संव्यवहार, संहिता के अनुसार SBNs और अधिसूचना के अनुसार अन्य नोटस का विवरण निम्नानुसार हैंः

विवरण	निर्दिष्ट बैंक नोट्स (SBNs)	अन्य मूल्य सूचक नोट्स	कुल
8 नवंबर, 2016 को बंद रोकड़ शेष	92,500	2,12,854	3,05,354
जोड़ें : अनुमत प्राप्तियां	-	29,503	29,503
कम : अनुमत भुगतान	-	5,75,973	5,75,973
जोड़ें : बैंक से निकाली गई राशि	-	5,30,604	5,30,604
कम : बैंकों में जमा राशि	92,500	15,200	1,07,700
30 दिसंबर 2016 को बंद को रोकड़ शेष	-	1,81,788	1,81,788

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

36. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक था, वहां पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

37. कंपनी ने अपनी वार्षिक आम बैठक को आयोजित करने के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक समय सीमा बढ़ाए जाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 (1) के तहत अनुमति प्राप्त कर ली है।

टिप्पणी संख्या 1 से 37 के लिए हस्ताक्षर

कृत ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 1106293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

संजीव गुप्ता
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[DIN - 07596482]

नीता वर्मा
निदेशक
[DIN – 01574452]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

स्वचलित वित्तीय विवरण

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस विभाग (NEGD)
(डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का विभाग)

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)

[डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) का विभाग]

मार्च 31, 2017 को बैलेंस शीट

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	**साम्य और देयताएं**			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(a) शेयर पूंजी		-	-
	(b) आरक्षित निधि और अधिशेष	3	10,97,30,624	75,16,394
2	चालू देयताएं			
	(a) अन्य चालू दयताए	4	1,38,90,74,286	1,58,55,42,590
	कुल		**1,49,88,04,910**	**1,59,30,58,984**
II.	संपत्तियां			
1	गैर चालू संपत्तियां			
	(a) अचल संपत्तियां	5		
	(i) मूर्त संपत्तियां		10,66,39,038	73,75,030
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		30,91,586	1,41,364
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		2,18,51,403	11,04,01,035
			13,15,82,027	11,79,17,429
	(b) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	6	25,04,739	16,86,060
	(c) अन्य गैर चालू संपत्तियां	7	-	-
2	चालू संपत्तियां			
	(a) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	8	77,11,37,487	1,14,76,83,811
	(b) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	9	59,35,80,657	30,29,46,613
	(c) अन्य चालू सपात्तया	10	-	2,28,25,071
	कुल		**1,49,88,04,910**	**1,59,30,58,984**
			-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

हमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए लेखा खातों एवं अन्य अभिलेखों के साथ, और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त बैलेंस शीट, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय के विवरण, और लेखों के संबंधित टिप्पणियों की जांच की है, और हम प्रमाणित करते हैं कि ये सही हैं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)

संजीव गुप्ता
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएन - 07596482]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)

[डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) का विभाग]

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय विवरण

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
I.	सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2(g), 4 and 16 देखें)	11	1,13,65,79,122	89,33,25,902
II.	अन्य आय	12	58,555	6,275
III.	**कुल आय**		**1,13,66,37,677**	**89,33,32,177**
	व्यय :			
	अनुसंधान और विकास व्यय	13	73,27,29,288	68,16,58,964
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	14	3,09,05,136	2,36,85,279
	प्रशासन और अन्य व्यय	15	37,30,03,253	18,79,87,934
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	– अनुसंधान संपत्तियों पर		1,63,35,070	23,59,319
	– अन्य संपत्तियों पर		4,26,261	4,87,934
			1,67,61,331	28,47,253
	घटा : अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधियों से अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)		1,67,61,331	28,47,253
IV.	**कुल आय**		**1,13,66,37,677**	**89,33,32,177**
V.	विशिष्ट और असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (III-IV)		-	-
VI.	विशिष्ट मदें		-	-
VII.	असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (V - VI)		-	-
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	**करपूर्व व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (VII- VIII)**		-	-
X.	कर संबंधी व्ययः			
XI.	**वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां आय एवं व्यय विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)

संजीव गुप्ता
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएन - 07596482]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)

[डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) का विभाग]

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

1 पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD) मीडिया लैब एशिया के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यापार विभाग है। डिजिटल भारत के विभिन्न कार्यक्रम प्रबंधन पहलुओं में रणनीतिक योजना और क्षमता निर्माण मानक नीतियों और दिशानिर्देशों का विकासय जागरूकता और संचारय मूल्यांकन और मूल्यांकनय और भौतिक और डिजिटल / सामाजिक प्लेटफार्मों के माध्यम से जन भागीदारी सहित ई–क्रांति पहल में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का समर्थन करने के लिए NeGD को अनिवार्य किया गया है। NeGD राष्ट्रीय डिजिटल लॉकर, भू–सूचना विज्ञान और डिजिटल भारत के राष्ट्रीय केंद्र के तहत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भी जिम्मेदार है। NeGD में पूर्ण वित्तीय और एचआर स्वायत्तता है एनएजीडी के खातों, वित्त और मानव संसाधन को नियंत्रित, प्रबंधित और रखरखाव विभाग द्वारा ही किया जाता है और विभाजन की अगुवाई अध्यक्ष और सीईओ, NeGD करते हैं।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(a) वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार तैयार किए जाते हैं। लेखें उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी और वर्तमान व्यापार अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए हैं। नए जारी लेखांकन मानकों को अपनाने के कारण हुए बदलावों या मौजूदा लेखांकन मानकों की पुनरीक्षा की गई है, जो यहां इसमें प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन के लिए अपेक्षित थे, को छोड़कर लेखांकन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है।

(b) प्राक्कलनों का प्रयोग

GAAP के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन और धारणाएं तैयार करनी अपेक्षित होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं की सूचित राशियों तथा सूचित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्ताविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में जानने के बाद प्रबंधन प्राक्कलनों में उचित बदलाव करते हैं। प्राक्कलनों में किए गए बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं और अगर ये महत्वपूर्ण हैं तो इनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

(c) रोकड़ और रोकड़ समतुल्यः

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंक में मांग जमाराशियां शामिल हैं। रोकड़ समतुल्य अल्पकालिक शेष (अर्जन की तारीख से तीन माह या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले), उच्च तरलता वाले निवेश है जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तित किए जाते हैं और जो मूल्य में बदलाव के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

(d) मूर्त और अर्मूत अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचयी मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है। लागत में उधार लेने की लागत, आवक भाड़ा, चुंगी, कर और परिसंपत्तियों को उनके वांछित इस्तेमाल के लिए चालू हालत में लाने के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापना के संबंध में किए गए आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

अमूर्त परिसंपतियां, इनको अधिगृहीत करने पर किए गए व्यय के आधार पर रिकार्ड की जाती हैं और इन्हें लागत घटा संचयी परिशोधन और हानियों पर दर्शाया जाता है।

(e) मूल्यह्रास/परिशोधन

पट्टाकृत परिसरों के अलावा, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख से उसकी अनुमानित उपयोगी आयु पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर मुहैया कराया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु का आकलन किया है और

अनुसूची II के अनुसार उपयोगी आयु को अपनाया है। 5000 रु. या इससे कम मूल्य वाली संपत्ति को उनके प्राप्त करने के वर्ष के दौरान पूरा अवमूल्यन किया गया है। पट्टाकृत परिसरों का परिशोधन पट्टे की प्राथमिक अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अचल संपत्तियों का परिशोधन पांच वर्ष या अनुमानित उपयोगी आयु, इनमें से जो भी कम हों, के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है।

सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का पूंजीकरण किया गया है और समतुल्य राशि अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित की गई है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों के विलोपन अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से समायोजन के द्वारा किया जाता है।

(f) निवेश

गैर–चालू निवेशों के तहत शामिल दीर्घकालिक निवेश, ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी से इतर, लागत घटा कमी के लिए प्रावधान पर किए जाते हैं। चालू निवेश कम लागत पर किए जाते हैं और शुद्ध मूल्य और परिणामी कमी, यदि कोई हों, राजस्व से प्रभारित किया जाता है। लागत में दलाली, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

(g) सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान, व्यय के लिए इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान को किए गए व्यय की सीमा तक आय एवं व्यय लेखा में अंतरित किया गया है। अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान के भाग को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास की समतुल्य राशि को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से आय एवं व्यय विवरण में अंतरित किया गया है और मूल्यह्रास प्रभार में घटाया गया है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त भाग को देयता के रूप में माना गया है।

(h) कर्मचारी लाभः

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताएं, सेवाएं प्रदान करने के 12 माह के अंदर पूर्णतया देय होती हैं। ऐसे लाभों के अनुमान लगाए जाते हैं और उस अवधि के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना के जरिये भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी, दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर हर माह अंशदान करते हैं। ये अंशदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियमित उक्त भविष्य निधि योजना में अंशदान एक परिभाषित अंशदान योजना है।

योजनाओं के तहत प्रदत्त/पेय अंशदान उस अवधि के दौरान स्वीकार किए जाते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(iii) परिभाषित लाभ योजना

उपदान (वित्तपोषित) मुहैया कराने की लागतें निर्धारित करने में प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने अपनी उपदान योजना को चलाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक समझौता किया है। प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए उपदान की अधिकतम राशि आयकर नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन है।

(iv) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अवधि के दौरान स्वीकार की गई क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हैं।

संविदागत कर्मचारियों के संबंध में अवेलमेंट सहित अवकाश नकदीकरण के प्रावधान उपार्जित है और संबधित कर्मचारी के साथ किए गए संविदा के अनुसार पूर्ण देयता आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर कर्मचारी की बची संचयी छुट्टियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों पर किए गए व्ययः

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट, राज्यों और अन्य संगठनों की अग्रिम राशि या तो आय और व्यय के वक्तव्य में वर्णित है या लेखा के वक्तव्य के आधार पर अचल संपत्ति के रूप में पूंजीकृत है, जिन्हें स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा आवधिक अंतराल पर सत्यापित किया गया हैं।

(j) विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखांकन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है। वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण मुद्रा में घट–बढ़ को उसी अवधि के आय एवं व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

विदेशी मुद्रा संपत्तियां और देयताएं वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा में घट–बढ़ को आय एवं व्यय के विवरण में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर पर दर्शाया जाता है।

(k) पट्टाकृत संपत्तियां

पट्टे पर ली गई संपत्तियां, जिनमें जोखिमों का बड़ा हिस्सा और स्वामित्व का रिवार्ड्स पट्टाकार के पास रहता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। पट्टाकृत संपत्तियों के किराये और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय माने जाते हैं।

(l) संपत्तियों की हानिः

प्रबंधन तुलन पत्र की तारीख पर इस बात का आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी संपत्ति में हानि हो सकती है। अगर ऐसे कोई संकेत होते हैं तो इसकी वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाता है (अर्थात् संपत्ति के निवल विक्रय मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक)। संपत्तियों की वसूली योग्य राशि या रोकड़ जनरेटिंग यूनिट, जिससे संपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि, वाहक राशि से कम है तो वाहक राशि को इसकी वसूली योग्य राशि में से घटाया जाता है। इस कटौती को हानि माना जाता है और इसे आय एवं व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। अगर तुलन पत्र की तारीख पर यह संकेत है कि पूर्व में आकलित हानि अब मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनःआकलन किया जाता है और राशि को अधिकतम ह्रासयोग्य ऐतिहासिक लागत के अध्यधीन ऐसी वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है। हानि का ऐसा विपर्यय, यदि किया जाता है, तो विपर्यय को हानि को स्वीकार करने के बाद होने वाली घटना से निष्पक्षता से जोड़ सकते हैं।

(m) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

कंपनी प्रावधान तब स्वीकृत करती हैं जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है, जिसके लिए यह संभावना होती है कि रोकड़ बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकेगा। आकस्मिक देयताएं तब प्रकट होती हैं जब कंपनी के पास संभावित या मौजूदा दायित्व हों और यह संभावना है कि रोकड़ का बरिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं होगा या विश्वसनीय प्राक्कलन संभव नहीं है। संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह के सबंध में संभावित दायित्व या मौजूदा दायित्व दूर हैं तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो स्वीकार की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

टिप्पणी 3 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
(टिप्पणी 2(g) and 4 देखे)

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	75,16,394		30,65,634	
जमा :				
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का अंतरण	11,89,75,561		72,98,013	
घटा :	-		-	
वर्ष के दौरान विलोपन का अवलेखित मूल्य		12,64,91,955		1,03,63,647
घटा :				
आय एवं व्यय खाते में अंतरित :				
- वर्ष के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी 5 देखें)		1,67,61,331		28,47,253
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के कार्यान्वयन के कारण मूल्यह्रास				
कुल		**10,97,30,624**		**75,16,394**

टिप्पणी 4 – अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
(a) सहायता अनुदान खाता (टिप्पणी 2(g) और 16 देखें)				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार		1,53,42,69,072		1,06,85,87,852
जमा :				
अचल संपत्तियों के विलोपन संबंधी आरक्षित निधि से अंतरित		-		-
वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान :		95,11,48,900		1,51,24,78,205
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज		6,35,97,696		10,93,58,386
घटा :				
भारत सरकार को वापस की गई राशि		2,22,18,838		25,55,31,456
अचल संपत्तियों के लिए अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)		11,89,75,561		72,98,013
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (टिप्पणी 11 देखें)		1,13,65,79,122		89,33,25,902
		1,27,12,42,147		1,53,42,69,072
(b) अन्य चालू देयताएं (अचल संपत्तियों के लिए)				-
(c) अन्य चालू देयताएं (व्यय के लिए)		5,08,12,659		4,27,35,522
(d) अन्य देय				
- स्रोत पर कर की कटौती		96,90,085		45,80,823
- सेवा कर		65,445		66,477
- वेतन और प्रतिपूर्तियां		-		4,88,945
- भविष्य निधि और अन्य कर्मचारी कटौतियां		14,520		1,24,551
- आपूर्तिकर्ता से प्रतिभूति जमा		5,72,49,430		32,77,200
कुल		**1,38,90,74,286**		**1,58,55,42,590**

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)
[डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) का विभाग]

टिप्पणी 5 - अचल संपत्तियाँ
(टिप्पणी 2(d), (e), (g) and 17 देखें)

राशि रु. में

संपत्तियों का ब्यौरा	कुल संपत्तियाँ – लागत पर				मूल्यह्रास					शुद्ध कुल संपत्तियाँ	
	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2017 को	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के लिए	अनुसूची II के कार्यान्वयन के कारण	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को
(i) मूर्त संपत्तियाँ											
कंप्यूटर उपस्कर	1,36,48,541	11,37,72,482	-	12,74,21,023	86,06,273	1,56,42,798	-	-	2,42,49,071	10,31,71,952	50,42,268
कार्यालय उपकरण	24,35,376	10,13,332	-	34,48,708	15,31,471	4,39,936	-	-	19,71,407	14,77,301	9,03,905
फर्नीचर और जुड़नार	33,31,440	9,87,189	-	43,18,629	19,02,583	4,26,261	-	-	23,28,844	19,89,785	14,28,857
योग	**1,94,15,357**	**11,57,73,003**	**-**	**13,51,88,360**	**1,20,40,327**	**1,65,08,995**	**-**	**-**	**2,85,49,322**	**10,66,39,038**	**73,75,030**
पिछले वर्ष	1,21,75,426	72,39,931	-	1,94,15,357	92,23,399	28,16,928	-	-	1,20,40,327	73,75,030	29,52,027
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ											
सॉफ्टवेयर	10,20,058	32,02,558	-	42,22,616	8,78,694	2,52,336	-	-	11,31,030	30,91,586	1,41,364
योग	**10,20,058**	**32,02,558**	**-**	**42,22,616**	**8,78,694**	**2,52,336**	**-**	**-**	**11,31,030**	**30,91,586**	**1,41,364**
पिछले वर्ष	9,61,976	58,082	-	10,20,058	8,48,369	30,325	-		8,78,694	1,41,364	1,13,607
सकल योग	**2,04,35,415**	**11,89,75,561**	**-**	**13,94,10,976**	**1,29,19,021**	**1,67,61,331**	**-**	**-**	**2,96,80,352**	**10,97,30,624**	**75,16,394**
पिछले वर्ष	1,31,37,402	72,98,013	-	2,04,35,415	1,00,71,768	28,47,253	-	-	1,29,19,021	75,16,394	30,65,634
(iii) पूंजीगत चालू कार्य										2,18,51,403	11,04,01,035
										13,15,82,027	**11,79,17,429**

टिप्पणी 6 – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
प्रतिभूति जमा	9,25,179	1,06,500
अग्रिम आय कर (tds)	15,79,560	15,79,560
कुल	**25,04,739**	**16,86,060**

टिप्पणी 7 – अन्य गैर चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
अन्य बैंक शेष::		
सावधि जमा राशियां 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि सहित	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 8 – रोकड और रोकड़ समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी 2 (c) देखें)		
हस्तगत रोकड़	21,206	-
बैंकों में शेष	-7,12,46,719	22,81,21,811
अन्य बैंकों में शेष		
3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाली बैंक जमाएं	84,23,63,000	91,95,62,000
कुल	**77,11,37,487**	**1,14,76,83,811**

टिप्पणी 9 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
रोकड़ या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम		
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट	46,03,50,039	20,33,74,238
सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम	49,64,000	49,64,000
अन्य परियोजना अग्रिम	1,31,00,000	45,00,000
परिचालन व्यय के लिए राज्यों को अग्रिम	7,17,22,735	8,65,34,996
आपूर्तिकर्ता के लिए अग्रिम	3,65,59,180	29,44,226
विश्वविद्यालयों के लिए अग्रिम	62,25,206	-
(A)	59,29,21,160	30,23,17,460
अन्य ऋण और अग्रिम		
पूर्वदत्त व्यय	3,70,497	6,29,153
कर्मचारियों को अग्रिम	2,89,000	-
(B)	6,59,497	6,29,153
कुल (A + B)	**59,35,80,657**	**30,29,46,613**

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)
[डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) का विभाग]

टिप्पणी 10 – अन्य चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
बैंक सावधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	-	2,28,25,071
कुल	**-**	**2,28,25,071**

टिप्पणी 11 – सहायता अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2 (g) and 16 देखें)	1,13,65,79,122	89,33,25,902
कुल	**1,13,65,79,122**	**89,33,25,902**

टिप्पणी 12 – अन्य आय

विवरण	March 31, 2017 Amount (in Rs.)	March 31, 2016 Amount (in Rs.)
(a) ब्याज आय		
- सावधि जमाराशियों पर		-
- अग्रिम पर	-	-
(b) अन्य आय	58,555	6,275
कुल	**58,555**	**6,275**

टिप्पणी 13 – अनुसंधान और विकास व्यय

विवरण	March 31, 2017 Amount (in Rs.)	March 31, 2016 Amount (in Rs.)
वेतन भत्ते और अन्य लाभ	45,58,22,852	41,25,30,021
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	38,31,582	39,02,565
अनुसंधान कार्यशाला और सम्मेलन	27,30,74,854	26,52,26,378
कुल	**73,27,29,288**	**68,16,58,964**

टिप्पणी 14 – कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	March 31, 2017 Amount (in Rs.)	March 31, 2016 Amount (in Rs.)
वेतन, भत्ते और अन्य लाभ	3,01,09,774	2,27,78,313
कर्मचारी कल्याण	7,95,362	9,06,966
कुल	**3,09,05,136**	**2,36,85,279**

टिप्पणी 15 – प्रशासन एवं अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
मरम्मत एवं रखरखाव		
- भवन		-
- अन्य	11,07,526	13,03,451
कार्यालय व्यय	83,76,841	57,29,632
यात्रा और संप्रेषण	1,19,85,362	1,27,26,134
विधि और व्यवसयिक शुल्क	8,48,33,836	6,00,20,934
विज्ञापन और सम्मेलन	25,98,62,689	10,09,82,032
भर्ती व्यय	31,99,399	35,69,498
संचार व्यय	36,00,556	36,05,280
विविध व्यय	37,044	50,973
कुल	**37,30,03,253**	**18,79,87,934**

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (**NeGD**)

[डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) **का विभाग]**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

16. NeGD ने वर्ष 2016-17 के दौरान **951,148,900** रु. (पिछले वर्ष **1,512,478,205** रु.) का सहायता अनुदान प्राप्त किया है। वर्ष के दौरान, सहायता अनुदान जमाओं पर ब्याज **63,597,696** रु (पिछले वर्ष **Rs. 109,358,386** रु.) को सहायता अनुदान खाते में जमा कराया गया है। अर्जित/उपार्जित ब्याज को अनुदान सहायता के खाते में उस वर्ष जमा किया है, जिसमें यह बीमांकिक आधार पर अर्जित/उपार्जित हुआ है। NeGD ने वर्ष 2016-17 के दौरान MeitY को अनुदान की राशि **में से 22,218,938** रु (पिछले वर्ष **255,531,456** रु) जिसमे **7,134,955** रु (पिछले वर्ष **4,372,327** रु) का ब्याज **शामिल** हैं, वापिस किया है।

अनुदान का ब्यौरा	वित्त वर्ष 2016–17 (रु)	वित्त वर्ष 2015–16 (रु)
राष्ट्रीय ई–शासन विभाग :		
NeGP के तहत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए परियोजना क्षमता संवर्धन योजना चरण 2	507,600,000	170,826,500
NeGP 2014-17 के लिए जागरूकता और संवाद दृष्टिकोण एवं योजना	255,000,000	103,500,000
NeGD की कार्यप्रणाली 2.0	33,200,000	199,700,000
डिजिटल इंडिया सप्ताह प्रोग्राम शुरू करना	-	483,300,000
त्वरित आकलन प्रणाली	-	69,997,200
राष्ट्रीय डिजिटल लॉकर	-	196,904,505
राष्ट्रीय भू–सूचना विज्ञान केंद्र	-	288,250,000
परियोजना GeM के लिए DGS&D से प्राप्त निधि	55,348,900	-
उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू–ऐज गवर्नैंस)	100,000,000	-
योग	**951,148,900**	**1,512,478,205**

17 इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से पूर्व अनुमति लिए बगैर सहायता अनुदान पर लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार, सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों को निपटान या भारग्रस्त नहीं किया जा सकता। इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल, उन उद्देश्यों, जिनके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, से इतर उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कंपनी का आस्तित्व समाप्त हो रहा है तो ये संपत्तियां इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को लौटा दी जाएंगी, जो संपत्तियों को बेचने या निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगी।

18 NeGD ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (NISG) और अन्य संस्थानों, राज्यों और विश्वविद्यालयों से भर्ती के लिए उपयोग किए गए निधियों और मानव संसाधन प्रबंधन गतिविधियों आदि के लिए दिए गए अग्रिमों में से 467,342,823 रु के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये है जिन्हें प्राधिकृत कर्मियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और ये खाते संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। खाते में उपयोग की जाने वाली आय और व्यय की मात्रा को अनुसंधान और/या विकास व्यय के तहत दिखाया गया है। नोट 13 में शामिल राशि को 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया गया है।

बकाया 520,730,836 रु के कुल पुष्टिकरण / उपयोगीयता प्रमाण पत्र निम्नलिखित संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसमें से 244,035,395 रु की राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं ।

क) खर्च और इन्फ्रा घटकों के लिए क्षमता निर्माण द्वितीय चरण के तहत राज्य – 71,722,735 रु

ख) सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र – 4,964,000 रु

ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम – 1,500,000 रु

घ) भारतीय खेल प्राधिकरण – 3,000,000 रु

च) कामधेनु विश्वविद्यालय – 3,000,000 रु

ज) निदेशक सदस्य सचिव SCITeG – 1,000,000 रु

झ) तेलंगाना राज्य प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रबंध निदेशक – 1,350,000 रु

ट) मेघालय सूचना प्रौद्योगिकी सोसायटी – 750,000 रु

ठ) निदेशक, ITDA, उत्तराखंड – 2,500,000 रु

ड) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट को CB II, North East, SCST और CIO के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए – 6,225,205 रु

त) A&C के तहत कार्यशाला आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय – 6,225,205 रु

19 विदेशी मुद्रा में व्यय

		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष (रु)	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष (रु)
i)	यात्रा व्यय	312,393	160,434
	योग	**312,393**	**160,434**

20 **कर्मचारी लाभ**

कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएं

कंपनी ने भविष्य निधि / पेंशन निधि के लिए 2,100,013 रु. (पिछले वर्ष 2,148,366 रु.) स्वीकार किए हैं।

21 वर्ष के अंत में पूंजी और वचनबद्धताएं शून्य है; (पिछले वर्ष शून्य थी)।

22 वर्ष के अंत में आकस्मिक देयताएं शून्य हैं (पिछले वर्ष शून्य थी)।

23 देनदारों और लेनदारों के साथ शेष पुष्टिकरण, संतुलन और तत्संबंधी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं।

24 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बकाएं

कंपनी को सप्लायरों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस संबंध में प्रकटन निम्नानुसार किया जाता है :

a) लेखांकन वर्ष के अंत में सप्लायरों को देय और बकाये की राशि b) वर्ष के दौरान अदा किया गया ब्याज c) लेखांकन वर्ष के अंत में देय ब्याज और d) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त ब्याज नहीं दिया गया है।

कंपनी अधिनियम के तहत सप्लायरों की स्थिति में बारे से उनसे पुष्टिकरण हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है।

25 वर्ष के दौरान, कंपनी के पास निर्दिष्ट बैंक नोट्स (SBN's) या दिनांक 30 मार्च, 2017 को एमसीए अधिसूचना, G.S.R. 308(E), में परिभाषित अन्य नोटस थे। 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान SBNs का संव्यवहार, संहिता के अनुसार SBNs और अधिसूचना के अनुसार अन्य नोटस का विवरण निम्नानुसार हैं:

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (**NeGD**)
[डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) **का विभाग]**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

विवरण	निर्दिष्ट बैंक नोट्स (SBNs)	अन्य मूल्य सूचक नोट्स	कुल
8 नवंबर, 2016 को बंद रोकड़ शेष	-	55,000	55,000
जोड़ें : अनुमत प्राप्तियां	-	15,200	15,200
कम : अनुमत भुगतान	-	85,604	85,604
जोड़ें : बैंक से निकाली गई राशि	-	85,604	85,604
कम : बैंकों में जमा राशि	-	15,200	12,500
30 दिसंबर 2016 को बंद को रोकड़ शेष	-	55,000	55,000

26 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक था, वहां पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी संख्या 1 से 26 के लिए हस्ताक्षर

कृत ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 1106293W

कृते राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)

सी.ए. अंकुश गोयल

साझेदार

सदस्यता संख्या 146017

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

संजीव गुप्ता

प्रबंध निदेशक और सीईओ

[DIN - 07596482]

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

माईगोव
(डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का विभाग)

माईगोव

[डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) का विभाग]

मार्च 31, 2017 को बैलेंस शीट

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
I.	**साम्य और देयताएं**			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(a) शेयर पूंजी		-	-
	(b) आरक्षित निधि और अधिशेष	3	2,53,39,762	4,64,45,398
2	चालू देयताएं			
	(a) अन्य चालू दयताए	4	7,73,39,494	43,39,83,286
	कुल		**10,26,79,256**	**48,04,28,684**
II.	संपत्तियां			
1	गैर चालू संपत्तियां			
	(a) अचल संपत्तियां	5		
	(i) मूर्त संपत्तियां		1,67,30,335	3,41,55,165
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		86,09,427	1,22,90,233
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		6,56,08,928	3,90,46,184
			9,09,48,690	8,54,91,582
	(b) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	6	31,24,644	-
	(c) अन्य गैर चालू संपत्तियां	7	-	-
2	चालू संपत्तियां			
	(a) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	8	81,64,305	39,08,17,782
	(b) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	9	2,14,780	1,25,383
	(c) अन्य चालू सपात्तया	10	2,26,837	39,93,937
	कुल		**10,26,79,256**	**48,04,28,684**
			-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

हमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए लेखा खातों एवं अन्य अभिलेखों के साथ, और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त बैलेंस शीट, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय के विवरण, और लेखों के संबंधित टिप्पणियों की जांच की है, और हम प्रमाणित करते हैं कि ये सही हैं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते माईगोव

नीता वर्मा
सीईओ
[DIN – 01574452]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

माईगोव

[डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) का विभाग]

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय विवरण

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
I.	सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2(g), 4 and 16 देखें)	11	1,06,61,94,458	14,40,15,045
II.	अन्य आय	12	-	-
III.	कुल आय		**1,06,61,94,458**	**14,40,15,045**
	व्यय :			
	अनुसंधान और विकास व्यय	13	-	-
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	14	12,76,49,636	5,81,27,993
	प्रशासन और अन्य व्यय	15	93,85,44,822	8,58,87,052
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	– अनुसंधान संपत्तियों पर		2,59,25,407	4,15,07,903
	– अन्य संपत्तियों पर		64,155	-
			2,59,89,562	4,15,07,903
	घटा : अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधियों से अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)		2,59,89,562	4,15,07,903
IV.	कुल आय		**1,06,61,94,458**	**14,40,15,045**
V.	विशिष्ट और असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (III-IV)		-	-
VI.	विशिष्ट मदें		-	-
VII.	असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (V - VI)		-	-
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	**करपूर्व व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (VII- VIII)**		-	-
X.	कर संबंधी व्ययः		-	-
XI.	**वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां आय एवं व्यय विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते माईगोव

नीता वर्मा
सीईओ
[DIN – 01574452]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

माईगोव

[डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) का विभाग]

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

1 पृष्ठभूमि

माईगोव डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) का एक स्वतंत्र व्यापार विभाग है। माईगोव प्लेटफार्म अपनी किस्म की पहली और अनूठी भागदारी शासन पहल है जिसमें आम जनता बड़ी संख्या में शामिल है। माईगोव का आइडिया भारत के सामाजिक और आर्थिक बदलाव में योगदान देने के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए आम नागरिकों और विशेषज्ञों को शामिल करके विचारों एवं दृष्टिकोणों के आदान–प्रदान के लिए एक इंटरफेस का सृजन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके सरकार को आम आदमी के करीब लाता है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 25.09.2014 के प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक L-14018/1/2014-HRD के तहत परियोजना माईगोव को मंजूरी प्रदान की है। माईगोव परियोजना का उद्देश्य विचार, फीडबैक और नीति निर्माण एवं निष्पादन में भाग लेने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान देने के लिए आम आदमी को समर्थ बनाने के लिए एक इंटरनेट आधारित प्लेटफार्म मुहैया करना है। पांच वर्षों के लिए परियोजना का परिव्यय 99.48 करोड़ रुपये है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(a) वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार तैयार किए जाते हैं। लेखें उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी और वर्तमान व्यापार अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए हैं। नए जारी लेखांकन मानकों को अपनाने के कारण हुए बदलावों या मौजूदा लेखांकन मानकों की पुनरीक्षा की गई है, जो यहां इसमें प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन के लिए अपेक्षित थे, को छोड़कर लेखांकन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है।

(b) प्राक्कलनों का प्रयोग

GAAP के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन और धारणाएं तैयार करनी अपेक्षित होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं की सूचित राशियों तथा सूचित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्ताविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में जानने के बाद प्रबंधन प्राक्कलनों में उचित बदलाव करते हैं। प्राक्कलनों में किए गए बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं और अगर ये महत्वपूर्ण हैं तो इनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

(c) रोकड़ और रोकड़ समतुल्यः

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंक में मांग जमाराशियां शामिल हैं। रोकड़ समतुल्य अल्पकालिक शेष (अर्जन की तारीख से तीन माह या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले), उच्च तरलता वाले निवेश है जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तित किए जाते हैं और जो मूल्य में बदलाव के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

(d) मूर्त और अमूर्त अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचयी मूल्यह्रास / परिशोधन और हानियां, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है। लागत में उधार लेने की लागत, आवक भाड़ा, चुंगी, कर और परिसंपत्तियों को उनके वांछित इस्तेमाल के लिए चालू हालत में लाने के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापना के संबंध में किए गए आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

अमूर्त परिसंपतियां, इनको अधिगृहीत करने पर किए गए व्यय के आधार पर रिकार्ड की जाती हैं और इन्हें लागत घटा संचयी परिशोधन और हानियों पर दर्शाया जाता ळें

(e) मूल्यह्रास / परिशोधन

पट्टाकृत परिसरों के अलावा, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख से उसकी अनुमानित उपयोगी आयु पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर मुहैया कराया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु का आकलन किया है और अनुसूची II के अनुसार उपयोगी आयु को अपनाया है। 5000 रु. या इससे कम मूल्य वाली संपत्ति को उनके प्राप्त करने के वर्ष के दौरान पूरा अवमूल्यन किया गया है। पट्टाकृत परिसरों का परिशोधन पट्टे की प्राथमिक अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अचल संपत्तियों का परिशोधन पांच वर्ष या अनुमानित उपयोगी आयु, इनमें से जो भी कम हों, के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है।

सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का पूंजीकरण किया गया है और समतुल्य राशि अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित की गई है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों के विलोपन अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से समायोजन के द्वारा किया जाता है।

(f) निवेश

गैर–चालू निवेशों के तहत शामिल दीर्घकालिक निवेश, ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी से इतर, लागत घटा कमी के लिए प्रावधान पर किए जाते हैं। चालू निवेश कम लागत पर किए जाते हैं और शुद्ध मूल्य और परिणामी कमी, यदि कोई हों, राजस्व से प्रभारित किया जाता है। लागत में दलाली, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

(g) सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान, व्यय के लिए इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान को किए गए व्यय की सीमा तक आय एवं व्यय लेखा में अंतरित किया गया है। अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान के भाग को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास की समतुल्य राशि को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से आय एवं व्यय विवरण में अंतरित किया गया है और मूल्यह्रास प्रभार में घटाया गया है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त भाग को देयता के रूप में माना गया है।

(h) कर्मचारी लाभः

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताएं, सेवाएं प्रदान करने के 12 माह के अंदर पूर्णतया देय होती हैं। ऐसे लाभों के अनुमान लगाए जाते हैं और उस अवधि के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना के जरिये भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी, दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर हर माह अंशदान करते हैं। ये अंशदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियमित उक्त भविष्य निधि योजना में अंशदान एक परिभाषित अंशदान योजना है।

योजनाओं के तहत प्रदत्त/पेय अंशदान उस अवधि के दौरान स्वीकार किए जाते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(iii) परिभाषित लाभ योजना

उपदान (वित्तपोषित) मुहैया कराने की लागतें निर्धारित करने में प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने अपनी उपदान योजना को चलाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक समझौता किया है। प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए उपदान की अधिकतम राशि आयकर नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन है।

(iv) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अवधि के दौरान स्वीकार की गई क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हैं।

संविदागत कर्मचारियों के संबंध में अवेलमेंट सहित अवकाश नकदीकरण के प्रावधान उपार्जित है और संबधित कर्मचारी के साथ किए गए संविदा के अनुसार पूर्ण देयता आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर कर्मचारी की बची संचयी छुट्टियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(i) विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखांकन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है। वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण मुद्रा में घट–बढ़ को उसी अवधि के आय एवं व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

विदेशी मुद्रा संपत्तियां और देयताएं वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा में घट–बढ़ को आय एवं व्यय के विवरण में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर पर दर्शाया जाता है।

(j) पट्टाकृत संपत्तियां

पट्टे पर ली गई संपत्तियां, जिनमें जोखिमों का बड़ा हिस्सा और स्वामित्व का रिवार्ड्स पट्टाकार के पास रहता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। पट्टाकृत संपत्तियों के किराये और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय माने जाते हैं।

(k) संपत्तियों की हानिः

प्रबंधन तुलन पत्र की तारीख पर इस बात का आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी संपत्ति में हानि हो सकती है। अगर ऐसे कोई संकेत होते हैं तो इसकी वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाता है (अर्थात् संपत्ति के निवल विक्रय मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक)। संपत्तियों की वसूली योग्य राशि या रोकड़ जनरेटिंग यूनिट, जिससे संपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि, वाहक राशि से कम है तो वाहक राशि को इसकी वसूली योग्य राशि में से घटाया जाता है। इस कटौती को हानि माना जाता है और इसे आय एवं व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। अगर तुलन पत्र की तारीख पर यह संकेत है कि पूर्व में आकलित हानि अब मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनःआकलन किया जाता है और राशि को अधिकतम ह्रासयोग्य ऐतिहासिक लागत के अध्यधीन ऐसी वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है। हानि का ऐसा विपर्यय, यदि किया जाता है, तो विपर्यय को हानि को स्वीकार करने के बाद होने वाली घटना से निष्पक्षता से जोड़ सकते हैं।

(l) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

कंपनी प्रावधान तब स्वीकृत करती हैं जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है, जिसके लिए यह संभावना होती है कि रोकड़ बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकेगा। आकस्मिक देयताएं तब प्रकट होती हैं जब कंपनी के पास संभावित या मौजूदा दायित्व हों और यह संभावना है कि रोकड़ का बरिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं होगा या विश्वसनीय प्राक्कलन संभव नहीं है। संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह के सबंध में संभावित दायित्व या मौजूदा दायित्व दूर हैं तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो स्वीकार की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

टिप्पणी 3 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
(टिप्पणी 2(g) and 4 देखे)

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	राशि रु. में		राशि रु. में	
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	4,64,45,398		8,82,288	
जमा :				
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का अंतरण	48,83,926		8,70,71,013	
घटा :				
वर्ष के दौरान विलोपन का अवलेखित मूल्य	-		-	
		5,13,29,324		8,79,53,301
घटा :				
आय एवं व्यय खाते में अंतरित :				
- वर्ष के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी 5 देखें)		2,59,89,562		4,15,07,903
कुल		**2,53,39,762**		**4,64,45,398**

टिप्पणी 4 – अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	राशि रु. में	राशि रु. में
(a) सहायता अनुदान खाता (टिप्पणी 2(g) और 16 देखें)		
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	33,82,92,912	37,58,79,889
जमा :		
अचल संपत्तियों के विलोपन संबंधी आरक्षित निधि से अंतरित	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान :	18,83,60,846	16,65,00,000
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज	1,20,20,474	2,69,99,081
घटा :		
भारत सरकार को वापस की गई राशि	-	-
अचल संपत्तियों के लिए अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)	48,83,926	8,70,71,013
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (टिप्पणी 11 देखें)	1,06,61,94,458	14,40,15,045
	(53,24,04,152)	33,82,92,912
(b) अन्य चालू देयताएं (अचल संपत्तियों के लिए)	10,00,063	5,54,347
(c) अन्य चालू देयताएं (व्यय के लिए)	59,09,95,433	9,42,54,540
(d) अन्य देय		
- स्रोत पर कर की कटौती	1,77,18,639	8,75,836
- सेवा कर	29,511	5,651
कुल	**7,73,39,494**	**43,39,83,286**

Note 5: Fixed Assets

(Refer Notes 2(d),(e) and (g) and 17)

राशि रु. में

संपत्तियों का ब्यौरा	कुल संपत्तियाँ – लागत पर				मूल्यह्रास					शुद्ध कुल संपत्तियाँ	
	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2017 को	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के लिए	अनुसूची II के कार्यान्वयन के कारण	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को
(i) मूर्त संपत्तियाँ											
कंप्यूटर उपस्कर	7,00,51,416	14,74,436	-	7,15,25,852	3,59,50,980	1,92,63,348	-	-	5,52,14,328	1,63,11,524	3,41,00,436
कार्यालय उपकरण	81,166	61,400	-	1,42,566	26,437	47,883	-	-	74,320	68,246	54,729
फर्नीचर और जुड़नार	-	4,14,720	-	4,14,720	-	64,155			64,155	3,50,565	-
योग	**7,01,32,582**	**19,50,556**	**-**	**7,20,83,138**	**3,59,77,417**	**1,93,75,386**	**-**	**-**	**5,53,52,803**	**1,67,30,335**	**3,41,55,165**
पिछले वर्ष	10,23,411	6,91,09,171	-	7,01,32,582	1,41,123	3,58,36,294	-	-	3,59,77,417	3,41,55,165	8,82,288
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ											
सॉफ्टवेयर	1,79,61,842	29,33,370		2,08,95,212	56,71,609	66,14,176	-	-	1,22,85,785	86,09,427	1,22,90,233
योग	**1,79,61,842**	**29,33,370**	**-**	**2,08,95,212**	**56,71,609**	**66,14,176**	**-**	**-**	**1,22,85,785**	**86,09,427**	**1,22,90,233**
पिछले वर्ष	-	1,79,61,842	-	1,79,61,842	-	56,71,609	-	-	56,71,609	1,22,90,233	-
सकल योग	**8,80,94,424**	**48,83,926**	**-**	**9,29,78,350**	**4,16,49,026**	**2,59,89,562**	**-**	**-**	**6,76,38,588**	**2,53,39,762**	**4,64,45,398**
पिछले वर्ष	10,23,411	8,70,71,013	-	8,80,94,424	1,41,123	4,15,07,903	-	-	4,16,49,026	4,64,45,398	8,82,288
(iii) पूंजीगत चालू कार्य										6,56,08,928	3,90,46,184
										9,09,48,690	**8,54,91,582**

टिप्पणी 6 – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
प्रतिभूति जमा	31,24,644	-
अग्रिम आय कर (tds)	-	-
कुल	**31,24,644**	**-**

टिप्पणी 7 – अन्य गैर चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
अन्य बैंक शेष::		
सावधि जमा राशियां 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि सहित	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 8 – रोकड और रोकड़ समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी 2 (c) देखें)		
हस्तगत रोकड़	-	-
बैंकों में शेष	81,64,305	12,74,61,782
अन्य बैंकों में शेष		
3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाली बैंक जमाएं	-	26,33,56,000
कुल	**81,64,305**	**39,08,17,782**

टिप्पणी 9 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
रोकड़ या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम		
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
आपूर्तिकर्ता के लिए अग्रिम	-	-
(A)	-	-
अन्य ऋण और अग्रिम		
पूर्वदत्त व्यय	1,96,791	1,25,383
कर्मचारियों को अग्रिम	17,989	-
(B)	2,14,780	1,25,383
कुल	**2,14,780**	**1,25,383**

टिप्पणी 10 – अन्य चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	राशि रु. में	राशि रु. में
बैंक सावधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	2,26,837	39,93,937
कुल	2,26,837	**39,93,937**

टिप्पणी 11 – सहायता अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	राशि रु. में	राशि रु. में
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2 (g) and 16 देखें)	1,06,61,94,458	14,40,15,045
कुल	**1,06,61,94,458**	**14,40,15,045**

टिप्पणी 12 – अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	राशि रु. में	राशि रु. में
(a) ब्याज आय		
- सावधि जमाराशियों पर	-	-
- अग्रिम पर	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 13 – अनुसंधान और विकास व्यय

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	राशि रु. में	राशि रु. में
वेतन भत्ते और अन्य लाभ	-	-
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	-	-
अनुसंधान कार्यशाला और सम्मेलन	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 14 – कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	राशि रु. में	राशि रु. में
वेतन, भत्ते और अन्य लाभ	12,76,16,183	5,79,34,688
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	33,453	1,93,305
कर्मचारी कल्याण	-	-
कुल	**12,76,49,636**	**5,81,27,993**

टिप्पणी 15 – प्रशासन एवं अन्य व्ययय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
मरम्मत एवं रखरखाव		
- भवन	-	-
- अन्य	-	-
कार्यालय व्यय	2,09,00,537	1,67,923
यात्रा और संप्रेषण	22,03,619	17,12,837
विधि और व्यवसयिक शुल्क	65,000	73,438
विज्ञापन और सम्मेलन	90,50,85,641	6,42,52,902
वेबसाइट रखरखाव खर्च	1,53,496	23,82,925
संचार व्यय	27,19,831	1,59,027
विविध व्यय	15,36,258	3,427
क्लाउड सर्विस और डेटा संग्रहण	58,80,440	1,71,34,573
कुल	**93,85,44,822**	**8,58,87,052**

माईगोव

[डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) का विभाग]

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

16 **माईगोव** ने वर्ष 2016-17 के दौरान 188,360,846 रु (पिछले वर्ष 166,500,000 रु) का सहायता अनुदान प्राप्त किया है। वर्ष के दौरान, सहायता अनुदान जमाओं पर 12,020,474 रु (पिछले वर्ष 26,999,081 रु) का ब्याज सहायता अनुदान खाते में जमा कराया गया है। अर्जित/उपार्जित ब्याज को अनुदान सहायता के खाते में उस वर्ष जमा किया है, जिसमें यह बीमांकिक आधार पर अर्जित/उपार्जित हुआ है।

अनुदान का ब्यौरा	वित्त वर्ष 2016–17 (रु)	वित्त वर्ष 2015–16 (रु)
माईगोवः	100,000,000	165,500,000
शासन में नागरिकों की भागीदारी के लिए प्लेटफार्म		
ई–ग्रीटिंग पोर्टल और संपर्क	88,360,846	-
योग	**188,360,846**	**165,500,000**

17 ऐसी परिसंपत्तियां जिनका उपयोगकर्ता स्वीकार्यता परीक्षण प्रमाण पत्र, उपयोग की जाने वाली तिथि और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हैं, वर्तमान पूंजी के रूप में दिखाई गयी हैं

18 इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से पूर्व अनुमति लिए बगैर सहायता अनुदान पर लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार, सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों को निपटान या भारग्रस्त नहीं किया जा सकता। इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल, उन उद्देश्यों, जिनके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, से इतर उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कंपनी का आस्तित्व समाप्त हो रहा है तो ये संपत्तियां इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को लौटा दी जाएंगी, जो संपत्तियों को बेचने या निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगी।

19 विदेशी मुद्रा में व्यय – शून्य रु

20 वर्ष के अंत में पूंजी और वचनबद्धताएं 53,239,522 रु है; (पिछले वर्ष शून्य रु थी)।

21 वर्ष के अंत में आकस्मिक देयताएं शून्य हैं

22 देनदारों और लेनदारों के साथ शेष पुष्टिकरण, संतुलन और तत्संबंधी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं।

23 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बकाएं

कंपनी को सप्लायरों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस संबंध में प्रकटन निम्नानुसार किया जाता हैः

a) लेखांकन वर्ष के अंत में सप्लायरों को देय और बकाये की राशि b) वर्ष के दौरान अदा किया गया ब्याज c) लेखांकन वर्ष के अंत में देय ब्याज और d) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त ब्याज नहीं दिया गया है।

कंपनी अधिनियम के तहत सप्लायरों की स्थिति में बारे से उनसे पुष्टिकरण हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है।

24 वर्ष के दौरान, कंपनी के पास निर्दिष्ट बैंक नोट्स (SBN's) या दिनांक 30 मार्च, 2017 को एमसीए अधिसूचना, G.S.R. 308(E), में परिभाषित अन्य नोटस नहीं थे। इसलिए 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान SBNs का संव्यवहार, संहिता के अनुसार SBNs और अधिसूचना के अनुसार अन्य नोटस का विवरण दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

25 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक था, वहां पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

माईगोव

[डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) **का विभाग]**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

टिप्पणी संख्या 1 से 25 के लिए हस्ताक्षर

कृत ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 1106293W

सी.ए. अंकुश गोयल

साझेदार

सदस्यता संख्या 146017

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते **माईगोव**

नीता वर्मा

निदेशक

[DIN – 01574452]

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग

मार्च 31, 2017 को बैलेंस शीट

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
I.	साम्य और देयताएं			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(क) शेयर पूंजी		-	-
	(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष	3	5,53,82,592	5,63,44,151
	(ग) आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि	4	7,54,78,008	6,70,11,855
2	गैर–चालू देयताएं			
	(क) दीर्घकालिक प्रावधान	5	72,69,009	47,31,453
3	चालू देयताएं			
	(क) अन्य चालू देयताएं	6	5,79,62,335	7,93,30,409
	(ख) अल्पकालिक प्रावधान	7	2,53,958	7,25,702
	कुल		**19,63,45,902**	**20,81,43,570**
II.	संपत्तियां			
1	गैर चालू संपत्तियां			
	(क) अचल संपत्तियां	8		
	(i) मूर्त संपत्तियां		5,51,47,490	5,63,15,985
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		2,35,102	28,166
			5,53,82,592	5,63,44,151
	(ख) गैर चालू निवेश	9	2,400	2,400
	(ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	10	97,59,531	84,00,794
	(घ) अन्य गैर चालू संपत्तियां	11	-	-
2	चालू संपत्तियां			
	(क) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	12	11,09,81,646	13,42,09,251
	(ख) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	13	55,38,903	74,59,442
	(ग) अन्य चालू सपात्तया	14	1,46,80,830	17,27,532
	कुल		**19,63,45,902**	**20,81,43,570**
			-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां बैलेंस शीट विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

हमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए लेखा खातों एवं अन्य अभिलेखों के साथ, और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त बैलेंस शीट, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय के विवरण, और मीडिया लैब एशिया (अकेले) के लेखों के संबंधित टिप्पणियों की जांच की है, और हम प्रमाणित करते हैं कि ये सही हैं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन

संजीव गुप्ता
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएन - 07596482]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय विवरण

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	सहायता अनुदान (टिप्पणी 2 (g), 6 और 20 देखें)	15	6,94,15,583	6,38,33,257
II.	अन्य आय	16	1,26,967	4,05,361
III.	**कुल आय**		**6,95,42,550**	**6,42,38,618**
	व्यय :			
	अनुसंधान और विकास व्यय (टिप्पणी 2 (l) देखें)	17	5,66,44,766	5,28,65,261
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	18	29,83,852	36,35,450
	प्रशासन और अन्य व्यय	19	99,13,932	77,37,907
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	– अनुसंधान संपत्तियों पर		24,25,074	15,51,985
	– अन्य संपत्तियों पर		8,93,313	8,41,892
			33,18,387	23,93,877
	घटा : अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधियों से अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)		33,18,387	23,93,877
IV.	**कुल आय**		**6,95,42,550**	**6,42,38,618**
V.	विशिष्ट और असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (III-IV)		-	-
VI.	विशिष्ट मदें		-	-
VII.	असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (V - VI)		-	-
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	**करपूर्व व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (VII- VIII)**		-	-
X.	कर संबंधी व्ययः		-	-
XI.	**वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां आय एवं व्यय विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन

संजीव गुप्ता
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएन - 07596482]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

1 पृष्ठभूमि

20 सितंबर, 2001 को प्रत्या भूत कंपनी लिमिटेड के रूप में मीडिया लैब एशिया (इसमें जिसे आगे ''कंपनी' कहा गया है) की स्थापना की गई थी। इसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है और इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य उन्नत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के लाभों को आम जनमानस और जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाना है।

मीडिया लैब एशिया को वर्ष 2005–2006 से निकासी तक के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई द्वारा 31.10.2007 को जारी आदेश संख्या CCIT/MUM/10(23)(C) (iv)/66/2007-08 97 के तहत आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)(C)(iv) के अधीन धर्मार्थ प्रयोजन के लिए एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया है और इसलिए यह निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन कर में छूट प्राप्त करने का दावा करने की हकदार है।

मीडिया लैब एशिया ने दिनांक 7 अक्टूबर, 2002 के पत्रांक DIT(E)/12A/36786/2002-2003 के तहत आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अधीन अपना पंजीकरण करा लिया है और इसलिए यह इस अधिनियम की धारा 11 के तहत कर से छूट प्राप्त करने का दावा करने की हकदार है।

कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए नाम परिवर्तन के तहत निगमन के प्रमाणपत्र के अनुसार, कंपनी का नाम 'मीडिया लैब एशिया' से बदलकर 'डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन' को 8 सितंबर, 2017 से प्रभावी कर दिया गया है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(a) वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार तैयार किए जाते हैं। लेखें उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी और वर्तमान व्यापार अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए हैं। नए जारी लेखांकन मानकों को अपनाने के कारण हुए बदलावों या मौजूदा लेखांकन मानकों की पुनरीक्षा की गई है, जो यहां इसमें प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन के लिए अपेक्षित थे, को छोड़कर लेखांकन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है।

(b) प्राक्कलनों का प्रयोग

GAAP के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन और धारणाएं तैयार करनी अपेक्षित होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं की सूचित राशियों तथा सूचित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में जानने के बाद प्रबंधन प्राक्कलनों में उचित बदलाव करते हैं। प्राक्कलनों में किए गए बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं और अगर ये महत्वपूर्ण हैं तो इनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

(c) रोकड़ और रोकड़ समतुल्यः

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंक में मांग जमाराशियां शामिल हैं। रोकड़ समतुल्य अल्पकालिक शेष (अर्जन की तारीख से तीन माह या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले), उच्च्य तरलता वाले निवेश है जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तित किए जाते हैं और जो मूल्य में बदलाव के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

(d) मूर्त और अर्मूत अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचयी मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है। लागत में उधार लेने की लागत, आवक भाड़ा, चुंगी, कर और परिसंपत्तियों को उनके वांछित इस्तेमाल के लिए चालू हालत में लाने के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापना के संबंध में किए गए आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अधिगृहीत संपत्तियों का पूंजीकरण संबंधित संस्थाओं से आवधिक अंतराल पर प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों, जिन्हें स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा अंकेक्षित और संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा सत्यापित किया गया है, के आधार पर किया गया है।

अमूर्त परिसंपतियां, इनको अधिगृहीत करने पर किए गए व्यय के आधार पर रिकार्ड की जाती हैं और इन्हें लागत घटा संचयी परिशोधन और हानियों पर दर्शाया जाता है।

(e) मूल्यह्रास / परिशोधन

पट्टाकृत परिसरों के अलावा, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख से उसकी अनुमानित उपयोगी आयु पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर मुहैया कराया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु का आकलन किया है और अनुसूची II के अनुसार उपयोगी आयु को अपनाया है। 5000 रु. या इससे कम मूल्य वाली संपत्ति को उनके प्राप्त करने के वर्ष के दौरान पूरा अवमूल्यन किया गया है। पट्टाकृत परिसरों का परिशोधन पट्टे की प्राथमिक अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अचल संपत्तियों का परिशोधन पांच वर्ष या अनुमानित उपयोगी आयु, इनमें से जो भी कम हों, के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का पूंजीकरण किया गया है और समतुल्य राशि अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित की गई है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों के विलोपन अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से समायोजन के द्वारा किया जाता है।

(f) निवेश

गैर–चालू निवेशों के तहत शामिल दीर्घकालिक निवेश, ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी से इतर, लागत घटा कमी के लिए प्रावधान पर किए जाते हैं। चालू निवेश कम लागत पर किए जाते हैं और शुद्ध मूल्य और परिणामी कमी, यदि कोई हों, राजस्व से प्रभारित किया जाता है। लागत में दलाली, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

(g) सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान, व्यय के लिए इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान को किए गए व्यय की सीमा तक आय एवं व्यय लेखा में अंतरित किया गया है। अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान के भाग को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास की समतुल्य राशि को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से आय एवं व्यय विवरण में अंतरित किया गया है और मूल्यह्रास प्रभार में घटाया गया है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त भाग को देयता के रूप में माना गया है।

(h) कर्मचारी लाभः

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताएं, सेवाएं प्रदान करने के 12 माह के अंदर पूर्णतया देय होती हैं। ऐसे लाभों के अनुमान लगाए जाते हैं और उस अवधि के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना के जरिये भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी, दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर हर माह अंशदान करते हैं। ये अंशदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियमित उक्त भविष्य निधि योजना में अंशदान एक परिभाषित अंशदान योजना है। योजनाओं के तहत प्रदत्त / पेय अंशदान उस अवधि के दौरान स्वीकार किए जाते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(iii) परिभाषित लाभ योजना

उपदान (वित्तपोषित) मुहैया कराने की लागतें निर्धारित करने में प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने अपनी उपदान योजना को चलाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक समझौता किया है। प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए उपदान की अधिकतम राशि आयकर नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन है।

(iv) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अवधि के दौरान स्वीकार की गई क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हैं। संविदागत कर्मचारियों के संबंध में अवेलमेंट सहित अवकाश नकदीकरण के प्रावधान उपार्जित है और संबधित कर्मचारी के साथ किए गए संविदा के अनुसार पूर्ण देयता आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर कर्मचारी की बची संचयी छुट्टियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों पर किए गए व्ययः

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट, राज्यों और अन्य संगठनों की अग्रिम राशि या तो आय और व्यय के वक्तव्य में वर्णित है या लेखा के वक्तव्य के आधार पर अचल संपत्ति के रूप में पूंजीकृत है, जिन्हें स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा आवधिक अंतराल पर सत्यापित किया गया हैं।

(j) विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखांकन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है। वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण मुद्रा में घट–बढ़ को उसी अवधि के आय एवं व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

विदेशी मुद्रा संपत्तियां और देयताएं वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा में घट–बढ़ को आय एवं व्यय के विवरण में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर पर दर्शाया जाता है।

(k) पट्टाकृत संपत्तियां

पट्टे पर ली गई संपत्तियां, जिनमें जोखिमों का बड़ा हिस्सा और स्वामित्व का रिवार्ड्स पट्टाकार के पास रहता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। पट्टाकृत संपत्तियों के किराये और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय माने जाते हैं।

(l) अनुसंधान और/या विकास व्यय

अनुसंधान और/या विकास व्यय में कंपनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अनुसंधान एवं विकास, तैनाती एवं कार्यान्वयन कार्यकलाप करने के लिए किए गए सभी व्यय शामिल हैं।

(m) संपत्तियों की हानिः

प्रबंधन तुलन पत्र की तारीख पर इस बात का आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी संपत्ति में हानि हो सकती है। अगर ऐसे कोई संकेत होते हैं तो इसकी वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाता है (अर्थात् संपत्ति के निवल विक्रय मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक)। संपत्तियों की वसूली योग्य राशि या रोकड़ जनरेटिंग यूनिट, जिससे संपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि, वाहक राशि से कम है तो वाहक राशि को इसकी वसूली योग्य राशि में से घटाया जाता है। इस कटौती को हानि माना जाता है और इसे आय एवं व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। अगर तुलन पत्र की तारीख पर यह संकेत है कि पूर्व में आकलित हानि अब मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनःआकलन किया जाता है और राशि को अधिकतम ह्रासयोग्य ऐतिहासिक लागत के अध्यधीन ऐसी वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है। हानि का ऐसा विपर्यय, यदि किया जाता है, तो विपर्यय को हानि को स्वीकार करने के बाद होने वाली घटना से निष्पक्षता से जोड़ सकते हैं।

(n) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

कंपनी प्रावधान तब स्वीकृत करती हैं जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है, जिसके लिए यह संभावना होती है कि रोकड़ बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकेगा। आकस्मिक देयताएं तब प्रकट होती हैं जब कंपनी के पास संभावित या मौजूदा दायित्व हों और यह संभावना है कि रोकड़ का बरिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं होगा या विश्वसनीय प्राक्कलन संभव नहीं है। संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह के सबंध में संभावित दायित्व या मौजूदा दायित्व दूर हैं तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो स्वीकार की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

टिप्पणी 3 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
(टिप्पणी 2(g) and 6 देखे)

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	राशि रु. में		राशि रु. में	
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	5,63,44,151		5,66,30,609	
जमा :				
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का अंतरण	23,56,828		21,07,419	
घटा :				
वर्ष के दौरान विलोपन का अवलेखित मूल्य	-		-	
		5,87,00,979		5,87,38,028
घटा :				
आय एवं व्यय खाते में अंतरितः				
-वर्ष के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी 8 देखें)	33,18,387		23,93,877	
		33,18,387		23,93,877
कुल		**5,53,82,592**		**5,63,44,151**

टिप्पणी 4 – आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि
(टिप्पणी 25 देखें)

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	राशि रु. में		राशि रु. में	
आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि				
क) आदि शेष	6,70,11,855		4,60,02,604	
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन				
i) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	47,27,428		38,13,342	
ii) अन्य परिवर्धन				
- पीएचडी परियोजना उपरि व्यय	14,37,000		15,74,000	
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सूचना प्रणाली उपरि व्यय	-		55,00,000	
- प्रायोजित परियोजनाएं उपरि व्यय	4,74,000		10,31,000	
- आई.टी.आर.ए. परियोजना उपरि व्यय	18,27,725		90,90,909	
जोड़ (क+ख)		7,54,78,008		6,70,11,855
घटा :				
ग) निधियों का उपयोग/व्यय	-		-	
i) राजस्व संबंधी व्यय	-		-	
ii) पूंजीगत व्यय	-		-	
जोड़ (ग)		-		-
वर्ष के अंत में इतिशेष (क+ख-ग)		7,54,78,008		6,70,11,855
कुल		**7,54,78,008**		**6,70,11,855**

टिप्पणी 5 – दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 2 (h) और 29 देखें)	72,69,009	47,31,453
कुल	**72,69,009**	**47,31,453**

टिप्पणी 6 – अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
(a) सहायता अनुदान खाता (टिप्पणी 2(g) और 20 देखें)		
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	7,46,26,304	6,58,84,686
जमा :		
अचल संपत्तियों के विलोपन संबंधी आरक्षित निधि से अंतरित	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान :	4,72,54,500	7,07,29,874
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज	41,81,138	29,83,420
ऑनलाइन प्लेटफार्म और सूचना प्रणाली ओवरहेड्स	-	20,00,000
घटाः		
भारत सरकार को वापस की गई राशि	1,06,694	-
अचल संपत्तियों के लिए आरिक्षत निधि में अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)	23,56,828	21,07,419
परियोजना उपरि व्यय का आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	4,74,000	10,31,000
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (टिप्पणी 15 देखें)	6,94,15,583	6,38,33,257
	5,37,08,837	7,46,26,304
(b) निक्षेप		
बयाना राशि		
प्रतिभूति	43,000	43,000
(c) अन्य चालू देयताएं (व्ययों के लिए)	27,05,857	38,66,041
(d) अन्य देय		
स्रोत पर कर की कटौती	2,14,899	13,916
सेवा कर	15,245	8,610
वेतन और प्रतिपूर्तियां	7,13,983	1,08,582
भविष्य निधि और अन्य कर्मचारी कटौतियां	2,66,315	2,76,007
अग्रिम में प्राप्त आय	-	93,750
अन्य	2,94,199	2,94,199
कुल	**5,79,62,335**	**7,93,30,409**

टिप्पणी 7 – अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
कर्मचारी कल्याण के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 2 (h) और 29 देखें)	2,53,958	7,25,702
कुल	**2,53,958**	**7,25,702**

टिप्पणी 8 - अचल संपत्तियाँ
(टिप्पणी 2(d), (e), (g) and 21 देखें)

राशि रु. में

संपत्तियों का ब्यौरा	कुल संपत्तियाँ – लागत पर				मूल्यह्रास					शुद्ध कुल संपत्तियाँ	
	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2017 को	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को
(i) मूर्त संपत्तियाँ											
कंप्यूटर उपस्कर #	9,83,46,497	16,09,210		9,99,55,707	9,61,70,330	-	17,86,615	-	9,79,56,945	19,98,762	21,76,167
अनुसंधान उपस्कर	2,75,48,243	-		2,75,48,243	2,73,12,847	-	10,799	-	2,73,23,646	2,24,597	2,35,396
कार्यालय उपकरण *	1,95,09,546	2,33,182		1,97,42,728	1,89,54,692	-	4,12,166	-	1,93,66,858	3,75,870	5,54,854
फर्नीचर और जुड़नार	1,61,51,703	1,28,763		1,62,80,466	1,58,11,548	-	3,04,408	-	1,61,15,956	1,64,510	3,40,155
पट्टाकृत परिसर @	5,59,46,000	-		5,59,46,000	30,25,197	-	5,88,905	-	36,14,102	5,23,31,898	5,29,20,803
वाहन	32,73,756	-		32,73,756	31,85,146	-	36,757	-	32,21,903	51,853	88,610
योग	**22,07,75,745**	**19,71,155**	**-**	**22,27,46,900**	**16,44,59,760**	**-**	**31,39,650**	**-**	**16,75,99,410**	**5,51,47,490**	**5,63,15,985**
पिछले वर्ष	21,86,68,326	21,07,419		22,07,75,745	16,20,84,070	-	23,75,690	-	16,44,59,760	5,63,15,985	5,65,84,256
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ											
सॉफ्टवेयर	1,04,59,236	3,85,673	-	1,08,44,909	1,04,31,070	-	1,78,737	-	1,06,09,807	2,35,102	28,166
योग	**1,04,59,236**	**3,85,673**	**-**	**1,08,44,909**	**1,04,31,070**	**-**	**1,78,737**	**-**	**1,06,09,807**	**2,35,102**	**28,166**
पिछले वर्ष	1,04,59,236	-	-	1,04,59,236	1,04,12,883	-	18,187	-	1,04,31,070	28,166	46,353
सकल योग	**23,12,34,981**	**23,56,828**	**-**	**23,35,91,809**	**17,48,90,830**	**-**	**33,18,387**	**-**	**17,82,09,217**	**5,53,82,592**	**5,63,44,151**
पिछले वर्ष	22,91,27,562	21,07,419	-	23,12,34,981	17,24,96,953	-	23,93,877	-	17,48,90,830	5,63,44,151	5,66,30,609

1) @ पट्टाकृत परिसर 10.02.2011 से 95 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किए गए हैं।
2) चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन की आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ें पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किए गए हैं।
31 मार्च, 2014 के अंत तक मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची ग्प्ट के तहत निर्दिष्ट दरों के अधार पर मुहैया कराए जा रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 अनुसूची II में अचल संपत्तियों की उपयोगी आयु निर्धारित की गई है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के तहत निर्दिष्ट दरों से कई मामलों में अलग है। कंपनी ने अचल संपत्तियों की अवशिष्ट मूल्य और उपयोगी आयु का पुनः अनुमान लगाया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रास मुहैया कराया है।

टिप्पणी 9 – गैर चालू निवेश

विवरण	Nominal Rs.	No. of	**31 मार्च, 2017** राशि रु. में	**31 मार्च, 2016** राशि रु. में
व्यापार निवेश (लागत पर) (टिप्पणी 27 देखें) एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के शेयरों में निवेश	1	2,400	2,400	2,400
कुल			**2,400**	**2,400**
टिप्पणी: गैर उद्धृत– लागत पर b) निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है			2,400	2,400

टिप्पणी 10 – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

Particulars	**31 मार्च, 2017** राशि रु. में	**31 मार्च, 2016** राशि रु. में
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
1) प्रतिभूति जमा	73,34,576	73,34,576
2) पूंजी अग्रिम	-	-
3) अग्रिम आय कर (tds)	24,24,955	10,66,218
कुल	**97,59,531**	**84,00,794**

टिप्पणी 11 – अन्य चालू संपत्तियां

विवरण	**31 मार्च, 2017** राशि रु. में	**31 मार्च, 2016** राशि रु. में
अन्य बैंक शेषः:		
सावधि जमा राशियां 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि सहित	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 12 – रोकड और रोकड़ समतुल्य

विवरण	**31 मार्च, 2017** राशि रु. में	**31 मार्च, 2016** राशि रु. में
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी 2 (c) देखें)		
हस्तगत रोकड़	83,749	1,09,330
बैंकों में शेष	5,10,30,406	3,46,36,803
अन्य बैंकों में शेष		
3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाली बैंक जमाएं	5,98,67,491	9,94,63,118
कुल	**11,09,81,646**	**13,42,09,251**

टिप्पणी 13 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
रोकड़ या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम		
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठन (टिप्पणी 2 (i) देखें)		
(A)	37,60,460	58,23,672
	37,60,460	58,23,672
अन्य ऋण और अग्रिम		
पूर्वदत्त व्यय	16,90,753	15,55,683
कर्मचारियों को अग्रिम	26,782	999
अन्य	60,908	79,088
(B)	17,78,443	16,35,770
कुल (A + B)	**55,38,903**	**74,59,442**

टिप्पणी 14 – अन्य चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
बैंक सावधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	25,70,947	17,27,532
सहायता अनुदान प्राप्तियाँ	56,94,500	-
उपदान मूल्यांकन अधिशेष	3,99,531	-
ITRA से प्राप्य राशि	60,15,852	-
कुल	**1,46,80,830**	**17,27,532**

टिप्पणी 15 – सहायता अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2(g), 6 and 20 देखें)	6,94,15,583	6,38,33,257
कुल	**6,94,15,583**	**6,38,33,257**

टिप्पणी 16 – अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
(a) वेबसाइट की होस्टिंग और रखरखाव	93,750	3,04,120
(b) ब्याज आय		
- On Advance	24,823	20,333
(c) विविध ऋण शेष राशि (शुद्ध)	-	-
(d) विविध आय	8,394	80,908
कुल	**1,26,967**	**4,05,361**

टिप्पणी 17 – अनुसंधान और विकास व्यय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
व्यय – भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठन (टिप्पणी 2(i) देखें)	97,29,617	59,92,859
वेतन भत्ते और अन्य लाभ	2,26,04,255	2,23,99,510
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	5,98,242	12,72,662
यात्रा और संप्रेषण	31,04,089	22,38,277
अनुसंधान कार्यशाला और सम्मेलन	3,60,681	12,25,316
व्यवसायिक शुल्क	10,38,183	4,98,050
संचार	15,63,784	13,60,061
किराया	1,27,68,983	1,28,75,132
रखरखाव	48,50,682	48,76,537
ट्रेडमार्क पंजीकरण	26,250	1,26,857
कुल	**5,66,44,766**	**5,28,65,261**

टप्पणी 18 – कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
वेतन, भत्ते और अन्य लाभ	24,63,322	9,02,536
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	-4,06,473	19,09,361
कर्मचारी कल्याण	9,27,003	8,23,553
कुल	**29,83,852**	**36,35,450**

टिप्पणी 19 – प्रशासन एवं अन्य व्ययय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
विद्युत	16,11,819	16,35,361
दरें और कर	2,60,552	1,34,995
मरम्मत एवं रखरखाव		
- भवन		-
- अन्य	41,58,855	24,17,552
बीमा	1,52,461	1,50,943
कार्यालय व्यय	4,42,671	5,66,127
यात्रा और संप्रेषण	12,76,515	9,19,897
विधि और व्यवसयिक शुल्क	5,27,330	6,52,719
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक *	3,75,985	2,67,625
भर्ती व्यय	1,58,205	71,564
संचार व्यय	3,28,933	3,08,501
बैठक व्यय	58,417	3,82,530
विविध व्यय	5,62,189	2,30,093
कुल	**99,13,932**	**77,37,907**

*** अंकेक्षकों का पारिश्रमिक**	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
अंकेक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)		
a) अंकेक्षक	2,95,000	2,57,625
b) अन्य सेवाओं के लिए	45,925	10,000
c) व्ययों की प्रतिपूर्ति	35,060	-
कुल	**3,75,985**	**2,67,625**

20. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), ने डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन को 2016–17 के दौरान 41,560,000 रु.(पिछले वर्ष 69,830,500 रु.) की सहायता अनुदान प्रदान किया है। वर्ष 2016–17 के दौरान 5,694,500 रु (पिछले वर्ष शून्य रु) की सहायता अनुदान राशि जो प्रायोजित परियोजनाओं के कारण है, सहायता अनुदान प्राप्य खाते में जमा की गई है। अगर अनुमोदित उद्देश्यों के लिए अनुदान सहायता के किसी भाग की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसे MeitY को वापस कर दिया जाएगा। वर्ष के दौरान, सहायता अनुदान जमाओं पर ब्याज के रूप में 4,181,138 रु. (पिछले वर्ष 2,983,420 रु.) प्राप्त हुए हैं जिसे सहायता अनुदान खाते में जमा कराया गया है। कंपनी ने अर्जित/उपार्जित ब्याज को अनुदान सहायता के खाते में उस वर्ष जमा किया है, जिसमें यह उपचय अधार पर अर्जित/उपार्जित हुआ है। कंपनी ने वर्ष 2016–17 के दौरान MeitY को 106,694 रु (पिछले वर्ष शून्य रु) का ब्याज वापस किया है।

अनुदान का ब्यौरा	वित्त वर्ष 2016–17 (रु)	वित्त वर्ष 2015–16 (रु)
डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन		
(पूर्व में मीडिया लैब एशिया की कोर क्रियाएँ)	40,000,000	61,000,000
वाराणसी आईसीटी आधारित एकीकृत विकास कार्यक्रम (VIIDP)	-	2,227,000
वाराणसी आईसीटी आधारित एकीकृत विकास कार्यक्रम (VIIDP) - चरण 2	560,000	-
बिथूर में महिला सशक्तिकरण के लिए आईसीटी – 'बिथूर शक्ति'	1,000,000	-
बधिरों के लिए विजुअल स्पीच ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर (VSTS)	1,960,500	2,233,500
बनारसी साड़ी की बुनाई के लिए ओपन सोर्स कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग (कैड) टूल	3,734,000	4,370,000
MeitY से सकल प्राप्त अनुदान	**47,254,500**	**69,830,500**
सोशल टेक्नोलॉजीज का डिजिटल उपयोग – ग्लोबल नवाचार और प्रौद्योगिकी गठबंधन, डीएसटी, भारत सरकार	-	899,374
सकल योग	**47,254,500**	**70,729,874**

21 अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार, अनुदान सहायता से खरीदी गई संपत्ति का निपटान नहीं किया जा सकता, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना बंधा हुआ है। इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल उन लोगों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है जिनके लिए अनुदान मंजूर किया गया है। इसके अलावा, कंपनी को अस्तित्व समाप्त होना चाहिए, ऐसी संपत्ति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वापस कर दी जाएगी, जो कि संपत्ति बेचने या अन्यथा निपटाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

22 डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) को 4,729,617 रु के व्यय और कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बारापानी, कॉलेज ऑफ होम साइंसेज, सेंट्रल एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी तुरा और साई ग्रामीण विकास संस्थान, वाराणसी से 44,411 रू के कुल प्राप्त ब्याज का लेखा–जोखा प्राप्त हुआ है। स्कूल शिक्षा

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

विभाग, नागालैंड सरकार से प्राप्त व्ययों का ब्योरा और खर्च की गई कुल परिसंपत्तियों की सकल बही मूल्य 5,000,000 को इन संस्थानों के अधिकृत कर्मियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और ये खाते संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। बकाया 2,399,749 रु के कुल पुष्टिकरण / उपयोगीयता प्रमाण पत्र 4 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाए गए हैं जिसमें से 2,093,755 रु की राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं ।

23 **विदेशी मुद्रा में व्यय**

		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष (रु)	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष (रु)
i)	ट्रेडमार्क नवीकरण	-	96,607
	योग	**-**	**96,607**

24 वर्ष के अंत में पूंजी और वचनबद्धताएं शून्य (पिछले वर्ष शून्य रु.) है।

25 एक रिजर्व फंड को आय के मुकाबले बनाया गया है, जिसमें प्रायोजित परियोजनाओं से मिलने वाली धनराशि शामिल है, जो कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली भविष्य के साथ–साथ भविष्य की रख–रखाव की लागत या कंपनी के हितों के अनुकूल किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए हो सकती है। चालू वर्ष के दौरान परियोजना को ओवरहेड्स से प्राप्त **3,738,725** रुपये की राशि को रिजर्व फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। चूंकि फिक्स्ड डिपॉजिट विशेष रूप से निर्धारित नहीं किए गए हैं, इसलिए रु **4,727,428** तरल टर्म जमाओं पर अर्जित रिजर्व फंड में जमा किए गए हैं।

26 कर्मचारी लागत में वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान प्रबंध निदेशक को अदा किया गया शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) का पारिश्रमिक शामिल है।

27 कंपनी ने 17 सितंबर, 2008 को एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के साथ आईआईटी, बॉम्बे द्वारा मीडिया लैब एशिया के साथ मिलकर विकसित एक्वा सॉफ्टवेयर लाइसेंस का इस्तेमाल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी को एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के 2400 शेयर (अंकित मल्य 1 रु. प्रति शेयर) प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रकटर गैर–चालू निवेशों के अंतर्गत किया गया है।

28 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने मीडिया लैब एशिया को इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और विनिर्माण (ESDM) एवं आई.टी / आई.टी.ई.एस आधारित सेवा क्षेत्रों में पीएचडी छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना को कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी दी है। इस योजना के लिए 2014–15 से 9 वर्षों के लिए 466 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मीडिया लैब एशिया कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत पंजीकृत है, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को सचिवीय, प्रबंधकीय सहायता और संस्थागत प्रणाली के निर्माण में मदद करेगा।

29 **कर्मचारी लाभ**

कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएं

A. उपदान निधि में अंशदान

31 मार्च, 2016 को कंपनी के कर्मचारियों के लिए कंपनी के उपदान निधि के विवरण नीचे दिए गए हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रमाणित किए गए हैं और जिन पर लेखापरीक्षक निर्भर रहे हैं।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

		वित्त वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2015–16
i.	मूल्यांकन विधि	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट विधि	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट विधि
ii.	बीमांकिक धारणाए		
	मृत्यु दर	**LIC (1994-96) अल्टीमेट**	**LIC (1994-96) अल्टीमेट**
	आहरण दर	1%	1%
	डिस्काउंट दर	8%	8%
	वेतन वृद्धि	10.00%	10.00%
iii.	मूल्यांकन के परिणाम	**रुपये**	**रुपये**
a.	विगत सेवा लाभ का PV	5,543,922	4,873,320
b.	वर्तमान सेवा लागत	249,197	291,811
c.	कुल सेवा उपदान	19,324,393	18,595,012
d.	उपचित उपदान	7,515,084	6,180,682

B. अवकाश नकदीकरण

आय एवं व्यय के विवरण में डेबिट किए गए संचयी अवकाश नकदीकरण और संविदागत कर्मचारियों की देयता के लिए 158,095 रु. (पिछले वर्ष 207,864 रु.) के संबंध में बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार, प्रावधान के लिए कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान में 1,907,717 रु. (पिछले वर्ष 1,368,468 रु.) शामिल हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कंपनी के लेखों में यथा प्रदर्शित कुल देयता 7,086,101 रु. (पिछले वर्ष 5,178,384 रु.) है। कंपनी ने देयता का वित्तपोषण नहीं किया है।

परिभाषित अंशदान योजनाएं

कंपनी ने भविष्य निधि / पेंशन निधि के लिए 1,460,590 रु. (पिछले वर्ष 1,354,976 रु.) स्वीकार किए हैं।

30 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बकाएं कंपनी को सप्लायरों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस संबंध में प्रकटन निम्नानुसार किया जाता हैः

a) लेखांकन वर्ष के अंत में सप्लायरों को देय और बकाये की राशि b) वर्ष के दौरान अदा किया गया ब्याज c) लेखांकन वर्ष के अंत में देय ब्याज और कद्ध लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त ब्याज नहीं दिया गया है।

कंपनी अधिनियम के तहत सप्लायरों की स्थिति में बारे से उनसे कन्फर्मेशन हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है।

31 कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत जारी लेखांकन मानकों (अर्थात् कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006) से संबंधित सामान्य निर्देशों में यथा परिभाषित लघु और मध्यम कंपनी (SMC) है जो कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के अनुसार लेखांकन मानक माने जाएंगे, ये लेनदेन प्रावधान के रूप में लेखांकन तक माने जाएंगे जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट किया गया है। तदनुसार, कंपनी ने लघु एवं मध्यम कंपनी पर यथा लागू लेखांकन मानकों का पालन किया है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

32 देनदारों और लेनदारों के साथ शेष पुष्टिकरण, संतुलन और तत्संबंधी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं।

33 वर्ष के अंत में आकस्मिक देयताएं शून्य हैं(पिछले वर्ष शून्य)।

34 वर्ष के दौरान, कंपनी के पास निर्दिष्ट बैंक नोट्स (SBN's) या दिनांक 30 मार्च, 2017 को एमसीए अधिसूचना, G.S.R. 308(E), में परिभाषित अन्य नोटस थे। 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान SBNs का संव्यवहार, संहिता के अनुसार SBNs और अधिसूचना के अनुसार अन्य नोटस का विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	निर्दिष्ट बैंक नोट्स (SBNs)	अन्य मूल्य सूचक नोट्स	कुल
8 नवंबर, 2016 को बंद रोकड़ शेष	92,500	60,402	1,52,902
जोड़ें : अनुमत प्राप्तियां	-	14,153	14,153
कम : अनुमत भुगतान	-	3,72,149	3,72,149
जोड़ें : बैंक से निकाली गई राशि	-	3,93,000	3,93,000
कम : बैंकों में जमा राशि	92,500	-	92,500
30 दिसंबर 2016 को बंद को रोकड़ शेष	-	95,406	95,406

35 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक था, वहां पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी संख्या 1 से 35 के लिए हस्ताक्षर

कृत ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 1106293W

सी.ए. अंकुश गोयल

साझेदार

सदस्यता संख्या 146017

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन

संजीव गुप्ता

प्रबंध निदेशक और सीईओ

[DIN - 07596482]

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

परियोजना **‘आईटी अनुसंधान अकादमी (ITRA)‘**

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)

सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)

मार्च 31, 2017 को बैलेंस शीट

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
I.	साम्य और देयताएं			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(a) शेयर पूंजी		-	-
	(b) आरक्षित निधि और अधिशेष	3	2,00,63,149	2,80,28,806
2	गैर–चालू देयताएं			
	(a) दीर्घकालिक प्रावधान	4	8,15,658	5,26,458
3	चालू देयताएं			
	(a) अन्य चालू देयताएं	5	8,49,78,791	19,31,08,442
	(b) अल्पकालिक प्रावधान	6	40,399	1,97,081
	कुल		**10,58,97,997**	**22,18,60,787**
II.	संपत्तियां			
1	गैर चालू संपत्तियां			
	(a) अचल संपत्तियां	7		
	(i) मूर्त संपत्तियां		1,81,88,036	2,65,51,864
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		18,75,113	14,76,942
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		9,71,350	32,24,896
			2,10,34,499	3,12,53,702
	(b) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	8	15,000	15,000
	(c) अन्य गैर चालू संपत्तियां	9	-	-
2	चालू संपत्तियां			
	(a) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	10	17,14,196	7,80,40,257
	(b) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	11	8,31,34,302	10,98,84,214
	(c) अन्य चालू सपात्तया	12	-	26,67,614
	कुल		**10,58,97,997**	**22,18,60,787**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां बैलेंस शीट विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

हमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए लेखा खातों एवं अन्य अभिलेखों के साथ, और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त बैलेंस शीट, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय के विवरण, और मीडिया लैब एशिया (अकेले) के लेखों के संबंधित टिप्पणियों की जांच की है, और हम प्रमाणित करते हैं कि ये सही हैं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन

संजीव गुप्ता
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएन - 07596482]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)

सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय विवरण

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
I.	सहायता अनुदान (टिप्पणी 2 (g), 5 और 18 देखें)	13	10,04,46,110	10,14,94,356
II.	अन्य आय	14	12,857	500
III.	**कुल आय**		**10,04,58,967**	**10,14,94,856**
	व्यय :			
	अनुसंधान और विकास व्यय (टिप्पणी 2 (l) देखें)	15	9,59,74,346	9,61,75,860
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	16	14,38,263	24,14,114
	प्रशासन और अन्य व्यय	17	30,46,358	29,04,882
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	– अनुसंधान संपत्तियों पर		3,35,32,327	1,56,78,362
	– अन्य संपत्तियों पर		12,82,355	22,56,719
			3,48,14,682	1,79,35,081
	घटा : अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधियों से अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)		3,48,14,682	1,79,35,081
IV.	**कुल आय**		**10,04,58,967**	**10,14,94,856**
V.	विशिष्ट और असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (III-IV)		-	-
VI.	विशिष्ट मदें		-	-
VII.	असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (V - VI)		-	-
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	करपूर्व व्यय की तुलना में आय का आधिक्य **(VII- VIII)**		-	-
X.	कर संबंधी व्ययः		-	-
XI.	वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य **(IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां आय एवं व्यय विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन

संजीव गुप्ता
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएन - 07596482]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

1 पृष्ठभूमि

आई.टी.आर.ए. एक साध्य सहायक कार्यक्रम है जो ईलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित संस्थानों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों और ईलेक्ट्रानिकी तथा इनके अनुप्रयोगों में अनुसंधान एवं विकास की गुणवत्ता एवं मात्रा को उन्नत बनाने हेतु एक राष्ट्रीय संसाधन का निर्माण करने में सहायता करने के लिए शुरू किया गया है। इस समय, आई.टी.आर.ए. मीडिया लैब एशिया के एक विभाग के रूप में कार्य कर रही है।

ईलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 04.11.2010 के पत्रांक 1(1)/2010-ITRA के तहत मीडिया लैब एशिया द्वारा ''सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)'' नामक परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए पांच वर्षों के लिए 148.83 करोड़ रु. की सहायता अनुदान को स्वीकृति प्रदान की है। आईटीआरए ने 22.12.2010 के स्वीकृति आदेश पत्रांक 1(1)/2010-ITRA के तहत प्रथम रिलीज की तारीख से अपना काम करना शुरू कर दिया था। लागत में कोई बढ़ोतरी किए बिना आईटीआरए परियोजना की अवधि को दिसंबर, 2018 तक के लिए बढ़ाया गया है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(a) वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ('GAAP') के अनुसार तैयार किए जाते हैं। लेखें उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी और वर्तमान व्यापार अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए हैं। नए जारी लेखांकन मानकों को अपनाने के कारण हुए बदलावों या मौजूदा लेखांकन मानकों की पुनरीक्षा की गई है, जो यहां इसमें प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन के लिए अपेक्षित थे, को छोड़कर लेखांकन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है।

(b) प्राक्कलनों का प्रयोग

GAAP के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन और धारणाएं तैयार करनी अपेक्षित होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं की सूचित राशियों तथा सूचित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्ताविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में जानने के बाद प्रबंधन प्राक्कलनों में उचित बदलाव करते हैं। प्राक्कलनों में किए गए बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं और अगर ये महत्वपूर्ण हैं तो इनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

(c) रोकड़ और रोकड़ समतुल्यः

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंक में मांग जमाराशियां शामिल हैं। रोकड़ समतुल्य अल्पकालिक शेष (अर्जन की तारीख से तीन माह या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले), उच्च्व तरलता वाले निवेश है जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तित किए जाते हैं और जो मूल्य में बदलाव के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

(d) मूर्त और अमूर्त अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचयी मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है। लागत में उधार लेने की लागत, आवक भाड़ा, चुंगी, कर और परिसंपत्तियों को उनके वांछित इस्तेमाल के लिए चालू हालत में लाने के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापना के संबंध में किए गए आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अधिगृहीत संपत्तियों का पूंजीकरण संबंधित संस्थाओं से आवधिक अंतराल पर प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों, जिन्हें स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा अंकेक्षित और संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा सत्यापित किया गया है, के आधार पर किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियां, इनको अधिगृहीत करने पर किए गए व्यय के आधार पर रिकार्ड की जाती हैं और इन्हें लागत घटा संचयी परिशोधन और हानियों पर दर्शाया जाता है।

(e) मूल्यह्रास / परिशोधन

पट्टाकृत परिसरों के अलावा, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख से उसकी अनुमानित उपयोगी आयु पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर मुहैया कराया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु का आकलन किया है और अनुसूची II के अनुसार उपयोगी आयु को अपनाया है। 5000 रु. या इससे कम मूल्य वाली संपत्ति को उनके प्राप्त करने के वर्ष के दौरान पूरा अवमूल्यन किया गया है। पट्टाकृत परिसरों का परिशोधन पट्टे की प्राथमिक अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अचल संपत्तियों का परिशोधन पांच वर्ष या अनुमानित उपयोगी आयु, इनमें से जो भी कम हों, के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है।

सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का पूंजीकरण किया गया है और समतुल्य राशि अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित की गई है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों के विलोपन अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से समायोजन के द्वारा किया जाता है।

(f) निवेश

गैर–चालू निवेशों के तहत शामिल दीर्घकालिक निवेश, ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी से इतर, लागत घटा कमी के लिए प्रावधान पर किए जाते हैं। चालू निवेश कम लागत पर किए जाते हैं और शुद्ध मूल्य और परिणामी कमी, यदि कोई हों, राजस्व से प्रभारित किया जाता है। लागत में दलाली, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

(g) सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान, व्यय के लिए इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान को किए गए व्यय की सीमा तक आय एवं व्यय लेखा में अंतरित किया गया है। अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान के भाग को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास की समतुल्य राशि को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से आय एवं व्यय विवरण में अंतरित किया गया है और मूल्यह्रास प्रभार में घटाया गया है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त भाग को देयता के रूप में माना गया है।

(h) कर्मचारी लाभः

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताएं, सेवाएं प्रदान करने के 12 माह के अंदर पूर्णतया देय होती हैं। ऐसे लाभों के अनुमान लगाए जाते हैं और उस अवधि के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना के जरिये भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी, दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर हर माह अंशदान करते हैं। ये अंशदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियमित उक्त भविष्य निधि योजना में अंशदान एक परिभाषित अंशदान योजना है।

योजनाओं के तहत प्रदत्त / पेय अंशदान उस अवधि के दौरान स्वीकार किए जाते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(iii) परिभाषित लाभ योजना

उपदान (वित्तपोषित) मुहैया कराने की लागतें निर्धारित करने में प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने अपनी

उपदान योजना को चलाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक समझौता किया है। प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए उपदान की अधिकतम राशि आयकर नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन है।

(iv) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अवधि के दौरान स्वीकार की गई क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हैं। संविदागत कर्मचारियों के संबंध में अवेलमेंट सहित अवकाश नकदीकरण के प्रावधान उपार्जित है और संबधित कर्मचारी के साथ किए गए संविदा के अनुसार पूर्ण देयता आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर कर्मचारी की बची संचयी छुट्टियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों पर किए गए व्ययः

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों की अग्रिम राशि या तो आय और व्यय के वक्तव्य में वर्णित है या लेखा के वक्तव्य के आधार पर अचल संपत्ति के रूप में पूंजीकृत है, जिन्हें स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा आवधिक अंतराल पर सत्यापित किया गया हैं।

(j) विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखांकन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है। वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण मुद्रा में घट–बढ़ को उसी अवधि के आय एवं व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

विदेशी मुद्रा संपत्तियां और देयताएं वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा में घट–बढ़ को आय एवं व्यय के विवरण में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर पर दर्शाया जाता है।

(k) पट्टाकृत संपत्तियां

पट्टे पर ली गई संपत्तियां, जिनमें जोखिमों का बड़ा हिस्सा और स्वामित्व का रिवार्ड्स पट्टाकार के पास रहता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। पट्टाकृत संपत्तियों के किराये और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय माने जाते हैं।

(l) अनुसंधान और/या विकास व्ययः

अनुसंधान और/या विकास व्यय में कंपनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अनुसंधान एवं विकास, तैनाती एवं कार्यान्वयन कार्यकलाप करने के लिए किए गए सभी व्यय शामिल हैं।

(m) संपत्तियों की हानिः

प्रबंधन तुलन पत्र की तारीख पर इस बात का आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी संपत्ति में हानि हो सकती है। अगर ऐसे कोई संकेत होते हैं तो इसकी वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाता है (अर्थात् संपत्ति के निवल विक्रय मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक)। संपत्तियों की वसूली योग्य राशि या रोकड़ जनरेटिंग यूनिट, जिससे संपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि, वाहक राशि से कम है तो वाहक राशि को इसकी वसूली योग्य राशि में से घटाया जाता है। इस कटौती को हानि माना जाता है और इसे आय एवं व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। अगर तुलन पत्र की तारीख पर यह संकेत है कि पूर्व में आकलित हानि अब मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनःआकलन किया जाता है और राशि को अधिकतम ह्रासयोग्य ऐतिहासिक लागत के अध्यधीन ऐसी वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है। हानि का ऐसा विपर्यय, यदि किया जाता है, तो विपर्यय को हानि को स्वीकार करने के बाद होने वाली घटना से निष्पक्षता से जोड़ सकते हैं।

(n) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

कंपनी प्रावधान तब स्वीकृत करती हैं जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है, जिसके लिए यह संभावना होती है कि रोकड़ बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकेगा। आकस्मिक देयताएं तब प्रकट होती हैं जब कंपनी के पास संभावित या मौजूदा दायित्व हों और यह संभावना है कि

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

रोकड़ का बरिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं होगा या विश्वसनीय प्राक्कलन संभव नहीं है। संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह के सबंध में संभावित दायित्व या मौजूदा दायित्व दूर हैं तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो स्वीकार की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

टिप्पणी 3 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
(टिप्पणी 2(g) and 5 देखे)

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	राशि रु. में		राशि रु. में	
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	2,80,28,806		1,94,65,980	
जमा :				
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का अंतरण	2,68,49,157		2,64,97,907	
घटा :				
वर्ष के दौरान विलोपन का अवलेखित मूल्य	132			
		5,48,77,831		4,59,63,887
घटा :				
आय एवं व्यय खाते में अंतरितः				
-वर्ष के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी 7 देखें)		3,48,14,682		1,79,35,081
कुल		**2,00,63,149.00**		**2,80,28,806**

टिप्पणी 4 – दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	राशि रु. में	राशि रु. में
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 2 (h) और 23 देखें)	8,15,658	5,26,458
कुल	**8,15,658**	**5,26,458**

टिप्पणी 5 – अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	राशि रु. में	राशि रु. में
(a) सहायता अनुदान खाता (टिप्पणी 2(g), 18 और 19 देखें)		
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	19,01,79,343	22,42,74,525
जमा :		
अचल संपत्तियों के विलोपन संबंधी आरक्षित निधि से अंतरित	132	-
वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान :	1,44,00,000	9,55,83,060
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज	7,13,783	74,04,930
घटाः		
भारत सरकार को वापस की गई राशि	-	-
अचल संपत्तियों के लिए आरिक्षत निधि में अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)	2,68,49,157	2,64,97,907
परियोजना उपरि व्यय (टिप्पणी 25 देखें)	18,27,725	90,90,909
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (टिप्पणी 13 देखें)	10,04,46,110	10,14,94,356
	7,61,70,266	19,01,79,343
(b) अन्य चालू देयताएं (व्ययों के लिए)	79,76,571	25,79,997
(c) अन्य देय		
स्रोत पर कर की कटौती	1,34,985	29,057
सेवा कर	28,178	10,006
वेतन और प्रतिपूर्तियां	6,38,673	2,81,641
भविष्य निधि और अन्य कर्मचारी कटौतियां	30,118	28,398
कुल	**8,49,78,791**	**19,31,08,442**

टिप्पणी 6 – अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
	राशि रु. में	राशि रु. में
कर्मचारी कल्याण के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 2 (h) और 23 देखें)	40,399	1,97,081
कुल	**40,399**	**1,97,081**

टिप्पणी 7 - अचल संपत्तियाँ
(टिप्पणी 2(d), (e), (g) and 20 देखें)

राशि रु. में

संपत्तियों का ब्यौरा	कुल संपत्तियाँ – लागत पर				मूल्यह्रास				शुद्ध कुल संपत्तियाँ	
	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2017 को	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को
(i) मूर्त संपत्तियाँ										
कंप्यूटर उपस्कर	2,17,03,522	37,06,404	-	2,54,09,926	1,37,92,262	95,23,206	-	2,33,15,468	20,94,458	79,11,260
अनुसंधान उपस्कर	2,64,45,762	2,15,49,874	-	4,79,95,636	1,18,94,377	2,23,70,137	-	3,42,64,514	1,37,31,122	1,45,51,385
अन्य कार्यालय उपकरण	-				-				-	-
कार्यालय उपकरण	22,45,278	7,19,121	5,814	29,58,585	11,90,695	11,63,397	5,682	23,48,410	6,10,175	10,54,583
फर्नीचर और जुड़नार	55,76,635		-	55,76,635	25,41,999	12,82,355	-	38,24,354	17,52,281	30,34,636
योग	**5,59,71,197**	**2,59,75,399**	**5,814**	**8,19,40,782**	**2,94,19,333**	**3,43,39,095**	**5,682**	**6,37,52,746**	**1,81,88,036**	**2,65,51,864**
पिछले वर्ष	3,11,51,549	2,48,19,648	-	5,59,71,197	1,17,52,388	1,76,66,945	-	2,94,19,333	2,65,51,864	1,93,99,161
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ										
सॉफ्टवेयर	17,49,209	8,73,758	-	26,22,967	2,72,267	4,75,587	-	7,47,854	18,75,113	14,76,942
योग	**17,49,209**	**8,73,758**	**-**	**26,22,967**	**2,72,267**	**4,75,587**	**-**	**7,47,854**	**18,75,113**	**14,76,942**
पिछले वर्ष	70,950	16,78,259	-	17,49,209	4,131	2,68,136	-	2,72,267	14,76,942	66,819
सकल योग	**5,77,20,406**	**2,68,49,157**	**5,814**	**8,45,63,749**	**2,96,91,600**	**3,48,14,682**	**5,682**	**6,45,00,600**	**2,00,63,149**	**2,80,28,806**
पिछले वर्ष	3,12,22,499	2,64,97,907	-	5,77,20,406	1,17,56,519	1,79,35,081	-	2,96,91,600	2,80,28,806	1,94,65,980
(iii) पूंजीगत चालू कार्य									**9,71,350**	**32,24,896**
									2,10,34,499	**3,12,53,702**

1) चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन की आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ें पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किए गए हैं।

31 मार्च, 2014 के अंत तक मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची ग्प्ट के तहत निर्दिष्ट दरों के अधार पर मुहैया कराए जा रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 अनुसूची II में अचल संपत्तियों की उपयोगी आयु निर्धारित की गई है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के तहत निर्दिष्ट दरों से कई मामलों में अलग है। कंपनी ने अचल संपत्तियों की अवशिष्ट मूल्य और उपयोगी आयु का पुनः अनुमान लगाया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रास मुहैया कराया है।

टिप्पणी 8 – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
1) प्रतिभूति जमा	15,000	15,000
2) पूंजी अग्रिम	-	-
3) अग्रिम आय कर (tds)	-	-
कुल	**15,000**	**15,000**

टिप्पणी 9 – अन्य गैर चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
अन्य बैंक शेष::		
सावधि जमा राशियां 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि सहित	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 10 – रोकड और रोकड़ समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी 2 (c) देखें)		
हस्तगत रोकड़	26,671	24,021
बैंकों में शेष	16,87,525	2,13,23,500
अन्य बैंकों में शेष		
3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाली बैंक जमाएं	-	5,66,92,736
कुल	**17,14,196**	**7,80,40,257**

टिप्पणी 11 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
रोकड़ या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम		
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		-
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठन (टिप्पणी 2 (i) देखें)	8,28,85,430	10,96,75,928
(A)	8,28,85,430	10,96,75,928
अन्य ऋण और अग्रिम		
पूर्वदत्त व्यय	2,25,715	2,08,286
कर्मचारियों को अग्रिम	23,157	-
अन्य	-	-
(B)	2,48,872	2,08,286
कुल	**8,31,34,302**	**10,98,84,214**

टिप्पणी 12 – अन्य चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
बैंक सावधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	-	26,67,614
कुल	**-**	**26,67,614**

टिप्पणी 13 – सहायता अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2(g), 5 and 18 देखें)	10,04,46,110	10,14,94,356
कुल	**10,04,46,110**	**10,14,94,356**

टिप्पणी 14 – अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
विविध आय	12,857	500
कुल	**12,857**	**500**

टिप्पणी 15 – अनुसंधान और विकास व्यय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
व्यय – भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठन (टिप्पणी 2(i) देखें)	6,97,96,522	7,07,78,417
वेतन भत्ते और अन्य लाभ	97,98,596	85,01,725
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	1,00,809	92,679
यात्रा और संप्रेषण	22,72,820	35,10,344
अनुसंधान कार्यशाला और सम्मेलन	20,87,729	28,52,286
व्यवसायिक शुल्क	13,32,982	13,87,739
संचार	8,10,590	7,32,192
किराया	81,61,826	65,15,826
रखरखाव	16,12,472	18,04,652
कुल	**9,59,74,346**	**9,61,75,860**

टप्पणी 16 – कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
वेतन, भत्ते और अन्य लाभ	12,26,996	21,59,883
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	7,153	74,731
कर्मचारी कल्याण	2,04,114	1,79,500
कुल	**14,38,263**	**24,14,114**

टिप्पणी 17 – प्रशासन एवं अन्य व्ययय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
मरम्मत एवं रखरखाव		
- भवन		-
- अन्य	12,53,043	11,05,170
कार्यालय व्यय	8,31,629	8,96,413
यात्रा और संप्रेषण	1,44,472	60,752
विधि और व्यवसयिक शुल्क	20,650	44,944
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक *	17,175	-
भर्ती व्यय	4,12,965	6,08,936
संचार व्यय	2,87,248	1,73,025
विविध व्यय	79,176	15,642
कुल	**30,46,358**	**29,04,882**

* अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
अंकेक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)		
a) अंकेक्षक	-	-
b) अन्य सेवाओं के लिए	17,175	-
c) व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	-
कुल	**17,175**	**-**

18 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान 14,400,000 रु. (पिछले वर्ष 95,583,060 रु.) का सहायता अनुदान प्रदान किया है। अगर अनुमोदित उद्देश्यों के लिए अनुदान सहायता के किसी भाग की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसे MeitY को वापस कर दिया जाएगा। वर्ष के दौरान, सहायता अनुदान जमाओं पर ब्याज के रूप में 713,783 रु. (पिछले वर्ष 7,404,930 रु.) प्राप्त हुए हैं जिसे सहायता अनुदान खाते में जमा कराया गया है।

19 Meity ने 29.03.2017 के स्वीकृति पत्रांक 1(1)/2010-ITRA के तहत वित्त वर्ष 2016–16 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी हेतु सहायता अनुदान के लिए 5,704,981 के उपचित ब्याज को समायोजित किया है (पिछले वर्ष 4,416,940 रु.)। विभाग ने अर्जित / उपार्जित ब्याज को सहायता अनुदान के खाते में उस वर्ष जमा किया है, जिसमें यह बीमांकिक आधार पर अर्जित / उपार्जित हुआ है। ITRA – डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) ने वर्ष 2016–17 के दौरान MeitY को शून्य राशि (पिछले वर्ष शून्य) का ब्याज वापस किया है।

20 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूर्व अनुमति लिए बगैर सहायता अनुदान पर लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार, सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों को निपटान या भारग्रस्त नहीं किया जा सकता। इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल, उन उद्देश्यों, जिनके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, से इतर उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कंपनी का आस्तित्व समाप्त हो रहा है तो ये संपत्तियां इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को लौटा दी जाएंगी, जो संपत्तियों को बेचने या निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगी।

21 आईटी रिसर्च अकादमी ने i) 32 संस्थानों के 41 परियोजना टीम सदस्यों से 48,250,641 रु के कुल व्यय, 1,088,968 रू के प्राप्त ब्याज और 18,402,537 रुपए की अचल संपत्तियों के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त किया है। ii) 27 परियोजना टीम के सदस्यों जिसमें 21 संस्थान भी शामिल हैं, से रु 21,545,880 के कुल व्यय, 1,088,968 रू के प्राप्त ब्याज और रु 8,446,620 की अचल संपत्तियों के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण को प्राधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है और ये खाते संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। बकाया 12,176,287 रु के कुल पुष्टिकरण / उपयोगीयता प्रमाण पत्र 6 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाए गए हैं जिसमें से 9,365,287 रु की राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं ।

22 विदेशी मुद्रा में व्यय

		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष (रु)	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष (रु)
i)	उपस्कर	721,358	3,550,526
	योग	**721,358**	**3,550,526**

23 कर्मचारी लाभ

कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार, निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं:

A. अवकाश नकदीकरण

आय एवं व्यय के विवरण में डेबिट किए गए संचयी अवकाश नकदीकरण और संविदागत कर्मचारियों की देयता के लिए 31,922 रु. (पिछले वर्ष 144,478 रु.) के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, किए गए प्रावधान के लिए कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान में 100,596 रु. (पिछले वर्ष 199,358 रु.) शामिल हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कंपनी के लेखों में यथा प्रदर्शित कुल देयता 626,627 रु. (पिछले वर्ष 526,031 रु.) है। कंपनी ने देयता का वित्तपोषण नहीं किया है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

B. परिभाषित अंशदान योजनाएं

कंपनी ने भविष्य निधि / पेंशन निधि के लिए 107,962 रु. (पिछले वर्ष 167,410 रु.) स्वीकार किए हैं।

24 वर्ष के अंत में पूंजी और वचनबद्धताएं शून्य रु. है; (पिछले वर्ष शून्य रु. थी)।

25 परियोजना के विविध और आकस्मिक उपरि व्यय वर्ष के दौरान डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) को अंतरित किए गए हैं।

26 वर्ष के अंत में आकस्मिक देयताएं शून्य हैं (पिछले वर्ष शून्य थी)।

27 देनदारों और लेनदारों के साथ शेष पुष्टिकरण, संतुलन और तत्संबंधी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं।

28 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बकाएं

कंपनी को प्रदायकों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस संबंध में प्रकटन निम्नानुसार किया जाता हैः

a) लेखांकन वर्ष के अंत में सप्लायरों को देय और बकाये की राशि b) वर्ष के दौरान अदा किया गया ब्याज c) लेखांकन वर्ष के अंत में देय ब्याज और कद्व लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त ब्याज नहीं दिया गया है। कंपनी अधिनियम के तहत सप्लायरों की स्थिति में बारे से उनसे पुष्टिकरण हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है।

29 कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत जारी लेखांकन मानकों (अर्थात् कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006) से संबंधित सामान्य निर्देशों में यथा परिभाषित लघु और मध्यम कंपनी (SMC) है जो कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के अनुसार लेखांकन मानक माने जाएंगे, ये लेनदेन प्रावधान के रूप में लेखांकन तक माने जाएंगे जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट किया गया है। तदनुसार, कंपनी ने लघु एवं मध्यम कंपनी पर यथा लागू लेखांकन मानकों का पालन किया है।

30 वर्ष के दौरान, कंपनी के पास निर्दिष्ट बैंक नोट्स (SBN's) या दिनांक 30 मार्च, 2017 को एमसीए अधिसूचना, G.S.R. 308(E), में परिभाषित अन्य नोटस थे। 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान SBNs का संव्यवहार, संहिता के अनुसार SBNs और अधिसूचना के अनुसार अन्य नोटस का विवरण निम्नानुसार हैंः

विवरण	निर्दिष्ट बैंक नोट्स (SBNs)	अन्य मूल्य सूचक नोट्स	कुल
8 नवंबर, 2016 को बंद रोकड़ शेष	-	92,452	92,452
जोड़ें: अनुमत प्राप्तियां	-	150	150
कमः अनुमत भुगतान	-	1,18,220	1,18,220
जोड़ें: बैंक से निकाली गई राशि	-	52,000	52,000
कमः बैंकों में जमा राशि	-	-	-
30 दिसंबर 2016 को बंद को रोकड़ शेष	-	26,382	26,382

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

31 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक था, वहां पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी संख्या 1 से 31 के लिए हस्ताक्षर

कृत ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी	**कृते डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	
फर्म पंजीकरण संख्या 1106293W	
	संजीव गुप्ता
सी.ए. अंकुश गोयल	प्रबंध निदेशक और सीईओ
साझेदार	[DIN - 07596482]
सदस्यता संख्या 146017	
स्थानः नई दिल्ली	स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017	दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

परियोजना **‘इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वराय पीएचडी योजना‘**

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)

'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी' के लिए विश्वश्वर्या पीएचडी योजना

मार्च 31, 2017 को बैलेंस शीट

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	साम्य और देयताएं			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(a) शेयर पूंजी		-	-
	(b) आरक्षित निधि और अधिशेष	3	49,813	1,28,616
2	गैर–चालू देयताएं			
	(a) दीर्घकालिक प्रावधान	4	12,59,921	9,22,519
3	चालू देयताएं			
	(a) अन्य चालू देयताएं	5	9,03,53,719	43,59,77,305
	(b) अल्पकालिक प्रावधान	6	26,137	1,13,870
	कुल		**9,16,89,590**	**43,71,42,310**
II.	संपत्तियां			
1	गैर चालू संपत्तियां			
	(a) अचल संपत्तियां	7		
	(i) मूर्त संपत्तियां		49,813	1,28,616
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		-	-
			49,813	1,28,616
	(b) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	8	75,514	50,514
	(c) अन्य गैर चालू संपत्तियां	9	-	-
2	चालू संपत्तियां			
	(a) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	10	1,57,90,469	31,01,58,390
	(b) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	11	7,57,73,794	11,92,19,434
	(c) अन्य चालू सपात्तिया	12	-	75,85,356
	कुल		**9,16,89,590**	**43,71,42,310**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां बैलेंस शीट विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

हमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए लेखा खातों एवं अन्य अभिलेखों के साथ, और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त बैलेंस शीट, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय के विवरण, और मीडिया लैब एशिया (अकेले) के लेखों के संबंधित टिप्पणियों की जांच की है, और हम प्रमाणित करते हैं कि ये सही हैं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

कृते डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

संजीव गुप्ता
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएन - 07596482]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी' के लिए विश्वश्वर्या पीएचडी योजना

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय विवरण

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	सहायता अनुदान (टिप्पणी 2 (g), 5 और 17 देखें)	13	42,02,66,173	13,42,85,895
II	**कुल आय**		**42,02,66,173**	**13,42,85,895**
	व्यय :			
	अनुसंधान और विकास व्यय (टिप्पणी 2 (l) देखें)	14	41,43,11,845	12,87,77,543
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	15	42,76,811	37,78,086
	प्रशासन और अन्य व्यय	16	16,77,517	17,30,266
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	– अनुसंधान संपत्तियों पर		1,04,702	4,01,435
	– अन्य संपत्तियों पर		-	-
			1,04,702	4,01,435
	घटा : अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधियों से अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)		1,04,702	4,01,435
III	**कुल आय**		**42,02,66,173**	**13,42,85,895**
IV.	विशिष्ट और असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (III-IV)		-	-
V.	विशिष्ट मदें		-	-
VI.	असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (V - VI)		-	-
VII.	असाधारण मदें		-	-
VIII.	करपूर्व व्यय की तुलना में आय का आधिक्य **(VII- VIII)**		-	-
IX.	कर संबंधी व्ययः		-	-
X.	वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य **(IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां आय एवं व्यय विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन

संजीव गुप्ता
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएन - 07596482]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी' के लिए विश्वश्वर्या पीएचडी योजना

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

1 पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी (NPE 2012) की नीति और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति (NPIT 2012) आने वाले दशकों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने, इन ज्ञान सघन क्षेत्रों में शोध, विकास और आईपी सृजन के एक ईको सिस्टम का विकास करने में भारत को समर्थ बनाने के लिए पीएचडी धारकों की संख्या बढ़ाने पर बल देती हैं। NPE 2012, ने अन्य के साथ–साथ इलेक्ट्रानिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण और संबंधित फील्ड में 2020 तक हर वर्ष 2500 पीएचडी का सृजन करने का लक्ष्य रखा है। NPIT, 2012 में विशेषज्ञता वाले आईसीटी क्षेत्रों में नवीन शोध को बढ़ावा देने और क्वालिटी डॉक्ट्रॉल और पोस्टडॉक्ट्रॉल स्तर के लिए शोधार्थी तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा के संस्थानों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने की संकल्पना की गई है। इस योजना के तहत पीएचडी डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान को सहायता प्रदान की जाएगी।

अकादमिक वर्ष 2014–15 से योजना के तहत पीएचडी उम्मीदवारों के चयन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए वेश्वेश्वर्या पीएचडी योजना की अवधि पांच वर्ष होगी। बहरहाल, योजना अवधि के दौरान पहले की वचनबद्धताओं के लिए वित्तपोषण 9वें वर्ष तक जारी रहेगा।

ईलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27-06-2014 के प्रशासनिक पत्रांक 1(5)2012HRD(Vol.IV) के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी के लिए विश्वेश्वर्या पीएचडी योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य 5 वर्षों के दौरान ESDM और IT/ITES में 1500 पीएचडी का सृजन करना है। इस योजना के लिए 9 वर्षों के लिए 466 करोड़ रु. (संशोधित) के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया), जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत पंजीकृत है, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को सचिवीय, प्रबंधकीय सहायता और संस्थागत प्रणाली के निर्माण में मदद करेगा।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(a) वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार तैयार किए जाते हैं। लेखें उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी और वर्तमान व्यापार अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए हैं। नए जारी लेखांकन मानकों को अपनाने के कारण हुए बदलावों या मौजूदा लेखांकन मानकों की पुनरीक्षा की गई है, जो यहां इसमें प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन के लिए अपेक्षित थे, को छोड़कर लेखांकन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है।

(b) प्राक्कलनों का प्रयोग

GAAP के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन और धारणाएं तैयार करनी अपेक्षित होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं की सूचित राशियों तथा सूचित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्ताविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में जानने के बाद प्रबंधन प्राक्कलनों में उचित बदलाव करते हैं। प्राक्कलनों में किए गए बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं और अगर ये महत्वपूर्ण हैं तो इनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

(c) रोकड़ और रोकड़ समतुल्यः

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंक में मांग जमाराशियां शामिल हैं। रोकड़ समतुल्य अल्पकालिक शेष (अर्जन की तारीख से तीन माह या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले), उच्च तरलता वाले निवेश है जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तित किए जाते हैं और जो मूल्य में बदलाव के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

(d) मूर्त और अर्मूत अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचयी मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है। लागत में उधार लेने की लागत, आवक भाड़ा, चुंगी, कर और परिसंपत्तियों को उनके वांछित इस्तेमाल के लिए चालू

हालत में लाने के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापना के संबंध में किए गए आकस्मिक व्यय शामिल हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अधिगृहीत संपत्तियों का पूंजीकरण संबंधित संस्थाओं से आवधि के अंतराल पर प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों, जिन्हें स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा अंकेक्षित और संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा सत्यापित किया गया है, के आधार पर किया गया है।

अमूर्त परिसंपतियां, इनको अधिगृहीत करने पर किए गए व्यय के आधार पर रिकार्ड की जाती हैं और इन्हें लागत घटा संचयी परिशोधन और हानियों पर दर्शाया जाता है।

(e) मूल्यह्रास / परिशोधन

पट्टाकृत परिसरों के अलावा, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख से उसकी अनुमानित उपयोगी आयु पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर मुहैया कराया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु का आकलन किया है और अनुसूची II के अनुसार उपयोगी आयु को अपनाया है। 5000 रु. या इससे कम मूल्य वाली संपत्ति को उनके प्राप्त करने के वर्ष के दौरान पूरा अवमूल्यन किया गया है। पट्टाकृत परिसरों का परिशोधन पट्टे की प्राथमिक अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अचल संपत्तियों का परिशोधन पांच वर्ष या अनुमानित उपयोगी आयु, इनमें से जो भी कम हों, के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है।

सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का पूंजीकरण किया गया है और समतुल्य राशि अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित की गई है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों के विलोपन अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से समायोजन के द्वारा किया जाता है।

(f) निवेश

गैर–चालू निवेशों के तहत शामिल दीर्घकालिक निवेश, ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी से इतर, लागत घटा कमी के लिए प्रावधान पर किए जाते हैं। चालू निवेश कम लागत पर किए जाते हैं और शुद्ध मूल्य और परिणामी कमी, यदि कोई हों, राजस्व से प्रभारित किया जाता है। लागत में दलाली, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

(g) सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान, व्यय के लिए इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान को किए गए व्यय की सीमा तक आय एवं व्यय लेखा में अंतरित किया गया है। अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान के भाग को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास की समतुल्य राशि को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से आय एवं व्यय विवरण में अंतरित किया गया है और मूल्यह्रास प्रभार में घटाया गया है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त भाग को देयता के रूप में माना गया है।

(h) कर्मचारी लाभः

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताएं, सेवाएं प्रदान करने के 12 माह के अंदर पूर्णतया देय होती हैं। ऐसे लाभों के अनुमान लगाए जाते हैं और उस अवधि के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना के जरिये भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी, दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर हर माह अंशदान करते हैं। ये अंशदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियमित उक्त भविष्य निधि योजना में अंशदान एक परिभाषित अंशदान योजना है। योजनाओं के तहत प्रदत्त / पेय अंशदान उस अवधि के दौरान स्वीकार किए जाते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(iii) परिभाषित लाभ योजना

उपदान (वित्तपोषित) मुहैया कराने की लागतें निर्धारित करने में प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने अपनी उपदान योजना को चलाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक समझौता किया है। प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए उपदान की अधिकतम राशि आयकर नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन है।

(iv) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अवधि के दौरान स्वीकार की गई क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हैं। संविदागत कर्मचारियों के संबंध में अवेलमेंट सहित अवकाश नकदीकरण के प्रावधान उपार्जित है और संबधित कर्मचारी के साथ किए गए संविदा के अनुसार पूर्ण देयता आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर कर्मचारी की बची संचयी छुट्टियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों पर किए गए व्ययः

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों की अग्रिम राशि या तो आय और व्यय के वक्तव्य में वर्णित है या लेखा के वक्तव्य के आधार पर अचल संपत्ति के रूप में पूंजीकृत है, जिन्हें स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा आवधिक अंतराल पर सत्यापित किया गया हैं।

(j) विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखांकन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है। वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण मुद्रा में घट–बढ़ को उसी अवधि के आय एवं व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

विदेशी मुद्रा संपत्तियां और देयताएं वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा में घट–बढ़ को आय एवं व्यय के विवरण में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर पर दर्शाया जाता है।

(k) पट्टाकृत संपत्तियां

पट्टे पर ली गई संपत्तियां, जिनमें जोखिमों का बड़ा हिस्सा और स्वामित्व का रिवार्ड्स पट्टाकार के पास रहता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। पट्टाकृत संपत्तियों के किराये और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय माने जाते हैं।

(l) अनुसंधान और/या विकास व्यय

अनुसंधान और/या विकास व्यय में कंपनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अनुसंधान एवं विकास, तैनाती एवं कार्यान्वयन कार्यकलाप करने के लिए किए गए सभी व्यय शामिल हैं।

(m) संपत्तियों की हानिः

प्रबंधन तुलन पत्र की तारीख पर इस बात का आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी संपत्ति में हानि हो सकती है। अगर ऐसे कोई संकेत होते हैं तो इसकी वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाता है (अर्थात् संपत्ति के निवल विक्रय मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक)। संपत्तियों की वसूली योग्य राशि या रोकड़ जनरेटिंग यूनिट, जिससे संपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि, वाहक राशि से कम है तो वाहक राशि को इसकी वसूली योग्य राशि में से घटाया जाता है। इस कटौती को हानि माना जाता है और इसे आय एवं व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। अगर तुलन पत्र की तारीख पर यह संकेत है कि पूर्व में आकलित हानि अब मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनःआकलन किया जाता है और राशि को अधिकतम ह्रासयोग्य ऐतिहासिक लागत के अध्यधीन ऐसी वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है। हानि का ऐसा विपर्यय, यदि किया जाता है, तो विपर्यय को हानि को स्वीकार करने के बाद होने वाली घटना से निष्पक्षता से जोड़ सकते हैं।

(n) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

कंपनी प्रावधान तब स्वीकृत करती हैं जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है, जिसके लिए यह संभावना होती है कि रोकड़ बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकेगा। आकस्मिक देयताएं तब प्रकट होती हैं जब कंपनी के पास संभावित या मौजूदा दायित्व हों और यह संभावना है कि

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

रोकड़ का बरिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं होगा या विश्वसनीय प्राक्कलन संभव नहीं है। संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह के सबंध में संभावित दायित्व या मौजूदा दायित्व दूर हैं तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो स्वीकार की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

टिप्पणी 3 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
(टिप्पणी 2(g) and 5 देखे)

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	1,28,616		5,14,526	
जमा :				
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का अंतरण	25,899		15,525	
घटा :				
वर्ष के दौरान विलोपन का अवलेखित मूल्य	-		-	
		1,54,515		5,30,051
घटा :				
आय एवं व्यय खाते में अंतरितः				
-वर्ष के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी 7 देखें)		1,04,702		4,01,435
कुल		**49,813**		**1,28,616**

टिप्पणी 4 – दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 2 (h) और 24 देखें)		12,59,921		9,22,519
कुल		**12,59,921**		**9,22,519**

टिप्पणी 5 – अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
(a) सहायता अनुदान खाता (टिप्पणी 2(g), 17 और 18 देखें)				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार		43,29,24,789		22,95,65,898
जमा :				
अचल संपत्तियों के विलोपन संबंधी आरक्षित निधि से अंतरित		6,91,87,000		33,20,00,000
वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान :				
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज		88,88,571		1,47,34,311
घटाः				
भारत सरकार को वापस की गई राशि		-		-
अचल संपत्तियों के लिए आरिक्षत निधि में अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)		25,899		15,525
संस्थागत उपरि व्यय (टिप्पणी 25 देखें)		14,37,000		15,74,000
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सूचना प्रणाली उपरि व्यय		-		75,00,000
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (टिप्पणी 13 देखें)		42,02,66,173		13,42,85,895
		8,92,71,288		43,29,24,789
(b) अन्य चालू देयताएं (व्ययों के लिए)		4,90,361		29,08,305
(c) अन्य देय				
स्रोत पर कर की कटौती		86,147		26,180
सेवा कर		18,712		2,417
वेतन और प्रतिपूर्तियां		4,19,481		77,602
भविष्य निधि और अन्य कर्मचारी कटौतियां		67,730		38,012
कुल		**9,03,53,719**		**43,59,77,305**

टिप्पणी 6 – अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
कर्मचारी कल्याण के लिए प्रावधान				
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 2 (h) और 24 देखें)		26,137		1,13,870
कुल		**26,137**		**1,13,870**

डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)

'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी' के लिए विश्वश्वर्या पीएचडी योजना

टिप्पणी 7 - अचल संपत्तियाँ

(टिप्पणी 2(d), (e), (g) and 19 देखें)

राशि रु. में

संपत्तियों का ब्यौरा	कुल संपत्तियाँ – लागत पर				मूल्यह्रास				शुद्ध कुल संपत्तियाँ	
	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2017 को	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को
(i) मूर्त संपत्तियाँ										
कंप्यूटर उपस्कर	7,38,044	12,850	-	7,50,894	6,38,411	80,436	-	7,18,847	32,047	99,633
कार्यालय उपकरण	89,303	13,049	-	1,02,352	60,320	24,266	-	84,586	17,766	28,983
योग	**8,27,347**	**25,899**	-	**8,53,246**	**6,98,731**	**1,04,702**	**-**	**8,03,433**	**49,813**	**1,28,616**
पिछले वर्ष	8,11,822	15,525		8,27,347	2,97,296	4,01,435	-	6,98,731	1,28,616	5,14,526

टिप्पणी 8 – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
1) प्रतिभूति जमा	25,000	-
2) पूंजी अग्रिम	-	-
3) अग्रिम आय कर (tds)	50,514	50,514
कुल	**75,514**	**50,514**

टिप्पणी 9 – अन्य गैर चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
अन्य बैंक शेषः		
सावधि जमा राशियां 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि सहित	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 10 – रोकड और रोकड़ समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी 2 (c) देखें)		
हस्तगत रोकड़	5,000	3,298
बैंकों में शेष	1,57,85,469	17,79,46,682
अन्य बैंकों में शेष		
3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाली बैंक जमाएं	-	13,22,08,410
कुल	**1,57,90,469**	**31,01,58,390**

टिप्पणी 11 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
रोकड़ या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम		
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया	-	-
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठन (टिप्पणी 2 (i) देखें)	7,57,18,226	11,91,41,587
(A)	7,57,18,226	11,91,41,587
अन्य ऋण और अग्रिम		
पूर्वदत्त व्यय	55,568	77,847
(B)	55,568	77,847
कुल	**7,57,73,794**	**11,92,19,434**

टिप्पणी 12 – अन्य चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
बैंक सावधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	-	75,85,356
कुल	**-**	**75,85,356**

टिप्पणी 13 – सहायता अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2(g), 5 और 17 देखे)	42,02,66,173	13,42,85,895
कुल	**42,02,66,173**	**13,42,85,895**

टिप्पणी 14 – अनुसंधान और विकास व्यय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
आईआईटी और अन्य संगठनों को पीएचडी वित्तीय सहायताः फैलोशिप, किराया, उपभोग्य और ओवरहेड्स की प्रतिपूर्ति	40,25,92,663	11,93,15,305
वेतन भत्ते और अन्य लाभ	80,10,181	73,41,057
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	1,95,336	1,03,303
यात्रा और संप्रेषण	14,36,922	7,60,095
अनुसंधान कार्यशाला और सम्मेलन	16,50,711	3,91,499
संचार	4,02,575	4,76,759
रखरखाव	23,457	3,89,525
कुल	**41,43,11,845**	**12,87,77,543**

टप्पणी 15 – कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
वेतन, भत्ते और अन्य लाभ	39,11,298	34,44,912
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	2,96,026	2,68,094
कर्मचारी कल्याण	69,487	65,080
कुल	**42,76,811**	**37,78,086**

टिप्पणी 16 – प्रशासन एवं अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
मरम्मत एवं रखरखाव		
- भवन		
- अन्य	4,11,751	7,02,095
कार्यालय व्यय	8,40,805	8,19,407
यात्रा और संप्रेषण	1,64,153	34,814
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक *	17,175	-
भर्ती व्यय	89,562	24,490
संचार व्यय	78,300	1,45,499
विविध व्यय	75,771	3,961
कुल	**16,77,517**	**17,30,266**

* अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च, 2017 राशि रु. में	31 मार्च, 2016 राशि रु. में
अंकेक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)		
a) अंकेक्षक	-	-
b) अन्य सेवाओं के लिए	17,175	-
c) व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	-
कुल	**17,175**	**-**

मीडिया लैब एशिया)

'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी' के लिए विश्वश्वर्या पीएचडी योजना

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

17 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना मंत्रालय **(MeitY),** भारत सरकार ने दिनांक 28.09.2015 एवं 15.03.2016 के स्वीकृति पत्र के तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान 69,187,000 रु. (पिछले वर्ष 332,000,000 रु.) का सहायता अनुदान प्रदान किया है। अगर अनुमोदित उद्देश्यों के लिए अनुदान सहायता के किसी भाग की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसे MeitY को वापस कर दिया जाएगा। वर्ष के दौरान, सहायता अनुदान जमाओं पर ब्याज के रूप में 8,888,571 रु. (पिछले वर्ष 14,734,311 रु) प्राप्त हुए हैं जिसे सहायता अनुदान खाते में जमा कराया गया है। अर्जित/उपार्जित ब्याज को अनुदान सहायता के खाते में उस वर्ष जमा किया है, जिसमें यह बीमांकिक आधार पर अर्जित/उपार्जित हुआ है।

18 Meity ने 30.12.2016 के स्वीकृति पत्रांक L-14011/12/2014/HRD(Vol-II) के तहत वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए वेश्वेश्वर्या पीएचडी योजना हेतु सहायता अनुदान के लिए 12,120,504 रु. के उपचित ब्याज को समायोजित किया है (पिछले वर्ष 10,258,499 रु.)। विभाग ने अर्जित/उपार्जित ब्याज को सहायता अनुदान के खाते में उस वर्ष जमा किया है, जिसमें यह बीमांकिक आधार पर अर्जित/उपार्जित हुआ है। 'इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए वेश्वेश्वर्या पीएचडी योजना' ने वर्ष 2016-17 के दौरान MeitY को शून्य राशि (पिछले वर्ष शून्य) का ब्याज वापस किया है।

19 इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूर्व अनुमति लिए बगैर सहायता अनुदान पर लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार, सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों को निपटान या भारग्रस्त नहीं किया जा सकता। इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल, उन उद्देश्यों, जिनके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, से इतर उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कंपनी का आस्तित्व समाप्त हो रहा है तो ये संपत्तियां इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को लौटा दी जाएंगी, जो संपत्तियों को बेचने या निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगी।

20 इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी के लिए विश्वेश्वर्या पीएचडी येाजना ने i) 28 संस्थानों से 152,772,924 रु के कुल व्यय और 1,078,623 रू के प्राप्त ब्याज के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त किया है। ii) 30 संस्थानों से रु 249,819,739 के कुल व्यय और 1,460,355 रू के प्राप्त ब्याज के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण को प्राधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है और ये खाते संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। बकाया 96,519,858 रु के कुल पुष्टिकरण / उपयोगीयता प्रमाण पत्र 33 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाए गए हैं जिसमें से 26,209,558 रु की राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं।

वित्तीय विवरण व्ययों के ऐसे विवरण और अचल परिसंपत्तियों के विवरण के आधार पर तैयार किए गए हैं।

21 वर्ष के अंत में पूंजी और वचनबद्धताएं शून्य ळें

22 वर्ष के अंत में आकस्मिक देयताएं शून्य हैं।

23 विदेशी मुद्रा में व्यय शून्य रु. है।

24 कर्मचारी लाभः

कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार, निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं:

A. अवकाश नकदीकरण

आय एवं व्यय के विवरण में डेबिट किए गए संचयी अवकाश नकदीकरण और संविदागत कर्मचारियों की देयता के लिए 10,979 रु. (पिछले वर्ष 25,694 रु.) के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, किए गए प्रावधान के लिए कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान में 238,690 रु. (पिछले वर्ष 349,326 रु.) शामिल हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कंपनी के लेखों में यथा प्रदर्शित कुल देयता 1,120,445 रु. (पिछले वर्ष 881,755 रु.) है। कंपनी ने देयता का वित्तपोषण नहीं किया है।

B. परिभाषित अंशदान योजनाएं

कंपनी ने भविष्य निधि/पेंशन निधि के लिए 491,362 रु. (पिछले वर्ष 371,397 रु.) स्वीकार किए हैं।

मीडिया लैब एशिया)

'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी' के लिए विश्वश्वर्या पीएचडी योजना

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

25 परियोजना के संस्थागत अतिरिक्त व्यय, वर्ष के दौरान डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वश्वर्या पीएचडी योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, को अंतरित किए गए हैं।

26 देनदारों और लेनदारों के साथ शेष पुष्टिकरण, संतुलन और तत्संबंधी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं।

27 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बकाया

कंपनी को सप्लायरों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस संबंध में प्रकटन निम्नानुसार किया जाता हैः

a) लेखांकन वर्ष के अंत में सप्लायरों को देय और बकाये की राशि b) वर्ष के दौरान अदा किया गया ब्याज c) लेखांकन वर्ष के अंत में देय ब्याज और d) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त ब्याज नहीं दिया गया है।

28 कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत जारी लेखांकन मानकों (अर्थात् कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006) से संबंधित सामान्य निर्देशों में यथा परिभाषित लघु और मध्यम कंपनी (SMC) है जो कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के अनुसार लेखांकन मानक माने जाएंगे, ये लेनदेन प्रावधान के रूप में लेखांकन तक माने जाएंगे जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट किया गया है। तदनुसार, कंपनी ने लघु एवं मध्यम कंपनी पर यथा लागू लेखांकन मानकों का पालन किया है।

29 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक था, वहां पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी संख्या 1 से 29 के लिए हस्ताक्षर।

कृत ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 1106293W

सी.ए. अंकुश गोयल

साझेदार

सदस्यता संख्या 146017

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

कृते डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन

संजीव गुप्ता

प्रबंध निदेशक और सीईओ

[DIN - 07596482]

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30 दिसम्बर 2017

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
दिल्ली कार्यालयः डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, 708-723, सातवीं मंजिल, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019 (भारत)
टेलीफोनः +91-11-26443266, 26288192 फैक्सः +91-11-26288189
पंजीकृत कार्यालयः डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, समृद्धि वेंचर पार्क, सेंट्रल एम.आई.डी.सी. रोड, #2, चौथी मंजिल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400093 (भारत)
टेलीफोनः +91-22-28312930/31, फैक्सः +91-22-28379158
ईमेलः ruchi@digitalindia.gov.in वेबसाइटः www.medialabasia.in